

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]



[खंड 4 में अंक 21 से 30 तक हैं]
Vol. IV contains Nos. 21 to 30

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय-सूची CONTENTS

अंक 11, सोमवार, 11 जुलाई, 1977/20 आषाढ़, 1899 (शक)

No. 11, Monday, July 11, 1977/Asadha 20, 1899 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	Member Sworn	I
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	Oral Answers to Questions	
तारांकित प्रश्न संख्या 405 से 407, 409 और 410	*Starred Questions Nos. 405 to 407, 409 and 410	I—14
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 15	Short Notice Question No. 15	14—20
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	Written Answers to Questions—	
तारांकित प्रश्न संख्या 408 और 411 से 424	Starred Questions Nos. 408 and 411 to 424	20—31
अतारांकित प्रश्न संख्या 3013 से 3047, 3049 से 3077, 3079 से 3089, 3091 और 3093 से 3146	Unstarred Questions Nos. 3013 to 3047, 3049 to 3077, 3079 to 3089 3091 and 3093 to 3146;	31—110
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	111—12
जमना दास माधवजी एण्ड कम्पनी, बम्बई के श्री किशोर जे० तन्ना के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege against Shri Kishore J. Tanna of Jamna Dass Madhavji and Company, Bombay	112
अनुदानों की मांगें, 1977-78—	Demands for Grants, 1977-78	
उद्योग मंत्रालय	Ministry of Industry—	
श्री जार्ज फर्नान्डिज	Shri George Fernandes	113—19
श्रम मंत्रालय	Ministry of Labour—	
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe	120—22
श्री रामधारी शास्त्री	Shri Ram Dhari Shastri	128—29

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign+ marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ / Pages
श्री उग्रसेन	Shri Ugrasen . . .	129—30
श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर	Shrimati Ahilya P. Rangnekar . . .	130—31
श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी	Shri G. Narsimha Reddy . . .	131—32
श्रीमती चन्द्रावती	Shrimati Chandravati . . .	132
श्री पी० त्यागराजन	Shri P. Thiagarajan . . .	132—33
श्री वाई० पी० शास्त्री	Shri Y. P. Shastri . . .	133—34
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi . . .	134—36
प्रो० शिबबनलाल सक्सेना	Prof. Shibban Lal Saksena . . .	136—37
श्री अहसान जाफरी	Shri Ahsan Jafri . . .	137—38
श्री मनोहर लाल	Shri Manohar Lal . . .	138—39
श्री के० ए० राजन	Shri K. A. Rajan . . .	139—40
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu . . .	140—41
श्री राम अवधेश सिंह	Shri Ram Awadhesh Singh . . .	142
श्री के० राममूर्ति	Shri K. Ramamurty . . .	142—43
श्री हरिकेश बहादुर	Shri Harikesh Bahadur . . .	143
श्री एन० श्रीकान्तन नायर	Shri N. Sreekantan Nair . . .	143—44

लोक सभा

LOK SABHA

सोमवार, 11 जुलाई, 1977/20 आषाढ़, 1899 (शक)

Monday, July 11, 1977/20, Asadha 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे सम्मवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleventh of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

MR. SPEAKER in the Chair

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण

MEMBER SWORN

श्री निरंजन प्रसाद केशवानी (बिलासपुर)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Foreign Aid to check Rajasthan Desert

*405. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) whether any assistance from other countries or from U.N.O. has been made available to implement the scheme to contain the march of desert of Rajasthan; and

(b) if so, the facts in this regard ?

The Minister of Agriculture & Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Shri Lalji Bhai : Has government formulated any scheme for checking the advance of desert in Rajasthan ? I do not say whether foreign aid may be procured or not but whether government are going to formulate such a scheme ?

Shri Surjit Singh Barnala : There are a number of schemes in this regard. A drought prone programme is already under was in nine districts. Rs. 17 lakhs were spent during Fourth Plan, Rs. 14.47 crores were spent thereafter and another sum of Rs. 39.90 lakhs is likely to be spent thereon.

Shri Lalji Bhai : May I know whether government would seek assistance from U.N.O. or any foreign agency for the purpose and if not, the reasons therefor ?

Shri Surjit Singh Barnala : Many schemes are in progress for reclamation of desert land in Rajasthan. Some schemes are being implemented jointly by Government of India and the State Government and assistance is being taken from I. D. A. for some of the schemes. One of these schemes is Canal Development Project for which an amount of Rs. 83 million has been earmarked by the I. D. A.

Shri Jagdish Prasad Mathur : May I know whether there is any coordination between the arid zone development scheme being taken up by the ministry of Defence at Jodhpur and the other schemes being implemented by you ?

Shri Surjit Singh Barnala : I require notice for it so that I may collect the required information.

Shri Om Prakash Tyagi : There is only one country in the world, viz., Israel which has succeeded in solving the problem of desert. Have any efforts been made to obtain information regarding checking the desert and making it cultivable in Israel through U. N.O. since we do not have direct relations with Israel ?

Shri Surjit Singh Barnala : In view of our relations with Israel direct efforts have not been possible but information is eventually passes on to the other countries. Efforts are being made to utilise the information available to us, particularly regarding reclamation of desert area.

Shri Chaturbhuj : You have spent crores of rupees on checking the desert. May I know the area which has been saved from the advance of desert with this expenditure ?

Shri Surjit Singh Barnala : Many areas have been covered. Work is in progress in canal areas, catchment areas. Afforestation work is being done and new forests are being planned. It has helped in checking the desert.

Shri Balbir Singh : What is the report of the Government ? Is the area where desert has advanced more or less than the area protected ? Was any offer made by Israel to help India in this regard and did government made efforts to get their assistance ?

Shri Surjit Singh Barnala : As already stated efforts are afoot to check the advance of desert. As regards the offer by Israel I do not have any information with me at the moment.

Shri Vinayak Prasad Yadav : Is there any special scheme of Government to bring under the plough cultivable land lying vacant now ?

Shri Surjit Singh Barnala : It is covered under the drought prone areas, canal command area development projects, desert project etc. All these are aimed at this very purpose.

नई दिल्ली स्थित इंडियन क्राफ्ट्स सोसाइटी द्वारा समझौते का उल्लंघन

* 406. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन क्राफ्ट्स सोसायटी के जिसने 1975-76 में विन्डसर प्लेस, नई दिल्ली में एक प्रदर्शनी आयोजित की थी, पदाधिकारी कौन कौन हैं ;

(ख) सोसायटी द्वारा लाइसेंस फीस अदा न करने और बैंक प्रत्याभूति न देने के कारण उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) लेखा-परीक्षित लेखे न दिखाने सहित समझौते के उल्लंघन के कारण सरकार द्वारा समिति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) कितनी धनराशि एकत्र की गई थी और कितनी राशि प्रधान मंत्री कोष में जमा की गई है ; और

(ङ) वह कौन से विशिष्ट व्यक्ति हैं जिन्होंने समिति को जमीन आवंटित करने की सिफारिश की ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सोसायटी ने 1973 की गवर्निंग काउन्सिल के सदस्यों के नामों की एक सूची दिल्ली के सोसायटी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की। 1975-76 की पदाधिकारियों की सूची प्रस्तुत नहीं की गई थी। सोसायटी के नाम के छपे पत्र पर, इसने 16 अक्टूबर, 1975 को भूमि आवंटन के लिए अनुरोध किया था।

निम्नलिखित पदाधिकारियों के नाम दिए गए थे :—

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. श्रीमती कैलाश कपूर— | अध्यक्षा |
| 2. मेजर कपिल मोहन | }— उपाध्यक्ष |
| 3. श्री राधारमण | |
| 4. श्री एच० एन० राठी— | महासचिव |
| 5. श्री एम० एल० गोयल | }— सचिव |
| 6. श्री सागर सूरी | |
| 7. श्री सुधीर सरीन— | कोषाध्यक्ष |

(ख) तथा (ग). चूंकि सोसायटी ने आवंटन की शर्तों का पालन नहीं किया, अतः सोसायटी द्वारा स्थान पर कब्जा करना अवैध था। सोसायटी के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(घ) सोसायटी ने प्रधान मंत्री राहत कोष में कोई राशि जमा नहीं की है। सोसायटी ने कितनी राशि एकत्र की, इसकी जानकारी सरकार को नहीं है।

(ङ) इस सम्बन्ध में बताने के लिए रिकार्ड में कुछ भी नहीं है।

श्री कंवर लाल गुप्त : सूची में दिए गए नामों में हैं—भूतपूर्व मुख्य कार्यकारी पार्षद श्री राधारमण, मारुति के निदेशक श्री कपिल मोहन, मारुति के एक अन्य निदेशक श्री सागर सूरी, श्री कैलाश कपूर का हो सकता है श्री यशपाल कपूर से कोई रिश्ता हो, मुझे मालूम नहीं है। यह लाखों रुपयों के गबन और धांधली का मामला है। चूंकि यह एक अपराधिक मामला है, वया उनका विचार पुलिस में मामला दर्ज करने का है ताकि उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सके। जब सोसायटी ने अवैध रूप से कब्जा किया था, तो सरकार ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री सिकन्दर बख्त : विधि मंत्रालय से परामर्श किया गया है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि समिति का कब्जा अवैध था। इस अपराध के लिए सोसायटी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। सोसायटी के पंजीकरण सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत कोई दाण्डिक कार्यवाही करना सम्भव नहीं है। सोसायटी को 1 रुपया प्रति मास के लाइसेंस शुल्क पर जमीन दी गई थी, जो उसने जमा नहीं की।

But regular rent for allotment of land for an exhibition is Rs. 1.88 per sq. yd. per month which will be recovered from them. If they do not fulfil certain other conditions, they would

be charged at the rate of Rs. 5 per month. The total amount recoverable from them on these two counts works out to Rs. 2,19,184.

Shri Kunwar Lal Gupta : The hon. Minister has not replied to my question. I think that one of the conditions stipulated was that the entire sale proceeds of tickets would be deposited into the P. M.'s relief Fund. You have not stated the amount received to-date.

Shri Sikandar Bakht : I have said that we did not know.

Shri Kunwar Lal Gupta : You have said that you were not aware of the amount received, although more than a year has passed since the exhibition was out. They have misappropriated the money which they were required to deposit into the Prime Minister's relief Fund in accordance with the terms of the agreement and they have also submitted no account. They did not comply with the other conditions as well. The opinion of the Ministry of Law might have been obtained at a time when they were a privileged class. When did you initiate action either on receipt of notice of this question or some action was taken before your assumption of office as Minister? May I know the rules regulating the allotment of land to such societies? Why no action was taken against the officers who allotted the land to the society without a bank guarantee?

श्री सिकन्दर बख्त : माननीय सदस्य ने अनेक प्रश्न पूछे हैं। मैं उनका एक-एक करके जवाब दूंगा। सबसे पहले यह पूछा गया है कि वह कौन-सी परिस्थितियाँ थीं जिनके अन्तर्गत भूमि दी गई थी, वह अनेक थीं,

The major condition was that licence fee should be Re. 1/- per month and the other major condition was that they would submit bank guarantee on the entire amount at the rate of Rs. 5/- per square yard. The third condition was that they would submit the accounts within one month after the closing of exhibition and this sum would be deposited in the Prime Minister's Relief Fund.

There are other minor conditions and they have not fulfilled even a single condition out of them. Every type of action is being initiated against them.

I would like to tell them that this entire land was given to D. D. A. for care and maintenance by the Land and Development Officer in 1974. They applied for land for organising an exhibition on 16th October, 1975. They were not given any kind of authority on behalf of D. D. A., or L. & D. O. They took possession of the land, but a letter was sent to D. D. A. from the Ministry on 11th Nov. 1975 that they have no objection to the land being given to them on certain conditions from 20th October, 1975 to 15th January, 1976. In a way, this was meant to regularise the possession of land. It is a fact that this was done after they took possession of the land. So they continued to be in possession of the land and we presume that exhibition ended on the 30th April and the letter of its regularisation was received on the 7th May which was for regularising the possession.

I would like to say that different aspects such as unauthorised possession of the land and the action taken against the officers are being looked into.

Shri Kanwar Lal Gupta : You have said that the possession was taken without permission. I would like to know the reasons for which action is not being taken against those officers who did not take action in the matter. The second point is that from which date action has been initiated against those officers, whether it was initiated before or after you assumed charge of the Ministry.

Shri Sikandar Bakht : I can only say that action is being taken. I do not remember the date in this regard.

एक माननीय सदस्य : वह प्रश्न का उत्तर देने से बच रहे हैं।

श्री सिकन्दर बख्त : नहीं, ऐसी बात नहीं है। वास्तव में मुझे तिथि के बारे में जानकारी नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : माननीय मंत्री ने श्रीमती कपूर का जिक्र किया है। क्या वह सभा को बतायेंगे कि श्रीमती कपूर क्या यशपाल कपूर की पत्नी हैं जो कि देश की भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के बहुत ही विश्वासपात्र थे ?

श्री सिकन्दर बख्त : मैं यशपाल कपूर का पता लगा रहा हूँ और यह पता लगाऊंगा क्या श्रीमती कपूर उनकी पत्नी हैं ?

Shri Ugrasen : The honourable Minister has said that he did not know the amount of money that was to be deposited in the Prime Minister's Fund. I want to know the amount of profit earned from the exhibition, the profit which was to be distributed. What was the total amount earned from the exhibition ?

Shri Sikandar Bakht : I have told you that I am not aware. But Government is trying to ascertain the information in regard to that money.

Shri Ugarsen : Have they been asked to submit accounts ?

Shri Sikandar Bakht : They have been asked to submit accounts which have not been submitted so far.

Shri Ugrasen : If accounts have not been submitted, why action is not being taken against them ?

Shri Sikandar Bakht : Action is being taken.

श्री के० सूर्यनारायण : जहां तक भूमि हथियाने का सम्बन्ध है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस सम्बन्ध में किसी अधिकारी ने कोई आपत्ति उठाई है अगर उठाई है तो उस सम्बन्धित मंत्री की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया थी जो उन दिनों इस मंत्रालय के प्रभारी थे ?

श्री सिकन्दर बख्त : तब बहुत देर हो चुकी थी जबकि 2 जनवरी, 1976 को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सोसायटी को पत्र लिखा कि उन्होंने भूमि आवंटन के लिए निर्धारित किसी भी शर्त का पालन नहीं किया है और अब उन्हें उन शर्तों का पालन करना चाहिये। तब भी सोसायटी ने कुछ नहीं किया।

Shri D. N. Tiwari : It is very surprising and matter of regret that a minister of the Government of India is saying that somebody occupied public land without its being duly allotted to him and continues to be in possession of that for months together and that place is also not an unknown place but it is situated on the Windsor Place, where the bungalows of Ministers and Officers are located. I want to know whether the power of the Government is confined only to demolition of the Jhuggi-Jhonpries and whether Government have no powers over the persons who are considered to be influential and occupy the land without its being allotted to them. Whether efforts have been made to evict them; if not, the reasons therefor ?

Shri Sikandar Bakht : As far as the Government concerned, it is a continuous process. With the permission of the House, I would submit that myself and this Government were not in power at that time. It is difficult for me to own responsibility for this on behalf of the previous Government. I have placed the facts of the case before you. Action would be taken against the persons responsible for this lapse.

श्री शम्भुनाथ चतुर्वेदी : क्या मैं जान सकता हूँ कि अगर नियमों के अनुसार यह कब्जा अवैध था तो सोसायटी को अतिक्रामक माना जाये और आपराधिक अतिक्रमण के लिए उस पर मुकदमा चलाया जाये।

श्री सिकन्दर बख्त : अब उन्हें अतिक्रामक नहीं समझा जा सकता है क्योंकि यद्यपि विलम्ब से ही सही, 20 अक्टूबर से 30 अप्रैल, 1976 तक के उनके कब्जे के बारे में उसे एक पत्र लिखा जा चुका है ।

Shri Ram Naresh Kushwaha : I want to know whether the liberal attitude adopted in regard to allotment of land i.e. regularising of unauthorised possession of land and not conducting investigations into the irregularities committed in this regard, would also be adopted in the case of places which are in possession of poor people and whether Jhuggi-Jhonpries of the poor dwellers would also be regularised ?

श्री सिकन्दर बख्त : इसका प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Shri Yagya Datt Sharma : There are about 50 members in the House who do not have residential accommodation because the houses meant for them are under unauthorised possession. Whether the honourable Minister would take interest in getting these houses vacated by terminating the unauthorised possession thereof.

श्री सिकन्दर बख्त : इसका प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Shri Yagya Datt Sharma : Mr. Deputy Speaker Sir, I seek protection. The question is about unauthorised possession and my question is about it.

उपाध्यक्ष महोदय : इसका प्रश्न से सीधा सम्बन्ध नहीं है किन्तु माननीय सदस्य का प्रश्न नोट कर लिया गया है ।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय पश्चिमी देशों से "बटर आयल"

407. डा० मुरली मनोहर जोशी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय डेरी निगम को यूरोपीय आर्थिक समुदाय अथवा कुछ पश्चिमी देशों से उपहार के रूप में भारी मात्रा में 'बटर आयल' प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और प्रत्येक देश में से 1975, 1976 और 1977 में कितनी मात्रा में बटर आयल प्राप्त हुआ और यह बटर आयल किन शर्तों पर प्राप्त हुआ ;

(ग) क्या मदर डेरी द्वारा पहले 'बटर आयल' का पांच किलो का डिब्बा 70 रुपये में बेचा जाता था और अब इसका मूल्य बढ़ा कर 85 रुपये कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो मूल्य बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारतीय डेरी निगम को यूरोपीय आर्थिक समुदाय से बटर आयल की एक खेप उपहार-स्वरूप प्राप्त हुई है ।

(ख) बटर आयल की सप्लाई यूरोपीय आर्थिक समुदाय से हुई थी न कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय के अन्तर्गत अलग अलग देशों से । यूरोपीय आर्थिक समुदाय से वर्ष 1974-75 में 2590 मीटरी टन बटर आयल उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ था । अन्य 3,000 मीटरी टन बटर आयल शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है ।

इसे यूरोपीय आर्थिक समुदाय के खाद्य सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार को उपहार के रूप में दे दिया गया है तथा बटर आयल की बिक्री से होने वाली आय को डेरी विकास परियोजनाओं के लिये काम में लाया जायेगा ।

(ग) जी हां ।

(घ) इस नए उत्पाद के लिए उपभोक्ता की रुचि का पता लगाने के लिए बटर आयल का मूल्य शुरू में कम रखा गया था । बाद में गोदामों में भर लेने तथा घी में मिलावट करने की कु-प्रवृत्तियों से बचने के लिये खाद्य तेल और घी के प्रचलित मूल्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य में वृद्धि कर दी गई थी ।

डा० मुरली मनोहर जोशी : माननीय मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है, उससे सम्बन्धित बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न उभरते हैं । पहली बात यह है कि वह कहते हैं कि यह बटर आयल उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ है । क्या मैं यह जान सकता हूँ कि जब यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने इसे हमें उपहार स्वरूप दिया है तो क्या इस पाउडर का रासायनिक प्रयोग करके यह पता लगाया गया कि यह खाने के योग्य है ? दूसरी बात यह है कि इसे समुद्री मार्ग से मंगाया गया, तो इसे मंगाने के लिये भाड़ा किसने दिया और यदि हमने दिया है तो क्या इसका भुगतान विदेशी मुद्रा में किया गया है ?

तीसरी बात यह है कि आपने कहा है कि उपभोक्ता की रुचि का पता लगाने के लिये बटर आयल का मूल्य शुरू में कम रखा गया । इसका अभिप्राय यह हुआ कि आप इसे भारत में हमेशा के लिये उपभोग की वस्तु बनाना चाहते हैं । आप हमें बटर आयल खाने के लिये कहते हैं क्योंकि यह फालतू है और पश्चिम देशों में इसे मानव उपभोग के योग्य नहीं समझा जाता है । क्या भारत सरकार यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों की एक मात्र विक्रय एजेंट बनना चाहती है जो भारत के बाजारों में इसे खपाने के लिये प्रयोग कर रही है ?

दूसरी बात यह है कि जब शुरू में बटर आयल की कीमत 14 रुपये प्रति किलो तय की गई थी तो देश में खाने के तेल की कमी नहीं थी । तब इस प्रकार की कीमत क्यों तय की गई थी ?

श्री मुरजीत सिंह बरनाला : मेरे माननीय मित्र ने अनेक प्रश्न पूछ लिये हैं । पहली बात यह है कि उन्होंने बटर आयल पाउडर का जिक्र किया है । यह पाउडर नहीं है । इसे स्किमड दूध के साथ मिलाकर इसे पुनः दूध के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है । जैसा कि पहले बताया गया है । यह हमें उपहार स्वरूप मिला है जो कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय खाद्य सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत देता है । हम इसके लिये भीख नहीं मांगते । खाद्य सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत यह अनेक देशों को दिया जाता है और हमें भी उस में से कुछ मिलता है ।

उसका काफी स्टॉक हमारे पास पड़ा था और उसे दुग्ध के रूप में सप्लाई करना सम्भव नहीं था क्योंकि वह मिलाए जाने के लिए अनुपयुक्त हो गया था और उसे खाना पकाने के माध्यम के रूप में सीधे प्रयोग में लाया जा सकता था । इसी कारण से ही उसे बाजार में बेचा गया । मिलाये जाने के लिये अनुपयुक्त हो जाने का यह अर्थ नहीं है कि वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं रहा । इसी कारण से उसे बाजार में बेचा गया । वह हमें यूरोप के बन्दरगाह तक निःशुल्क मिलता है और वहां से यहां तक स्वयं लाना पड़ता है ।

डा० मुरली मनोहर जोशी : क्या यह सच है कि करोड़ों रुपयों की खेप बम्बई स्थित गोदाम में नष्ट हो गई; और यदि हां, तो इस बारे में कोई जांच की गई है ?

दूसरे इस मामले की ओर प्रैस द्वारा विभिन्न संसद सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया गया है कि बिगड़े हुए बटर आयल को कभी कभी दूध के साथ मिलाकर दिल्ली दुग्ध योजना के माध्यम से उपभोक्ताओं में वितरित किया गया, अर्थात् खराब हुए बटर आयल को, जो उपभोग के उपयुक्त नहीं था दूध में मिलाकर बेचा गया ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जहां तक प्रश्न के अन्तिम भाग का सम्बन्ध है, यह सच नहीं है कि वह सप्रेता दूध में मिलाकर लोगों में वितरित करते समय मानव उपभोग के लिये अनुपयुक्त हो चुका था ।

प्रश्न के पहले भाग के सम्बन्ध में मुझे अलग से सूचना भेजनी होगी ताकि मैं यह पता लगा सकूँ कि क्या कोई ऐसी घटना घटी थी ।

Shri Vijay Kumar Malhotra : May I know from the hon. Minister whether it is proper to earn profit by selling the butter oil which we get as a free gift. If it is used in preparation of milk for distribution among the poor children, then it is alright. But is it proper that the Delhi Milk Scheme prepare milk by adding water in it more than ten times and mint money by supplying such milk to the people ?

Shri Surjit Singh Barnala : As I have already stated, we had some surplus butter oil, so some of it was sold in market. The rest of it is being mixed in skimmed milk.

इस बिक्री से प्राप्त हुई धनराशि मवेशी तथा दुग्धशाला विकास पर खर्च की जाती है, अन्य किसी कार्यक्रम पर नहीं ।

श्री अन्ना साहेब पी० शिन्दे : हमारा राष्ट्र महान और स्वाभिमानी है । भारत सरकार कुछ समय तक के लिये बटर आयल का आयात करने की जो आवश्यकता समझती है उसे मैं मानता हूँ । परन्तु मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस प्रकार के उपहार स्वीकार करने की समूची नीति पर पुनर्विचार करना चाहेगी क्योंकि इन उपहारों के पीछे हमेशा कुछ मन्तव्य रहता है । स्वाभिमानी राष्ट्र होने के नाते हमें ऐसे उपहार नहीं स्वीकार करने चाहिए । जैसा कि माननीय सदस्यों तथा मंत्री महोदय को ज्ञात है, जब चीन में भूकम्प की विनाशकारी दुर्घटना घटी तो उसने एक स्वाभिमानी राष्ट्र के नाते किसी भी देश से कोई उपहार स्वीकार नहीं किया । क्या भारत सरकार अन्य देशों से निःशुल्क उपहार लेने की समूची नीति पर पुनर्विचार करेगी ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जहां तक मुझे मालूम है इस सहायता का प्रस्ताव उस समय आया था जब माननीय सदस्य स्वयं मंत्रालय में थे । हम उत्तराधिकार में मिली परम्परा को निभाते हुए अस्थायी तौर पर उसी नीति पर चल रहे हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि बटर आयल देने का प्रस्ताव हमारे देश को कब मिला, और कितना बटर आयल किस समय मिला और निःशुल्क उपहार होते हुए भी यह देश की विभिन्न खैराती संस्थाओं के माध्यम से वितरित क्यों नहीं किया गया ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : हमें 1974-75 में योरोपीय आर्थिक समुदाय से 2590 मीटरी टन और विश्व खाद्य कार्यक्रम से 8212 मीटरी टन बटर आयल मिला । 1975-76 में योरोपीय आर्थिक समुदाय ने कुछ भी बटर आयल नहीं मिला परन्तु विश्व खाद्य कार्यक्रम से 1975-76 में 7165 मीटरी टन और 1976-77 में 1782 मीटरी टन बटर आयल मिला । यह खैराती संस्थाओं

के माध्यम से वितरित नहीं किया गया क्योंकि यह केवल देश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए ही था और यही किया जा रहा है ।

Shrimati Mrinal Gore : Is the hon. Minister aware of the fact that the import of butter oil and the operation flood scheme has given a set back to dairy industry and on the other hand the consumers have to use such milk which gives bad odour. In view of these factors, will the government take any action in this matter ?

Shri Surjit Singh Barnala : The milk production has not come down as a result of using butter oil. The milk producers have also not suffered any loss due to this. It is also not a fact that the butter oil giving bad odour is mixed with the milk. It is mixed only when it is in good condition.

श्री पी० राजगोपाल नायडू : हमें बटर-आयल उपहार के रूप में मिला है । ऐसा स्थिति में आप उसकी कीमत क्यों लेते हैं ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : हम दूध के घंघे और दुधारी पशुओं की दशा सुधारने के लिए उससे धन प्राप्त करना चाहते हैं ।

Institutions for Promotion of Hindi

***409. Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state the number of the institutions directly working for the promotion of Hindi under the Ministry and the status of their Heads and Chairman ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : Central Hindi Directorate, New Delhi, and Kendriya Hindi Sansthan, Agra, are the two institutions working for the promotion of Hindi directly under the Ministry. Director, Central Hindi Directorate, is also the Chairman of Commission for Scientific and Technical Terminology. The post of Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology carries a scale of Rs. 2250-2500. The pay scale of Director, Kendriya Hindi Sansthan, is Rs. 1500-2500+Rs. 250/- as Special pay.

Shri Nawab Singh Chauhan : Mr. Deputy Speaker, this Commission was set up in 1960 under a Presidential order and at that time it was envisaged that it would be converted into an autonomous body and its Chairman would be given the status of a Secretary, but it has not been done. For some time there had been a proposal to give to its members full time membership. But this proposal has not been translated into action. Once the Commission was merged into the Directorate and later on the Directorate was merged into the Commission. I want to know whether government are contemplating to make it an autonomous body and to give to its chairman the status of a Secretary and if not, what are the alternative proposals of the Government ?

Shri Pratap Chandra Chunder : I have already stated that his post and pay scale are equal to that of a Secretary. At this moment I can not say more than this.

Shri Nawab Singh Chauhan : Does the hon. Minister think that the work of Hindi is scattered in various Ministries and there is no cohesion and coordination in it. Hindi has become the official language as well as the link language and it is to be promoted in a well planned way. Has the hon. Minister any scheme to entrust entire Hindi work to this organisation but making it an autonomous body and giving to its chairman the status of a Secretary.

Shri Pratap Chandra Chunder : I will get it examined.

डा० हेनरी आस्टिन : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन राज्यों में त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत हिन्दी प्रचलित है वहां प्रादेशिक भाषाओं के संवर्द्धन के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं। ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत प्रादेशिक भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाये जा रहे ।

श्री प्रताप चन्द्र चन्दर : यह आरोप सत्य नहीं है क्योंकि प्रादेशिक भाषाओं की पुस्तकों के प्रकाशन के लिए राज्य सरकारों को 1 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रादेशिक भाषाओं के संवर्द्धन के लिए अन्य संस्थाएं भी हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं के संवर्द्धन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रेरित एक संस्था कार्य कर रही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या पूरे देश भर के लिए 1 करोड़ रुपये रखे गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें।

श्री सी० एन० विश्वनाथन : हिन्दी प्रचार शाखा के लिये तमिलनाडु में कितनी संस्थायें चल रही हैं और उनपर कितना धन खर्च किया जा रहा है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्दर : व्यौरे के लिये मुझे नोटिस चाहिये। इस सभा की जानकारी के लिए मैं कह सकता हूं कि केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तमिल के माध्यम से हिन्दी सिखाने के लिये पत्राचार पाठ्यक्रम चला रहा है। आरम्भ में 500 छात्रों के लिये व्यवस्था की गई थी। अब तमिल के माध्यम से पत्राचार पाठ्यक्रम के अन्तर्गत हिन्दी सीखने वाले छात्रों की संख्या 4000 हो गई है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय ने एक करोड़ रुपए की राशि बताई। यह राशि समूचे देश के लिये है या एक राज्य विशेष के लिये ? यदि एक राज्य के लिये है, तो वह कौनसा राज्य है ? 60 करोड़ लोगों के लिये प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिये एक करोड़ की राशि बहुत ही कम है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिये उन्हें नोटिस देना होगा।

श्री समर गुह : संविधान के अनुसार हिन्दी की दोहरी स्थिति है। यह राष्ट्रभाषा होने के साथ-साथ राजभाषा भी है। सभी भाषाएं राष्ट्रभाषा हैं। चूंकि हिन्दी हमारे देश की अधिकृत राजभाषा है, उसके विकास के लिये जो भी राशि खर्च की जाये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या मंत्री महोदय हमारे देश में अन्य राष्ट्रीय भाषाओं को समृद्ध बनाने और उनके विकास पर किये गये व्यय का ब्यौर देंगे ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्दर : इसके लिये नोटिस देना होगा।

श्री समर गुह : मंत्री महोदय कह सकते हैं कि वे इसकी जानकारी बाद में देंगे। क्या आप उनसे कहेंगे कि वे बाद में जानकारी दें ?

उपाध्यक्ष महोदय : वे बाद में जानकारी देंगे। वे स्वयं कह चुके हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know the member and names or institutions engaged in teaching Hindi in the country and the amount being spent on each or them ? Is it a fact that officers in Government Offices continue to be prejudiced against Hindi ? Is it also a fact that correspondence with Hindi speaking States is also made in English ? With this attitude towards Hindi at the centre how can you say that Hindi will be promoted in the country ?

Dr. Pratap Chandra Chunder : As already stated these are two institutions on behalf of the Centre and some institutions under the State Governments engaged in promotion of Hindi. I am not in a position to give the figures of expenditure. I require notice for that. Correspondence with state governments is carried sometimes in Hindi and sometimes in English also. During my visit to Bangalore people complained that correspondence is done in Kannada. You can realise how can we function like that.

श्री के० लक्ष्मण : यह एक भावना प्रधान प्रश्न है। हमारे मित्रों ने कहा कि सभी भाषाओं का समान में आदर किया जाना चाहिये और सरकार को सभी भाषाओं को समान रूप से प्रोत्साहन देना चाहिये। वर्तमान सरकार इससे कुछ हट रही है। अभी हाल में श्री राज नारायण ने कुछ कहा था। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री ने ठीक ही बीच में हस्तक्षेप किया और स्थिति साफ कर दी। कोई भी भाषा लादने के प्रयत्न का दक्षिण में घोर विरोध होगा। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या राष्ट्रभाषा हिन्दी के साथ-साथ वे सभी भाषाओं के विकास की ओर ध्यान देंगे? क्या इन सभी प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिये धन भी खर्च करेंगे? इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

डा० प्रताप चन्द्र चन्दर : इस प्रश्न के उत्तर से श्री ज्योतिर्भय बसु द्वारा उठाई गई कुछ बातों का भी समाधान हो जायेगा। प्रत्येक प्रादेशिक भाषा के लिये 1 करोड़ रुपये दिया जाता है। यह प्रादेशिक भाषा के क्षेत्र में स्थापित स्वायत्तशासी राज्य पाठ्यपुस्तक बोर्ड के माध्यम से किया जाता है।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम : क्या प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिये नियत राशि प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद पर खर्च की जाती है? उत्तर में दक्षिण भारतीय प्रादेशिक भाषाओं (तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ के प्रचार के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

श्री प्रताप चन्द्र चन्दर : इसके लिये आधुनिक भारतीय भाषा विकास संस्था है, जो भारत सरकार के पर्यवेक्षाधीन है। इसके अतिरिक्त प्रादेशिक भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों लिखने के लिये प्रत्येक प्रादेशिक भाषा को सहायता दी जाती है। त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया है कि वे हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में दक्षिण भारतीय भाषाओं का प्रचार करें। इस निदेश का पालन करना राज्य सरकारों का दायित्व है। जहां तक प्रादेशिक भाषाओं का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार द्वारा सीधे चलाई जाने वाली संस्थाओं के अतिरिक्त साहित्य अकादमी भी प्रादेशिक भाषाओं में अच्छी रचनाओं के लेखकों को पुरस्कार देकर प्रादेशिक भाषाओं को प्रोत्साहन देती है। इसके अलावा अपनी मातृभाषा में लिखने वाले लोगों को भी पुरस्कार दिये जा रहे हैं। वे हिन्दी में भी लिखते रहे हैं। इस प्रकार भारत की विभिन्न आधुनिक भाषाओं को काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

Shri Hukmdeo Narain Yadav : Is there any scheme of Government to bring a change of heart in the people and arouse their feelings towards their mother tongue and persuade them to use their mother tongue so that regional languages are developed?

Dr. Pratap Chandra Chunder : There is no such proposal before me.

कृषि का यन्त्रिकरण

410. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) सरकार ने कृषि का और अधिक यन्त्रीकरण करने के लिये क्या कार्यवाही की है;
- (ख) क्या सरकार ने कृषि में निवेश की वृद्धि करने के लिये ठोस कदम उठाये हैं; और
- (ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-घटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सरकार ने यंत्रीकरण की चयनात्मक नीति अपनाई है, जिससे कि कृषि में रोजगार के अवसरों पर गम्भीर प्रभाव डाले बिना उसी भूमि से अधिक उत्पादन करके सघन खेती के लिये कृषकों की सहायता की जा सके। कृषकों की जरूरतों के लिये अधिकांश कृषि मशीनरी का देश में ही निर्माण हो रहा है। छोटे कृषकों के लिए ऐसी कई मशीनें खरीदना संभव नहीं है, अतः ऐसी मशीनों को भाड़े पर देने के लिये कृषि सेवा केन्द्रों और मरम्मत भाड़ा केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। छोटे तथा सीमांत कृषकों को चुनीदा क्षेत्रों में लघु कृषक विकास एजेन्सी कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और आदिवासी एवं पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्नत उपकरणों पर राज-सहायता दी जाती है।

(ख) तथा (ग) : सरकार ने प्रमुख आदानों अर्थात् बीजों, उर्वरकों एवं कृमिनाशी औषधियों तथा सिंचाई के जल की उपलब्धि एवं खपत बढ़ाने के लिये जो महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं, वे निम्नलिखित हैं :—

बीज

आगामी वर्ष में अनाज की प्रमुख फसलों के अच्छी कोटि के बीजों की मांग में सम्भावित वृद्धि होने की बात को दृष्टिकोण गत रखते हुए सरकार ने एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया है, जिसमें अनुसंधान संस्थाओं से किसानों के खेतों तक विभिन्न अवस्थाओं में बीज उत्पादन को समेकित करने और बीज परिसंस्करण, भंडारण, गुणा नियंत्रण एवं उनके विपणन की मांग पूरी करने के लिये आवश्यक अवस्थापनात्मक सुविधाएं प्रदान करने का विचार है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अच्छी कोटि के बीजों के उत्पादन को व्यापक आधार प्रदान करने और बीजों की अपर्याप्त उपलब्धि की अवधियों के दौरान उपयोग के लिये बीजों का आरक्षित स्टॉक तैयार करने का विचार है। सब्जी के बीजों और वाणिज्यिक फसलों के बीजों के उत्पादन के लिये अधिक सुविधा प्रदान करने के लिये भी कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं।

उर्वरक

उर्वरकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये देश में उत्पादन का स्तर बढ़ा करके तथा आवश्यक आयात की व्यवस्था करके उर्वरकों की कुल उपलब्धि बढ़ाई जा रही है। आयातित उर्वरकों को देश के 600 से अधिक बफर केन्द्रों में जमा किया जाता है। अंतरंग क्षेत्रों में अतिरिक्त खुदरा केन्द्र (जिनकी संख्या अब लगभग एक लाख है) खोलने के लिये प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि कृषकों को सुगमता से उर्वरक उपलब्ध किए जा सकें। राज्य सरकारों को मिश्रित आदान वितरण केन्द्रों की स्थापना करने के लिये भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे कि यथासम्भव कृषक एक ही जगह से बीज, उर्वरक एवं कृमिनाशी औषधियां प्राप्त कर सकें। चालू खरीफ के मौसम के दौरान 68 चुनीदा जिलों में (जहां इस समय उर्वरकों की खपत का स्तर कम है लेकिन उर्वरकों की खपत बढ़ाने की अच्छी संभावना है) एक गहन उर्वरक संवर्धन अभियान शुरू किया गया है।

कृमिनाशी औषधियां

गत वर्षों के दौरान कृमिनाशी उद्योग की उत्पादन क्षमता तथा कृमिनाशी औषधियों की खपत काफी बढ़ गई है। देश के भीतर लगभग 52000 विक्रय केन्द्रों के जरिये सब वनस्पति-रक्षण सामग्री प्रायः सुगमता से उपलब्ध हो जाती है। वनस्पति-रक्षण उपकरणों की खरीद के लिये छोटे तथा सीमांत

कृषकों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज-सहायता दी जा रही है। कृषकों को वाणिज्यिक फसलों के कृमियों तथा रोगों के विरुद्ध सतही तथा हवाई छिड़काव करने के लिए भी वित्तीय सहायता दी जा रही है।

सिंचाई

सिंचाई के कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका को महसूस करते हुए उनके क्रियान्वयन को अधिकतम सम्भव सीमा तक बढ़ाने के लिये प्रयास किए जा रहे हैं। लघु सिंचाई के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय संस्थागत निधियों से पूरे किये जा रहे हैं। आशा है कि वर्ष 1977-78 के लिये लघु सिंचाई से 17.9 लाख हैक्टर और बड़ी तथा मध्यम सिंचाई से 13 लाख हैक्टर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित हो जायेगी।

श्री पी० के० कोडियन : विवरण देखने से पता चलता है कि सरकार ने यंत्रीकरण की चयनात्मक नीति अपनाई है, जिससे कि कृषि में रोजगार के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसी भूमि पर सघन खेती के द्वारा अधिक उत्पादन करने में कृषकों की सहायता की जा सके। हमने यह देखा है कि यंत्रीकरण कुछ ग्रामीण किसानों तक ही सीमित है। जहां तक साधारण किसानों का सम्बन्ध है, उन्हें उन्नत उपकरण भी नहीं मिल रहे हैं; उनकी वित्तीय स्थिति भी अच्छी नहीं है। यद्यपि विवरण में कहा गया है कि छोटे किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कृषि सेवा केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं, सिंचाई यह है कि हमारे देश में बहुत से छोटे सीमान्त किसान इन आधुनिक कृषि उपकरणों के लाभ से वंचित हैं। दूसरी ओर यंत्रीकरण के परिणामस्वरूप, जो कुछ चुने हुए क्षेत्रों तक ही सीमित है, कृषि कर्मकार बेरोजगार हुए हैं। पंजाब और हरियाणा में हार्वेस्टर कम्बाइन जैसी मशीनों के प्रयोग से प्रायः कृषि कर्मकार बेरोजगार हुए हैं। यह एक पहलु है। इस दूसरा पहलू यह है कि छोटे साधारण और सीमान्तक किसान एवं समाज के अन्य ग्रामीण वर्ग उन्नत कृषि उपकरणों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्या सरकार यथासंभव बेरोजगारी को दूर करने के लिये कोई ठोस कदम उठा रही है?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जैसा मेरे माननीय मित्र ने बताया, मैं कह चुका हूँ कि सारे देश में खेत निरन्तर छोटे होते जा रहे हैं; पहले ही 1-2 हैक्टेयर के लगभग 1.30 करोड़ खेत हैं और 1.30 करोड़ खेत 2-5 हैक्टेयर के हैं। इसलिये किसान बड़ी मशीन खरीद और प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिये हमने कृषि सेवा केन्द्र खोले हैं। इस समय 2900 कृषि सेवा केन्द्र हैं जहां से वे मशीनें किराये पर ले सकते हैं। इसी प्रकार राज्य कृषि उद्योग निगम के 310 केन्द्र काम कर रहे हैं। मेरे माननीय मित्र का यह कथन असत्य है कि पंजाब और हरियाणा में फसल काटने की मशीनों के प्रयोग से कृषि श्रमिक बेरोजगार हुए हैं। मशीनों का प्रयोग खेतों को खाली करने के लिये किया जाता है ताकि अगली फसल बोई जा सके अन्यथा सीजन निकल जायेगा। लोगों को जल्दी होती है।

श्री पी० के० कोडियन : कृषि के लिये आवश्यक वस्तुओं के बारे में उठाये जा रहे अनेक कदमों का मंत्री महोदय ने उल्लेख किया। क्या उर्वरकों की कीमतें घटाने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है और आगामी वर्ष में बड़ी सिंचाई योजनाओं द्वारा कृषि क्षमता में लगभग 13 लाख हैक्टेयर की वृद्धि करने का प्रस्ताव है और क्या किसान इस अतिरिक्त क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सकेंगे?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, समा में मांगों पर बहस का उत्तर देते हुए मैंने कहा था कि हम इस फसल, अर्थात् खरीफ, के लिये उर्वरकों की कीमत कम नहीं कर

सकेंगे। तथापि हम मूल्यों पर नज़र रख रहे हैं। दूसरे प्रश्न के बारे में मैं बता चुका हूँ कि लघु, मध्यम और बड़ी सिंचाई के अन्तर्गत 30 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है। मेरा यह प्रयास होगा कि इसका अधिकतम उपयोग हो। हमारा प्रयास है कि सभी विद्यमान सिंचाई सुविधाओं का यथासंभव उपयोग हो।

Shri Sheo Narain : The former Government in U. P. had increased the rate from Rs. 3 to Rs. 15 and later on brought it down to Rs. 12, which is still on the higher side. Will the hon. Minister take steps to reduce it so that small farmers may also avail of the benefits?

Shri Surjit Singh Barnala : I would not follow to which rate the hon. member is referring.

Shri Sheo Narain : The rate of electricity.

Shri Daulat Ram Saran : The agro service centres have been opened at a number of places by state Governments. Will the hon. Minister tell us whether it is a fact that the price of agricultural implements charged on these agro service centres is higher than that charged by the private dealers as a result of which it is not beneficial to the farmers to purchase implements from there? Moreover, implements are not available there at the proper time?

Shri Surjit Singh Barnala : I shall look into it, if it is so.

अल्प सूचना प्रश्न SHORT NOTICE QUESTION

हिन्द महासागर में सैनिक गतिविधियां सीमित करने के बारे में अमरीका और रूस के बीच विचार-विमर्श

अल्प सूचना प्रश्न सं० 15. डा० मुरली मनोहर जोशी :

श्री वयालार रवि :

श्री किशोर चन्द्र एस० देव :

श्री चित्त बसु :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 जून, 1977 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि हिन्द महासागर में सैनिक गतिविधियों को सीमित करने के प्रश्न पर अमरीका और रूस के बीच चर्चा हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार को आशा है कि यह बातचीत आगे बढ़ेगी और इसमें भाग लेने वाले पक्ष संबद्ध समस्या के प्रति रचनात्मक और ठोस रवैया अपनायेंगे और ऐसे परिणामों तक पहुंचेंगे जिनसे संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुरूप हिन्द महासागर में शान्ति के क्षेत्र की स्थापना का काम सुगम हो सके

डा० मुरली मनोहर जोशी : यह भारतीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या मंत्री महोदय सभा को बतायेंगे कि क्या इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में इन दो बड़ी शक्तियों में से किसी ने किसी अवस्था पर किसी स्तर पर भारत सरकार की राय मांगी थी और यदि हां, तो भारत सरकार हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाये रखने के लिये स्वयं अकेले या हिन्द महासागर से सीधे संबंधित तटवर्ती देशों के साथ संयुक्त रूप से क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्रीमन्, किसी समझौते पर पहुंचना दो बड़ी शक्तियों अर्थात् अमरीका और सोवियत संघ पर निर्भर करता है ताकि हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाया जा सके। भारत के साथ अनौपचारिक रूप से परामर्श किया जा रहा है। हमारे विचार सर्वविदित हैं और जब भी अवसर आया है हमने दोनों ही बड़ी शक्तियों से आग्रह किया है कि इस बारे में बातचीत को शीघ्र पूर्ण किया जाये।

डा० मुरली मनोहर जोशी : न्यूट्रॉन बम, लेजर किरण, अर्थात् मृत्यु-किरण, जैसे अत्यन्त खतरनाक हथियारों के विकास को ध्यान में रखते हुए हिन्द महासागर में स्थित सैनिक अड्डों से इन हथियारों के प्रयोग किये जाने के विरुद्ध भारत सरकार ने क्या रक्षोपाय किये हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह इस प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है यदि हिन्द महासागर का विसैन्यीकरण होता है और हिन्द महासागर में शस्त्रास्त्रों के सीमित किये जाने के बारे में दोनों बड़ी शक्तियों में समझौता हो जाता है, तो मैं आशा करता हूं कि मेरे मित्र द्वारा बताया गया खतरा उत्पन्न नहीं होगा।

श्री बयालार रवि : यह आश्चर्य की बात है कि मंत्री महोदय हिन्द महासागर में शांति का प्रश्न बड़ी शक्तियों, अर्थात्, अमरीका और सोवियत संघ पर छोड़ रहे हैं। इस विषय का मुख्य रूप से और मूलतः तटवर्ती देशों विशेष रूप से भारत से सम्बद्ध है। इथोपिया से लेकर आस्ट्रेलिया तक अमरीका के 8 सैनिक अड्डे हैं। इन सैनिक अड्डों से तटवर्ती देशों को वास्तविक खतरा है। सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र सभा के 31वें अधिवेशन में घोषित किया था कि हिन्द महासागर में उसका कोई सैनिक अड्डा नहीं है। इसकी जांच पड़ताल करना आपका काम है। अमरीका के भारत के बहुत निकट, जैसे डियागो गार्सिया में, 8 सैनिक अड्डे हैं जहां धावन-पथ 12000 फुट तक लंबा कर दिया गया है। उसने नवविकसित न्यूट्रॉन हथियार प्रयोग करने की भी धमकी दी है। आप इस मामले को दो देशों पर कैसे छोड़ सकते हैं ? क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अमरीका सेंट मार्टिन द्वीप में एक नौसैनिक अड्डा बनाने के लिये बंगलादेश से बातचीत कर रहा है ? इस प्रकार भारत के बहुत निकट अमरीका के दो नौसैनिक अड्डे होंगे और यह शांति के लिये वास्तविक खतरा है। इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? क्या हिन्द महासागर में पूर्ण विसैन्यीकरण और सैनिक अड्डों का समाप्त किया जाना सुनिश्चित करने के लिये भारत निरन्तर पहल करता और नेतृत्व प्रदान करता रहेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं माननीय सदस्य से पूर्णतः सहमत हूं कि हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाने के प्रश्न से मुख्य रूप से तटवर्ती देश और उनके साथ लगने वाले देशों का सम्बद्ध है। अधिकांश तटवर्ती देश संयुक्त राष्ट्र संघ और गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के फोरम के जरिये अपने विचार स्पष्ट कर चुके हैं। हम तो चाहते हैं कि हिन्द महासागर में जितने भी अड्डे हैं उन्हें हटा दिया जायें और बड़ी शक्तियां अपनी अपनी सेनायें भी हटा लें। यह तो बड़ी शक्तियों पर निर्भर करता है कि वे इस प्रश्न पर कोई समझौता करें। जहां तक तटवर्ती तथा तटदूर देशों के दबाव का संबंध है, इसका प्रभाव पड़ रहा है। मेरे विचार में तटस्थ तथा अन्य देशों के दबाव के कारण ही तो हिन्द महासागर के प्रश्न पर बड़ी शक्तियों के बीच बातचीत हो रही है। मुझे आशा है कि उन्हें इसमें सफलता मिलेगी

और हिन्द महासागर शांति क्षेत्र बन जायेगा। जहां तक अमरीका द्वारा बंगाल की खाड़ी में एक अड्डा बनाने का सम्बन्ध है, मुझे खेद है कि इस समय इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री बयालार रवि : यह बातचीत सैनिक अड्डों के बारे में नहीं हो रही है। यह तो इसे शांति क्षेत्र बनाये रखने के संबंध में हो रही है। आप इस बातचीत पर कैसे निर्भर कर रहे हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं किसी चीज पर निर्भर नहीं कर रहा हूं ; मैं तो केवल अपने देश की शक्ति पर ही निर्भर करता हूं।

श्री बयालार रवि : मैंने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है, मुझे खेद है कि कुछ गलत-फहमी हो गई है। मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं...

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु।

श्री चित्त बसु : क्या मंत्री महोदय को इस बात का ता है कि (क) डियागो गार्सिया में अमरीकी निर्माण कार्य फिर से होने लगा है ; (ख) अमरीकी नौसेना जिस परमाणु शक्ति से चालित विमान वाहक बेड़ा और पी-3 बेड़ा भी शामिल हैं, यहां की यात्रा करती रही है ; और (ग) हिन्द महासागर में से सेना के हटाये जाने के बारे में श्री कार्टर की घोषणा के किये जाने के पश्चात् भी मसिराह में अमरीका ने नये अड्डों का अर्जन किया है ? इस संदर्भ में, क्या भारत सरकार इस सम्बद्ध में अपनी राय बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में अभिव्यक्त करने पर विचार करेगी कि अमरीका हिन्द महासागर में सभी अड्डों को समाप्त कर दे और वहां पर सेना भेजना भी बंद कर दे जिससे हिन्द महासागर से सेनाये हटाई जा सके और अमरीका तथा रूस के बीच जो बातचीत चल रही है वह सफल हो सके ? दूसरे क्या सरकार का ध्यान 2 फरवरी के 'ट्रिब्यून' में प्रकाशित हुए श्री जे० पी० आनन्द के लेख में हमारे देश की इन्स्टीट्यूट फार डिफेंस स्टडीज एंड अनलैसिस की राय की ओर दिलाया गया है जो इस प्रकार है :

“अमरीकी नौसेना द्वारा प्रति वर्ष औसतन तीन बेड़ों की तुलना में “सोवियत संघ की नौसेना सदियों में एक संगठित दल भेजती है कुछ पश्चिमी विश्लेषकों के अनुसार सोवियत संघ का उद्देश्य सैनिक न हो कर राजनैतिक है। सोवियत संघ की उपस्थिति मूलतः प्रतिक्रियात्मक और रक्षात्मक स्वरूप की है।” इन्स्टीट्यूट फार डिफेंस स्टडीज एंड अनलैसिस द्वारा अभिव्यक्त की गयी राय के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्रीमन्, माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है, मैं उसका आभारी हूं। मैंने भी “ट्रिब्यून” में यह लेख पढ़ा था। जहां तक डियागो गार्सिया में सुविधाओं का विकास करने का सम्बन्ध है भारत सरकार को विदित है कि डियागो गार्सिया का विस्तार करने के लिये अमरीकी सरकार ने हाल ही में 70 लाख डालर की राशि की व्यवस्था की है।

माननीय सदस्य ने मसिराह का उल्लेख किया है। यह ओमान में एक हवाई अड्डा है जिसका निर्माण यूनाइटेड किंगडम ने किया था। समाचार यह है कि अमरीका अपने विमान के लिये इसका प्रयोग करने के लिये बातचीत कर रहा है। जहां तक भारत की स्थिति को स्पष्ट करने का सम्बन्ध है, मेरे विचार में भारत की स्थिति के बारे में विश्व में कोई संदेह नहीं है और मुझे आशा है कि माननीय सदस्य को भी इस बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि इस बात के बावजूद कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने एक संकल्प में यह स्पष्ट कर दिया है कि हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाये रखा जाये, अमरीका डियागो गार्सिया और कई अन्य स्थानों पर बिना किसी रोक-टोक निर्माण कार्य कर रहा है? यदि आप विश्व रक्षा संबंधी नक्शा देखें, तो आपको मालूम होगा कि वे क्या क्या कर रहे हैं। इस संदर्भ में, क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि भारत सरकार ने अमरीका पर इस बात के लिए क्या दबाव डाला है कि हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाए रखने के बारे में हो रही बातचीत में चीन को भी शामिल किया जाए?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्रीमन् भारत अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में दबाव डालने की बजाए समझाने बुझाने का रास्ता अपनायेगा। जहां तक चीन का संबंध है, भारत को प्रसन्नता होगी यदि सभी बड़ी शक्तियां और प्रमुख समुद्रवर्ती शक्तियां, जिन में चीन भी शामिल है, मिलकर हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाएं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : मंत्री महोदय ने कहा कि दोनों शक्तियां मिलकर कोई हल निकालेंगी। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा निर्दिष्ट संकल्प पर चर्चा हुई थी, तब सोवियत संघ ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उनका हिन्द महासागर में सैनिक अड्डे बनाने का न कोई पहले इरादा था और न ही अब है और कि वे तो केवल अपने यूरोपीय भागों के लिए इस मार्ग का उपयोग करना चाहते हैं जिससे यह भाग उनके सूदूर-पूर्व भागों के साथ समुद्री संपर्क स्थापित कर सके, इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने यह कैसे कहा कि अनौपचारिक रूप से बातचीत हुई है जबकि अप्रैल, 1977 में श्री ओमोको की यात्रा के दौरान जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में हिन्द महासागर का हवाला था और उसमें यह कहा गया था :—

“दोनों देश इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे समता के आधार पर और अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्यतया मान्यताप्राप्त नियमों के अनुरूप सभी संबंधित राज्यों के साथ मिल कर हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाये रखने के लिये प्रयत्न करने में साथ देने के हेतु तत्पर हैं।”

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वे उद्धरण ही न देते जाया करें।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : यह आवश्यक था क्योंकि उन्होंने ‘अनौपचारिक बातचीत’ की बात कही थी।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप प्रश्न काल में उद्धरण देने लगेंगी, तो इससे कठिनाई होगी ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : उद्धरण तो इसलिये देना पड़ा क्योंकि उन्होंने अनौपचारिक बातचीत का हवाला दिया था । चूँकि विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व बातचीत हो चुकी थी, इसलिये मैं जानना चाहती हूँ कि इस विज्ञप्ति में दिये गये इस बचन को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि कोई हल निकालने के लिए समता के आधार पर तटवर्ती राज्यों के साथ मिलकर सम्मेलन बुलाने का प्रयत्न किया जायेगा ? यह केवल बड़ी शक्तियों का ही नहीं अपितु संबन्धित शक्तियों के साथ मिलकर सम्मेलन बुलाया जाना चाहिये ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : डा० मुरली ममोहर जोशी को दिये गये उत्तर में, जो अमरीका और सोवियत संघ के बीच हाल ही में हुई बातचीत के संदर्भ में था, कोई परस्पर विरोधी बात नहीं है । जो भी बातचीत हुई है उसके बारे में हमें अनौपचारिक रूप से जानकारी मिलती रही है, परन्तु सदस्यों ने संयुक्त विज्ञप्ति का हवाला दिया है, जो सोवियत संघ के विदेश मंत्री की यात्रा के पश्चात जारी की गई है । हिन्द महासागर के प्रश्न पर हमारे विचार एक जैसे हैं । सोवियत संघ और भारत इस पर सहमत हैं कि वहाँ पर विदेशी अड्डों को समाप्त कर दिया जाए और वहाँ से विदेशी सैनिकों को भी हटा लिया जाए । जहाँ तक तटवर्ती देशों का सम्मेलन बुलाने का सम्बन्ध है, मुझे खेद है कि इससे तब तक कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा जब तक कि इस मार्ग का प्रयोग करने वाली सभी सम्बन्धित शक्तियाँ इस सम्मेलन में शामिल न हों । संयुक्त राष्ट्र संघ की एक समिति इस दिशा में कार्य कर रही है । मुझे आशा है, प्रयत्न सफल होंगे और ऐसा सम्मेलन होगा ।

डा० हेनरी आस्टिन : क्या सरकार को अमरीकी प्रेजीडेंट के साथ अपनी मुलाकात के बाद हाल ही में आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री, श्री फ्रेजर के इस बयान का पता है कि डियागो गार्सिया में जो सैनिक तैयारियाँ हो रही है वे जारी रहेंगी ? हम जानते हैं कि अपना पद ग्रहण करने के थोड़ा समय पश्चात, अमरीका के प्रेजीडेंट ने यह कहा था, जो अभिलेख में है, कि डियागो गार्सिया में जितनी स्थापनाएँ हैं उन्हें हटा दिया जायेगा । परन्तु आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री के साथ हुए इस साक्षात्कार से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और उनका यह कहना अभिलेख में विद्यमान है कि उन स्थापनाओं को बनाये रखा जायेगा । मास्को में बातचीत हो रही है । उसका प्रयोजन इन स्थापनाओं को खत्म करने का नहीं है बल्कि पूर्व स्थिति को बनाये रखने या शायद अन्य शक्तियों के साथ कोई समझौता करने का है । यह कोई अलग-अलग प्रश्न नहीं है । जिस साथ कोई समझौता करने का है । यह कोई अलग-अलग प्रश्न नहीं है । जिवौती संबंधी घोषणा तथा फ्रांस की घोषणा में इस बात का उल्लेख है कि वे वहाँ पर सेना रखेंगे । (अन्तर्वाधा) । ईरान से भी ऐसे समाचार मिले हैं कि उन्होंने 7 वायु-वाहित रडार तंत्र प्राप्त करने के लिये अमरीका से बातचीत की है । इन सब का डियागो गार्सिया के साथ सम्बन्ध है । पाकिस्तान में भी यह कहा गया है कि एक क्रमबद्ध कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 25 परमाणु स्थापनाएँ स्थापित कर ली गई हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

डा० हेनरी आस्टिन : क्या सरकार को इस बात का पता है कि डियोगो गार्सिया में हो रही सैनिक तैयारियों से ऐसा लगता है कि हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाये रखने के संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय की पूर्णतया उपेक्षा की गई है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : माननीय सदस्य ने आस्ट्रेलिया के माननीय प्रधान मंत्री के जिस बयान का हवाला दिया है वह मैंने पढ़ा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रेजीडेंट कार्टर ने डियोगो गार्सिया को हटाने का कभी कोई वचन नहीं दिया है। जिस बात का उन्होंने बचन दिया है वह यह है कि हिन्द महासागर में से सेनायें हटा ली जायें और वहां पर बड़ी शक्तियों की सेनाओं की संख्या सीमित कर दी जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इन सभी बातों को कौन देखेगा ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जहां तक तदवर्ती देशों का सम्बन्ध है, संयुक्त राष्ट्र संघ का संकल्प विद्यमान है और हम इस बात का स्वागत करेंगे यदि सभी अड़े खतम कर दिये जाते हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं इस मामले के तीन पहलुओं पर जानकारी चाहता हूं। पहला यह कि क्या मास्को और वाशिंगटन द्वारा स्थापित कार्यकारी दल का उद्देश्य हिन्द महासागर क्षेत्र का पूर्णरूपेण विसैनिकरण करना है, जैसा कि प्रेजीडेंट कार्टर ने घोषणा की है, या यह अब पूर्व स्थिति को स्थिर करने तक ही सीमित है या हिन्द महासागर में जो संतुलन है उसे बनाये रखना है ? दूसरा यह कि क्या सरकार की यह राय है कि अब हिन्द महासागर क्षेत्र में प्रतियोगिता में कमी आ गई है ? तीसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि दो बड़ी शक्तियों ने इस मामले पर भारत के साथ अलग से बातचीत करने की कोई इच्छा व्यक्त की है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आरम्भ में प्रेजीडेंट कार्टर ने 9 मार्च, 1977 के अपने बयान में यह संकेत दिया था कि वह चाहते हैं कि हिन्द महासागर से सेनायें हटाली जायें और इस प्रश्न को मास्को में गये हुए अपने सेक्रेटरी आफ स्टेट द्वारा वहां पर उठाये जाने वाले प्रश्नों में शामिल किया था। बातचीत 22 और 27 जून के बीच हुई थी किन्तु बातचीत के पश्चात् अभी तक कोई औपचारिक बयान नहीं दिया गया है। तथापि सोवियत न्यूज एजेंसी 'तास' ने एक बयान जारी किया था जिसमें कहा गया था कि दोनों पक्षों ने हिन्द महासागर में हथियारों को सीमित करने संबंधी प्रश्न पर विचार किया और वे सहमत हो गये कि वे फिर मिलेंगे।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इससे तो इसका दर्जा कम हो गया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जी, हां। ऐसा ही प्रतीत होता है। दूसरे पहलू के बारे में कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरे तीसरे प्रश्न का अभी उत्तर नहीं मिला है। क्या प्रमुख ताकतों ने इस विषय पर भारत के साथ अलग अलग बातचीत करने के लिये कोई इच्छा व्यक्त की है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दोनों बड़ी शक्तियों ने भारत के साथ अलग अलग बातचीत की है।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरे प्रश्न के दो भाग हैं। हमारी सरकार की जानकारी के अनुसार हिन्द महासागर में अमरीका और सोवियत संघ की सेना और नौसैनिक अड्डों की संख्या कितनी कितनी है? दूसरे, मंत्री महोदय ने अभी कहा कि यदि कोई समझौता हो जाता है तो उन्हें प्रसन्नता होगी। इस बारे में मैं उनसे सहमत नहीं हूँ क्योंकि वे नौसैनिक अड्डे की सीमा के संबंध में ही सहमत हो सकते हैं; ऐसा संभव है। इसलिये क्या वह सभा को यह आश्वासन दे सकते हैं कि सरकार तब तक संतुष्ट नहीं होगी जब तक कि इस क्षेत्र को पूर्णतया शांति क्षेत्र नहीं बना दिया जाता?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यदि इजाजत हो तो मैं प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर पहले दे दूँ और वह यह है कि भारत तब तक संतुष्ट नहीं होगा जब तक कि हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र नहीं बना दिया जाता। परन्तु जहाँ तक हिन्द महासागर में जलपोतों या बड़े देशों की सेनाओं की संख्या का सम्बन्ध है, मुझे खेद है कि यह ब्योरा अभी मेरे पास नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कच्छ का रेगिस्तान

*408. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या 'कृषि और सिंचाई' मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ का रेगिस्तान गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में दक्षिण की ओर निरन्तर बढ़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या गुजरात राज्य सरकार ने रेगिस्तान के इस प्रकार फैलाव को रोकने के लिए कुछ योजनाएं तथा परियोजनाएं तैयार की हैं और क्या राज्य सरकार ने प्रस्ताव शीघ्रतापूर्वक विचार करने, अनुमति तथा वित्तीय सहायता के लिए केन्द्र सरकार को भेजे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) व (ख) कच्छ के रेगिस्तानी इलाकों की आम भू-भाग परिस्थितियों के मूल्यांकन तथा उपलब्ध सूचना के आधार पर यह महसूस किया जाता है कि कच्छ के रेगिस्तान के सौराष्ट्र प्रदेश में दक्षिण की ओर बढ़ने के कोई प्रत्यक्ष संकेत दिखाई नहीं देते हैं। तथापि, रुन्न बोर्डर के साथ-साथ लवणता प्रवेश की समस्याएं हैं। गर्मी के मौसम में, रेगिस्तान से हवाएं नमक मिश्रित धूल तथा मिट्टी के कण ले जाती हैं और उन्हें उपजाऊ भीतरी कृषि इलाकों में जमा कर देती हैं।

(ग) राज्य का वन विभाग कच्छ के रुन्न बोर्डरों के साथ-साथ वनरोपण का कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। वृक्षारोपण प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से किया जा रहा है। चौथी योजना के अंत तक 28697 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है जिससे

कि तेज हवाओं द्वारा रुन्न से उठाए गए बारीक लवण मिश्रित धूल के कणों के जमा होने से सीमांत क्षेत्रों को बचाने के लिए एक हरा-भरा प्रतिरोधक कटिबंध बनाया जा सके। पांचवीं योजना का लक्ष्य 41.29 लाख रुपये की लागत से 5000 हैक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण करने का है। रुन्न के भीतरी इलाकों में वन रोपण की कोई योजना नहीं है क्योंकि अब तक किए गए प्रयोगों में रुन्न में प्रचलित परिस्थितियों के अन्तर्गत सफलता प्राप्त नहीं हुई है।

गुजरात राज्य सरकार ने निम्नलिखित प्रस्ताव भेजे हैं :—

- (i) कच्छ, सौराष्ट्र तथा उत्तरी गुजरात के बड़े इलाकों में सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था,
- (ii) प्रोसोपिस-जुली फ्लोरा का गहन वृक्षारोपण जो लवणता को कम करता है और फलस्वरूप कृषि फसलें उगाने के लिए उपयुक्त क्षेत्र तैयार होता है।
- (घ) राज्य सरकार के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

कृषि सेवा भर्ती बोर्ड

* 411. श्री धर्मवीर वशिष्ठ : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) कृषि सेवा भर्ती बोर्ड का गठन किस तिथि को तथा किसकी सलाह पर किया गया था;
- (ख) इस बोर्ड के क्या कार्य हैं;
- (ग) कृषि वैज्ञानिकों की प्रतिभा को जांचने का क्या तारीका है तथा गत तीन वर्षों में कितने अधिकारी चुने गये; और
- (घ) क्या बोर्ड द्वारा किये गये चयन को सरकार के प्रायः स्वीकार कर लिया और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल की स्थापना कृषि मंत्री स्वर्गीय श्री फखरुद्दीन अली अहमद की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नियुक्त मंत्रियों के एक दल की सिफारिश पर हुए एक निर्णय के परिणाम-स्वरूप की गयी थी। यह मण्डल 7 दिसम्बर, 1973 को अस्तित्व में आया।

(ख) मण्डल, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लिए एक स्वतंत्र भर्ती एजेंसी है, के कार्य निम्न प्रकार हैं :—

- (i) कृषि अनुसंधान सेवा तथा कुछ इस प्रकार के पदों व सेवाओं के लिए भर्ती करना जिनका उल्लेख समय-समय पर विशेष रूप से परिषद् के अध्यक्ष द्वारा किया जाय;
- (ii) पदोन्नतियों सहित कार्मिक मामलों में परिषद को कुछ इस प्रकार की सहायता प्रदान करना जिनकी अपेक्षा अध्यक्ष द्वारा की जाय; तथा
- (iii) स्वयं परिषद द्वारा अथवा मण्डल से परामर्श करके भर्ती नियुक्ति किए गए कार्मिकों से संबंधित अनुशासनात्मक मामलों में परिषद् को परामर्श देना।

(ग) अपेक्षित सूचना देते हुए एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखा जा रहा है।

(घ) जी हां, श्रीमान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष ने, जो कि कृषि अनुसंधान सेवा के नियंत्रण करने वाले अधिकारी हैं, कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

विवरण

कृषि अनुसंधान सेवा में (निम्न प्रकार) नियुक्तियां की जाती हैं :—

- (क) 700-1300 रु० के वेतनमान में सेवा के वर्ग 'एस-1' की खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती;
- (ख) विज्ञापन एवं साक्षात्कार द्वारा पाश्चीय भर्ती; और
- (ग) वर्तमान विज्ञानियों के कार्य-कौशल के पांच वर्षीय मूल्यांकन की प्रणाली द्वारा योग्यता के आधार पर पदोन्नति, भले ही रिक्त स्थान हो अथवा न हो।

(2) अब तक कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल ने दो प्रतियोगी परीक्षाएँ ली हैं और जिनमें सेवा के एस-1 वर्ग के लिए 897 विज्ञानियों को चुना है। मण्डल ने विज्ञापन तथा साक्षात्कार द्वारा सेवा के विभिन्न उच्चतर पदों के लिए 510 विज्ञानियों को भी चुना है। चूंकि ये चुनाव एक-एक पद के लिए अलग-अलग किए गए थे, अतः केवल उन विज्ञानियों की, जो सबसे उपयुक्त पाये गए, नियुक्ति की सिफारिश कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल द्वारा परिषद् को की गई।

(3) जहां तक पदोन्नति द्वारा नियुक्तियों का प्रश्न है, भले जगह खाली हो या न हो, कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल ने सेवा के सभी पात्रता प्राप्त विज्ञानियों का पहला पंच-वर्षीय मूल्यांकन किया था। अब तक मण्डल ने लगभग 450 विज्ञानियों की पदोन्नति की सिफारिश की है और सैकड़ों अन्य विज्ञानियों को मामले विचाराधीन है। यह मूल्यांकन विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के प्रमुख विज्ञानियों की समिति द्वारा किया जाता है। जिस पद के लिए कोई व्यक्ति भर्ती किया जाता है, उस पद के कार्यों और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन में जो उस व्यक्ति के योगदान और उपलब्धियों पर दिया जाता है मूल्यांकन करते समय जिन दस्तावेजों को ध्यान में रखा जाता है वे हैं:—

- (i) पंचवर्षीय मूल्यांकन प्रोफार्मा को संबंधित विज्ञानी भरता है और वरिष्ठ विज्ञानी जिसके नीचे वह विज्ञानी काम करता है, उसका पुनरीक्षण करता है;
- (ii) विज्ञानी द्वारा रखी जाने वाली अनुसंधान प्रायोजना फाईल;
- (iii) विज्ञानी का जीवन-वृत्त तथा कैरियर संबंधी सूचना; और
- (iv) पिछले पांच वर्षों की गोपनीय चरित्र पंजियां। यदि कोई विज्ञानी चाहे तो उसे व्यक्तिगत विचार-विमर्श के लिए मूल्यांकन समिति के सामने पेश होने का अवसर भी दिया जाता है। यह विचार-विमर्श, विज्ञानी की शैक्षणिक

योग्यता तथा सैद्धांतिक ज्ञान को आंकने के लिए औपचारिक या सामान्य प्रकार का साक्षात्कार नहीं होता। बल्कि इसका उद्देश्य उसे एक अवसर प्रदान करना होता है ताकि वह मूल्यांकन की अवधि के दौरान किए अपने काम व उपलब्धियों को प्रकाश में ला सके और साथ ही अपने काम के किन्हीं विशेष पहलुओं की व्याख्या या स्पष्टीकरण कर सके।

महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कालेजों में स्थानों की संख्या में वृद्धि

* 412. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977-78 के दौरान महाराष्ट्र में इन्टर साइन्स और बारहवीं श्रेणी की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कालेजों में स्थानों की स्वीकृत संख्या बढ़ी हुई मांग को पूरी करने के लिए अपर्याप्त है; और

(ग) सरकार ने इंजीनियरिंग कालेजों में स्थानों की संख्या में वृद्धि करने के बारे में महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव पर क्या निर्णय लिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर) : (क) और (ख) . जी, हाँ।

(ग) इस मामले पर राज्य सरकार से विचार विमर्श किया गया था, जिसे कुछ सुझाव दिये गये थे। इन विचार विमर्शों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार इस वर्ष के लिए दाखिले को बढ़ाने के ब्यौरे तैयार कर रही है।

बदल बदल कर फसल उगाना

* 413. श्री के० लक्ष्मण : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का विचार है कि यदि उर्वरकों का सन्तुलित प्रयोग नहीं किया जाता तो निरन्तर बदल बदल कर फसल उगाने से भूमि की उर्वरता को हानि होती है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के विज्ञानियों द्वारा किए गए उन खेतों के परिक्षणों में जिनमें केवल नाइट्रोजन एवं पोटाश लगाया गया, गेहूँ की उपज का झुकाव 1971-72 में 29.3 प्रति हेक्टर से घटकर 1975-76 में 13.4 प्रति हेक्टर अर्थात् नीचे की ओर होता दिखाई दिया। जिन खेतों में तीनों प्रमुख पोषक पदार्थ—नाइट्रोजन, पोटाश एवं फास्फोरस डाले गए उनमें उपज 32.3 प्रति हेक्टर से ऊपर थी। इसी प्रकार एन० पी०

के० की पूरी मात्रा देने की तुलना में एन० पी० के० के साथ 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर जिक सल्फेट डालने पर उपज 3 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टर अधिक रही।

उपरोक्त आंकड़े फसलों में विवेकपूर्ण तथा संतुलित उर्वरकों के प्रयोग की आवश्यकता को स्पष्ट करते हैं।

अपने मकान रखने वाले कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास

* 414. चौ० बलवीर सिंह :

श्री मीठा लाल पटेल :

क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन कर्मचारियों को जिनके अपने मकान हैं, सरकारी आवास अपने पास रखने की अनुमति दे दी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की कुछ संस्थाओं ने इस निर्णय का विरोध किया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) अपने निजी मकान वाले अधिकारी कुछ शर्तों पर सरकारी वास के आवंटन के पात्र हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

अंदमान और निकोबार द्वीप समूहों में शरणार्थियों का पुनर्वास

* 415. श्री समर गुह : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के अनेक शरणार्थियों ने, जो विभिन्न शरणार्थी शिविरों में रखे गए थे, सरकार से अनेक बार अपील की है कि उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में बसाया जाये;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने अंडमान द्वीप समूहों में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का पुनर्वास करने के मामले का गम्भीरता से अध्ययन करने हेतु एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया था;

(ग) क्या उक्त समिति ने सरकार से यह सिफारिश की थी कि अंडमान द्वीप समूह में 1972 तक 1,50,000 शरणार्थियों के पुनर्वास की कार्यवाही की जाये;

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय उच्च शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशों के तथ्य क्या हैं तथा उनकी सिफारिशों को कहां तक क्रियान्वित किया गया है; और

(ङ) अंडमान द्वीप समूह में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का पुनर्वास करने की वर्तमान नीति तथा कार्यक्रम क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां अण्डमान द्वीप समूह में पुनर्वास के लिए दो शिविर अर्थात् देवली तथा तावा परियोजनाओं के शरणार्थियों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

(ख) जी, हां। एक अन्तर्विभागीय समिति 1964 में गठित की गई थी।

(ग) जी, नहीं। इस समिति ने चौथी योजना के अन्त तक प्रवासियों प्रत्यावासियों के लगभग 6250 परिवारों को पुनर्वास देने के लिए अण्डमान द्वीप समूह में भूमि उद्धार की सिफारिश की थी।

(घ) समिति ने लगभग 10,000 प्रवासी/प्रत्यावासी परिवारों के पुनर्वास के लिए भावी योजनाओं में भी भूमि उद्धार की सिफारिश की थी।

आज तक जिस सीमा तक कार्यान्वयन किया गया है उसका न्यौरा निम्न है :—

द्वीप का नाम	उद्धार किया गया क्षेत्र	बसाए गए परिवार
(i) मिडिल अण्डमान	2050 एकड़	339 भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासी परिवार
(ii) नील	1090 एकड़	100 भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासी परिवार
(iii) लिटिल अण्डमान	2284 एकड़	381 परिवार (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये 366 प्रवासी परिवार तथा श्री लंका से आए 15 प्रत्यावासी परिवार)
योग	5424 एकड़	820 परिवार

(ङ) वर्तमान नीति यह है कि पुनर्वास कार्य केवल उस सीमा तक ही हाथ में लिया जाता है जितनी कि इस प्रयोजन के सम्बन्ध में वन साफ करने के लिए भूमि दी जाती है जो कि पारिस्थिक तथ्यों पर विचार करके विनियमित की जाती है। साठ प्रवासी/प्रत्यावासी परिवारों को लिटिल अण्डमान में पुनर्वास देने के लिए 415 एकड़ भूमि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दी गई है।

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को आबंटित किए गए अथवा बेचे गए स्थल

* 416. श्री शिव सम्पति राम : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय कांग्रेस समिति और उसके विभिन्न विंगों को आबंटित किए गए अथवा बेचे गए विभिन्न स्थलों की संख्या और अन्य ब्यौरे क्या हैं;

(ख) इस प्रकार आबंटित किए गए अथवा बेचे गये स्थलों को कितने मूल्य पर बेचा गया है अथवा कितना किराया वसूल किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने सुनिश्चित किया है कि यह मूल्य अथवा किराया अत्यधिक कम नहीं है;

(घ) अखिल भारतीय कांग्रेस समिति अथवा उसके विभिन्न विंगों पर कितना किराया बकाया है अथवा बिक्री की कितनी राशि का अब तक भुगतान नहीं किया है और उसे वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार बिक्री अथवा आबंटन के ऐसे प्रत्येक मामले की जांच करने और उस पर उपयुक्त कार्यवाही करने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख), (ग), (घ) तथा (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 660/77]

विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों की एक समान सेवा शर्तें

* 417. श्रीमति अहिल्या पी० रांगनेकर : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश भर के विश्वविद्यालयों के गैर-शिक्षक कर्मचारियों की एक समान सेवाशर्तें/नियम बनाने पर विचार कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Auditing of Accounts of M.P. Hindi Granth Akademi

†*418. Shri Raghunath Singh Machhand : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state :

(a) whether the accounts of the grants given to Madhya Pradesh Hindi Granth Akademi have not been audited for the last four years ;

(b) whether despite that, grants have been given or are being given to the Akademi, and

(c) if so, the reasons thereof ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) to (c). Accounts of the Madhya Pradesh Hindi Granth Akademi, Bhopal have been duly audited by a Chartered Accountant upto 1974-75 and the audit for the year 1975-76 is in progress. The Accountant General, Madhya Pradesh has also test audited the accounts of the Akademi upto 1973-74.

Under the Centrally Sponsored Scheme of book production at University level in Hindi and regional languages, Central assistance is made available to the State Governments. The State Government releases the grants to the Madhya Pradesh Hindi Granth Akademi.

Scarcity of Water due to Construction of Kalagarh, Tumaria and Other Dams

†*419. **Shri Mahi Lal :** Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) whether Government are aware that as a result of the construction of Kalagarh, Tumaria and other dams there has been a scarcity of drinking and irrigation water in the rural areas adjacent to these dams and the supply of water for irrigation in the agricultural land in those areas is not being met as also a serious drinking water crisis for human beings and cattle has been created ; and

(b) if so, the measures being taken to overcome this crisis in those areas ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) So far as areas below the Ram Ganga Dam at Kalagarh are concerned, no water for irrigation could be supplied in May and June, 1977 due to taking up of construction work in the river bed below the dam. So far as areas benefiting from Tumaria Dam are concerned, the natural in flows received this year were poor owing to low rainfall. Thus available waters could meet the needs of only rabi irrigation. The irrigation systems from both these dams do not specifically cater to drinking water requirements. However, as a result of irrigation supplies the water supplies from wells and tanks get augmented. The situation which arose in case of Kalagarh Dam is due to the special requirements of the construction work in the river bed. Such a situation is not normal and hence no special measures are called for to remedy the situation. So far as Tumaria Dam is concerned, the availability of water depends on the natural flow. However, in order to improve the situation, the Uttar Pradesh Government has taken up the Kosi Irrigation Scheme which would supplement the storage in Tumaria Dam by diversion of Kosi waters.

Rehabilitation of Sind Refugees in Indo-Pak War 1971

*420. **Shri Bhanu Kumar Shastri :** Will the Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the number of refugees who came to India from Sind during Indo-Pak war in 1971 and the places where they have been rehabilitated in refugee camps ;

(b) the annual expenditure being incurred on these refugees by Central Government ;

(c) whether arrangements have been made in these refugee camps to provide complete bedding as a protection against cold ; and

(d) whether the Central Government have any scheme to rehabilitate them permanently ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) 74,753 persons crossed over from Sind into Rajasthan and Gujarat in the western sector, as a result of Indo-Pak conflict 1971. 53,117 of these persons are receiving relief assistance in camps in Barmer, Jaisalmer and Jalore districts in Rajasthan State and Kutch and Banaskantha districts in Gujarat State.

(b) About Rs. 250 lakhs per annum are being spent for providing relief assistance to these displaced persons in the camps in Rajasthan and Gujarat.

(c) The displaced persons in camps are supplied woollen blankets/quilts, as part of the relief assistance.

(d) These displaced persons are entitled to return to Pakistan in safety and honour as and when the conditions permit. As such, schemes for their permanent rehabilitation have not been formulated. So that they may not continue to be unemployed in the camps, certain schemes have recently been sanctioned to make them self-sufficient.

Goabar Gas Plant

***421. Shri Jagdambi Prasad Yadav :** Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) whether Government consider Gobar Gas Scheme as essential for the development of agriculture and villages, and if so, the action being taken to accelerate its expansion and publicity ;

(b) whether provision of latrines has not been made compulsory in the scheme nor a grant is given therefor, and if so, whether Government propose to include provision of Community latrines in the Scheme ;

(c) whether Government have formulated a special scheme to ensure setting up of an economical Gobar Gas Plant ; and

(d) the expenditure incurred by Government for the expansion of this scheme during 1976-77 and 1977-78 and the number of Gobar Gas plants installed and also the target laid down for the installation of these plants in the country ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) to (d) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) Yes, Sir. Gobar gas plants provide good quality manure as well as gas for the kitchen, and lighting of houses and streets besides providing a cleaner environment for the village. Considering its role in the development of agriculture and villages, a scheme for the setting up of 100,000 gobar gas plants has been taken up in the Fifth Five Year Plan. This programme is being implemented through the State Governments, the Agro-Industries Corporations and the Khadi and Village Industries Commission. As an incentive, a subsidy of 25 per cent in the case of small plants (60 and 100 cft), 20 per cent for plants of larger sizes and 50 per cent for plants set up in hilly and tribal areas on capital cost is being provided. Further, a subsidy of 33 per cent of the capital cost is also available for installing community gas plants. The nationalised banks are providing loan assistance for setting up of gobar gas plants. The Reserve Bank of India has recently amended their rules to facilitate the financing of gobar gas plants programme through the Cooperative Banks. The agriculture Refinance and Development Corporation has also agreed to provide refinancing facilities to the nationalised and Land Development Banks on loans provided for setting up of gobar gas plants. Promotional measures such as demonstrations, training of extension personnel, printing of promotional literature etc. are being undertaken to give a boost to the programme.

(b) At present there is a general prejudice against the use of gas obtained from night-soil for cooking purposes and handling of night-soil digested slurry for manurial purposes. Any compulsion for provision of latrines in the scheme might therefore evoke adverse reaction and retard the progress of the programme. However, efforts are being made to start a few pilot projects for gas production based on night soil taken on a community basis at selected places like colleges, schools having hostels, housing colonies, dairy colonies, gram panchayats etc.

(c) Yes, Sir. An all-India coordinated project on bio-gas technology and utilisation has been formulated by the Department of Science and Technology. The research programme under this project covers the relevant aspects of bio-gas technology and utilisation including designing of an economical gobar gas plant. The Agriculture Universities of Tamil Nadu and Punjab have also initiated work on designing of cheaper models of gobar gas plants.

(d) It is targetted to set up one lakh gobar gas plants in the country during the 5th Five Year Plan. The number of gobar gas plants set up during 1976-77 was 16,328 and the subsidy released was Rs. 102.71 lakhs. The target set for 1977-78 is 25,000 plants. The position with regard to release of subsidy for the plants to be set up during 1977-78 will be known only when the subsidy claims have been received from the implementing agencies.

श्री अरविन्द सेन्टर, दिल्ली को अनुदान

* 422. डा० कर्ण सिंह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली स्थित प्रस्तावित श्री अरविन्द सेन्टर के लिये कोई अनुदान मंजूर किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर) : (क) जी नहीं। किन्तु पिछले तीन वर्षों में, श्री अरविन्द सोसायटी को उसके पुस्तकालय के विकास के लिए, 25,000 रु० दिए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गन्ने का प्रति हैक्टर उत्पादन

* 423. श्री के० मालन्ना : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में इस समय गन्ने का प्रति हैक्टर उत्पादन कितना है ; और

(ख) जहां तक बीजों के वितरण का प्रश्न है गन्ने का अधिक उत्पादन करने के लिये छोटे किसानों को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सन् 1975-76 के दौरान प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में गन्ने का मीटरी टनों के प्रति हैक्टर, औसत उत्पादन निम्न प्रकार था :—

राज्य	उपज (मीटरी टन प्रति हैक्टर)
उप-उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्र	
असम	37.0
बिहार	36.7
हरियाणा	43.2
मध्य प्रदेश	30.8
पंजाब	53.7
राजस्थान	38.8
उत्तर प्रदेश	40.1
पश्चिम बंगाल	58.5

राज्य

उपज (मीटरी
टन प्रति
हैक्टर)

उप-उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्र

आन्ध्र प्रदेश	69.5
गुजरात	55.2
कर्नाटक	75.9
केरल	53.9
महाराष्ट्र	88.4
उड़ीसा	65.0
तमिल नाडु	95.5
अखिल भारतीय औसत	51.2

(ख) गन्ना-विकास के सम्बन्ध में गन्ना उत्पादक राज्यों तथा केन्द्र सरकार के पास कई कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रमों में गन्ने की स्वीकृत किस्म के बीजों का उत्पादन तथा गन्ना-उत्पादकों को उसका वितरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। बहुत से क्षेत्रों में गन्ना फैक्ट्रियां भी इस कार्य में सहायता करती हैं। ये सभी योजनाएं मूलतः छोटे गन्ना उत्पादकों के लाभ के लिये हैं।

ये कार्य क्रम निम्नलिखित हैं :—

- (द) राज्य सरकारें अपने सामान्य गन्ना विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत गन्ना उत्पादकों को, जिनमें से अधिकांश लघु कृषक हैं, उन्नत किस्म के बीज के गन्ने का वितरण करने के लिए गन्ने की नर्सरियां उगाती हैं।
- (2) राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता देने के लिए भारत सरकार ने भी गन्ना-विकास के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना प्रारम्भ की है; इस योजना में उप-उष्णकटिबन्धीय गन्ना-पट्टी में स्थित प्रत्येक चीनी-फैक्ट्री के आस-पास 2,000 हैक्टर क्षेत्र में और उप-उष्णकटिबन्धीय पट्टी में स्थित प्रत्येक चीनी-फैक्ट्री के आस-पास 1,000 हैक्टर क्षेत्र में गन्ने का विकास करने पर विचार है। इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण बात इसके अन्तर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र को संतृप्त करना तथा हर चार वर्ष बाद स्वीकृत किस्म के अच्छे बीज के गन्नों का वितरण करना है।
- (3) अधिकांश सहकारी चीनी मिलें, जिनके सदस्य मुख्यतः लघु कृषक हैं, अपने सदस्य उत्पादकों के लिए उत्पादन ऋण की व्यवस्था के रूप में सुविधा प्रदान करती हैं। उत्पादन-ऋण में बीज के गन्ने की खरीद भी शामिल है।
- (4) कुछ सार्वजनिक क्षेत्र एवं संयुक्त स्टॉक वाली चीनी मिलें भी राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण की व्यवस्था के रूप में (जिसकी वसूली गन्ना-सप्लाई के समय की जाती है) गन्ने की खेती के लिये गन्ना-उत्पादकों को सुविधाएँ प्रदान करती हैं।

Stock of Imported and Indigenous Wheat with F.C.I.

***424. Shri Raghavji :** Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) the stock of imported wheat and indigenous wheat with the Food Corporation of India as on 31st May, 1977 ;

(b) the total quantity of wheat imported during 1976-77 and in April and May, 1977 ; and

(c) the quantum of wheat with the Food Corporation of India as on 31st May, 1977 which had been lying with the Corporation for a period of more than one year ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) A quantity of about 4 million tonnes of imported wheat and about 6.2 million tonnes indigenous wheat was in storage with the Food Corporation of India as on 31st May, 1977.

(b) A quantity of 4.9 million tonnes of wheat was imported during 1976-77. No wheat was imported during April and May, 1977.

(c) A quantity of little over 4 million tonnes of wheat in storage with the Food Corporation of India was more than one year old as on 31st May, 1977.

तमिलनाडु में वीरनाम जल सम्भरण परियोजना

3013. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :

श्री एम० कल्याणसुन्दरम :

क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वीरनाम जल सम्भरण परियोजना में इस्तेमाल किये जा रहे नलों की कार्यकुशलता और योजना की उपयोगिता के संबंध में तमिलनाडु द्वारा बनाई गई विशेषज्ञ समिति के निष्कर्ष क्या है ;

(ख) क्या योजना की क्रियान्विति शीघ्रता से की जायेगी / त्याग दी जायेगी / गति धीमी कर दी जायेगी ;

(ग) यदि योजना को शीघ्रता से क्रियान्वित किया जाना है तब परियोजना को पूरा करने की अन्तिम तिथि क्या निर्धारित की गई है ; और

(घ) अब तक कितनी पूंजी लगाई गई है और इसे पूरा करने के लिये अभी और कितनी पूंजी लगाई जानी है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) तकनीकी समिति ने यह पाया कि वेक्रेट टेक्नालोजी स्वभाविक रूप से विश्वस्त है । इस समिति ने वेक्रेट टेक्नालोजी का प्रयोग पर्याप्त पूर्वोपायों सहित जारी रखने की सिफारिश की है ।

तथापि, मद्रास जल पूर्ति और जल मल निर्यास की प्रीइन्वेस्टमेंट स्टेडीज के लिए यू० एन० डी० पी० डब्ल्यू० एच० ओ० टीम द्वारा नियुक्त किए गए परामर्शदाताओं ने वेक्रेट टेक्नालोजी के बारे में भिन्न भिन्न विचार व्यक्त किए हैं और उनका विचार है कि वेक्रेट टेक्नालोजी से बनाये गए लगभग 60,000 मीटर पाइपों की मात्रा का पाइप लाइन के अधिक दबाव के स्थान पर उन्का प्रयोग करना उपयुक्त नहीं है । निर्माण और आवास मंत्रालय के सलाहकार (पी० एच० ई० ई०) ने भी यह

सुझाव दिया कि इस परियोजना का देश में उपलब्ध जानकारी तथा देश में भलीभांति परीक्षित प्रायोगिकी के आधार पर पुनः प्रारम्भ किया जा सकता है। तथा पहले ही निम्न 60,000 मोटर पाइप का प्रयोग शहर के करीब पहुंचने वाली पाइप लाइन में किया जा सकता है जहां पर दबाव इतना अधिक नहीं होता। इस परियोजना के पुनः प्रारम्भण के संबंध में राज्य सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है, जो इन सब बातों पर विचार करेगी।

- (ग) निर्णय लिये जाने के बाद इस योजना को पूर्ण करने में इसके पुनः प्रारम्भण की तिथि से लगभग 36 मास लग जायेंगे।

(घ) अब तक इस परियोजना में 22.68 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। लगत का परिशोधित अनुमान राज्य सरकार द्वारा लगाया जा रहा है।

गोआ में मत्स्य पत्तन

3014. श्री एडुआर्डो फ्लोरो : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोआ में कोई मत्स्य पत्तन स्थापित करने की योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की रूपरेखा क्या है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) मछली पकड़ने के बन्दरगाह का डिजाइन 11 से 16 मीटर तक लम्बी 250 यंत्रीकृत नौकाओं के सुविधाजनक संचालन के लिए तैयार किया गया है। इसमें पनधाराओं जलयानों को ठहराने के लिए 440 मोटर लम्बे घाट, बगल में जलयान ठहराने की व्यवस्था सहित स्लिपवे के निर्माण और नीलामी हाल, मल सलाई, सड़कों तथा इमारतों जैसी तट की सुविधाएँ शामिल हैं इस परियोजना पर 28.93.6 लाख रु० की लागत आने का अनुमान है।

गोवा सरकार से जनवरी, 1976 में अनुरोध किया गया था कि वह स्थल की उपलब्धि डिजाइन को स्वीकार्यता तथा परियोजना के प्रस्ताव से संबंधित अनुमानों की पुष्टि करदे सूचना मिली है कि यह मामला अभी गोवा सरकार के विचाराधीन है।

कापियों की कमी

3015. श्री वसन्त साठे : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कापियों की भारी कमी के बारे में पता है; और

(ख) यदि हां, तो छात्रों को उचित मूल्य पर कापियाँ उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) तथा (ख) कापियों की कमी के बारे में राज्य सरकारों से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि शैक्षिक सत्रों के आरंभ होने पर छात्रों को कापियाँ आसानी से उपलब्ध हो सकें, राज्य सरकारों संघ शासित क्षेत्रों को अप्रैल-जून, 1977 की तिमाही के लिए 30120 मीटरी टन सफेद छपाई का कागज कापियाँ बनाने के लिए आवंटित किया गया है। पैपर मिलों को भी सलाह दी गई है कि वे शैक्षिक क्षेत्र की आवश्यकताओं को परम अग्रता दें तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कापियों की कमी न हो, यदि आवश्यक हो तो, उत्पादन को बढ़ाएं।

निजी प्रबन्ध वाले कालेजों को फर्नीचर और भवन विस्तार के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान

श्री दुर्गा चन्द : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में निजी प्रबंध वाले मान्यता प्राप्त कालेजों के फर्नीचर और भवन विस्तार के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान नहीं दिया जाता;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसके लिये अनुदान देने के प्रश्न पर विचार कर रहा है; यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा अनुदान कब दिया जायेगा और कितना दिया जायेगा; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में इस कार्य के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कालेजों को उनके विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सभी कालेजों को, चाहे वे सरकार द्वारा अथवा प्राइवेट निकायों द्वारा संचालित हों वह सहायता दी जाती है बशर्ते कि वे नामांकन, संकायों की संख्या इत्यादि से संबंधित आयोग द्वारा निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं। आयोग की सहायता, भवनों के निर्माण, पुस्तकों तथा उपस्करों, संकाय के सुधार इत्यादि के लिए उपलब्ध है। फर्नीचर के लिए कोई अलग से अनुदान नहीं दिया जाता, परन्तु पढ़ाने के लिए स्थान तथा पुस्तकालय और प्रयोग शाला भवनों के मामले में, ऐसे भवनों में फर्नीचर की व्यवस्था करने के लिए निर्माण की लागत का 10-20% स्वीकार किया जाता है।

आयोग ने अब तक 15 कालेजों (8 पंजाब में, 6 हरियाणा में तथा एक हिमाचल प्रदेश में) के भवन कार्यक्रम अनुमोदित किए हैं जिस के लिए पांचवीं योजना अवधि के दौरान कुल सहायता 15.97 लाख रुपये दी जाएगी। प्रत्येक राज्य में कालेजों को सहायता देने लिए आयोग द्वारा पहले से आवंटन नहीं किया जाता परन्तु संबंधित विश्वविद्यालय के माध्यम से, कालेजों के प्रस्तावों पर, जब कभी भी वे प्राप्त होते हैं, गुणावर्णों के आधार पर विचार किया जाता है।

शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई तथा बारानी खेतों के तरीकों के बारे में किसानों को प्रशिक्षण

3017. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनीज ने कर्नाटक में अपने वाडी डिमोस्ट्रेशन फार्म में अपनी ग्रामीण कल्याण योजना के अंतर्गत शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई तथा बारानी खेती करने के तरीकों के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने हेतु एक कार्यक्रम आयोजित किया था;

(ख) क्या इसके लेक्चरों, प्रदर्शनों, माडल डिजायनों, सामूहिक चर्चाओं और फिल्मों के माध्यम के बारे में इस की उपलब्धियों से सरकार संतुष्ट है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस योजना को अन्य राज्यों में भी आरम्भ करने का है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी एक गैर-सरकारी संगठन है जो सरकार का उत्तरदायी नहीं है। सरकार को कर्नाटक में इस कम्पनी द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के संबंध में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है।

(ख) तथा (ग) भाग (क) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में खाद्य उत्पादन के लिए सिंचाई सुविधायें

3018. श्री मनोरंजन भक्त : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या-क्या सिंचाई सुविधायें दी गई हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह के एक फसल उत्पादकों/कृषकों को सिंचाई सुविधायें देने की कोई योजना हाथ में लेने का है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में पिछले तीन वर्षों के दौरान लघु सिंचाई कार्यों द्वारा कुछ सिंचाई सुविधायें प्रदान की जा रही हैं।

(ख) और (ग) इस समय जल-विद्युत उत्पादन, सिंचाई और जल-पूर्ति लाभों से संबंधित छः स्कीमों का अन्वेषण किया जा रहा है। इन स्कीमों का अन्वेषण पूरा होने और उन्हें क्रियान्वित करने का फैसला लिए जाने के बाद ही इन स्कीमों का ब्यौरा प्राप्त होगा।

अण्डमान और निकोबार की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिए, जिसमें कुओं का निर्माण, पम्पसेटों की स्थापना और लघु लिफ्ट सिंचाई स्कीमें शामिल हैं, 10 लाख रुपये रखे गए हैं।

अतिरिक्त खाद्यान्नों के लिए राज्यों से अनुरोध

3019. श्री के० प्रधानी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में वर्तमान कमी को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त खाद्यान्न देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रदेशों को गेहूं और माइलों की सारी मांग पूरी की जा रही है । केन्द्रीय पूल में चावल की समूची उपलब्धता के अनुसार, राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों को चावल का यथासम्भव अधिक से अधिक आवंटन किया जा रहा है ताकि उनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित जरूरतें पूरी की जा सकें ।

Engineering Colleges and Universities

3020. Shri Ramji Lal Suman :
Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state :

(a) the number and locations of Government recognised engineering colleges and universities in the country, separately ; and

(b) the number of new engineering colleges and Universities proposed to be opened by Government from the next academic year and locations thereof ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) :
(a) Two statements for engineering colleges and universities separately are attached. (Placed in Library, See No. L.T. 661/77)

(b) The Central Government has no proposal under consideration to open any new engineering college or university during the academic year 1977-78.

बागान मजदूरों के लिए राजसहायता प्राप्त आवास योजना

3021. श्री हरेन भूभिज : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने वित्त वर्ष 1976-77 और 1977-78 के लिए बागान मजदूरों सम्बन्धी राजसहायता प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत आसाम राज्य को ऋण तथा राजसहायता के रूप में कितनी धनराशि देना मंजूर किया है ;

(ख) अब तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है और उक्त वित्तीय वर्षों में कितने बागान मजदूरों को ऋण तथा राजसहायता दी गई है ;

(ग) योजना के अन्तर्गत ऐसा ऋण तथा राजसहायता देने का आधार क्या है ; और

(घ) धनराशि की उपलब्धता सम्बन्धी वर्तमान स्थिति क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बह्त) : (क) 1976-77 में, असम सरकार की बागान कर्मचारियों की सहायता प्राप्त आवास योजना के कार्यान्वयन के लिए 7.00 लाख रुपए ऋण के रूप में तथा 8.00 लाख रुपए सहायता के रूप में स्वीकृत किए गए थे । इसके अलावा, असम सरकार के

पास, पिछले वर्षों में दी गई निधियों में से 9.42 लाख रुपए ऋण के रूप में तथा 16.02 रुपए सहायता के रूप में शेष बची अनखर्ची रकम थी। जहां तक 1977-78 का संबंध है, राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे निधियों के लिए अपनी आवश्यकतयें बतायें। निधियों का नियतन, निर्माण कार्यों के कार्यक्रमों तथा इस वर्ष के दौरान राज्य सरकारों की निधियों की मांग पर निर्भर करेगा।

(ख) असम सरकार ने वर्ष 1976-77 के दौरान 23.78 लाख रुपए ऋण के रूप में तथा 25.02 लाख रुपए सहायता के रूप में उपयोग किए। असम सरकार द्वारा 31-3-1977 तक उपयोग की गई कुल रकम 136.59 लाख रुपए ऋण के रूप में और 77.17 लाख रुपए सहायता के रूप में थी तथा असम सरकार ने 8608 मकानों के निर्माण की मंजूरी दी थी।

योजना के अधीन बागात कर्मचारियों को मकानों के निर्माण के लिए निधियां, सीधे नहीं दी जातीं बल्कि बागात मालिकों को राज्य सरकारों के माध्यम से दी जाती हैं।

(ग) स्थानिक बागात कर्मचारियों को बिना किराए के वास देने के लिए प्लान्टेशन लेबर एक्ट, 1951 के अधीन बागात मालिकों को सांविधिक वचन बढ़ता पूरी करने हेतु सहायता देने के लिए उन्हें निधियां दी जाती हैं ताकि वे निर्माण की वास्तविक या लेखा-परीक्षित लागत या निर्धारित अधिकतम लागत, इनमें से जो भी सबसे कम हो, की 871½ प्र०श० निधियों (50 प्र०श० ऋण के रूप में तथा 37½ प्र०श० सहायता के रूप में) से अपने पात्र कर्मचारियों के लिए मकान बना सकें।

(घ) इस योजना को सारे देश में कार्यान्वित करने के लिए 1977-78 के बजट में 2.10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

‘दस्तूर योजना’ के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक से सम्पर्क

3022. श्री माधवराव सिंधिया : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या देश में विद्युत के उत्पादन तथा बाढ़ों पर नियंत्रण पाने सम्बन्धी ‘दस्तूर योजना’ के वित्तपोषण के लिए सरकार का विचार विश्व बैंक से सम्पर्क करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इस पर विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री मुरजीत सिंह बरनस्ला) : (क) दस्तूर योजना एक धारणा पर आधारित योजना है। दस्तूर योजना में परिकल्पित स्कीमों के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

रेही मिट्टी को कृषि योग्य बनाना

3023. श्री सतीश अग्रवाल : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) विभिन्न राज्यों में कितनी कितनी भूमि रेही मिट्टी वाली है और क्या इस प्रकार की मिट्टी के क्षेत्रफल में कोई वृद्धि हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसी भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु कोई योजना बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि कृषि में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी धीरे-धीरे रेही मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है और इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है परन्तु अनुमान है कि देश में क्षारीय मृदा का क्षेत्र लगभग 25 लाख हैक्टेयर है । इसमें से उत्तर प्रदेश में 9 लाख हैक्टेयर, पंजाब में 4.5 लाख हैक्टेयर और हरियाणा में 3.5 लाख हैक्टेयर क्षेत्र है । शेष 8 लाख हैक्टेयर क्षेत्र अन्य राज्यों में है ।

ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि जिससे यह पता चले कि क्षारीय मृदा वाले क्षेत्र में कोई और वृद्धि हुई है ।

(ख) जी हां ।

कृषि विभाग ने मौजूदा पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षारीय क्षेत्र भूमि का सुधार करने के लिए मार्गदर्शी आधार पर एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना प्रारम्भ की है । इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में 64,000 हैक्टेयर क्षारीय भूमिका सुधार करने के लिए 7 करोड़ रु० आवंटित किया गया है । यह कार्यक्रम उन क्षेत्रों में प्रारम्भ किया गया है जहां निश्चित रूप से अच्छी किस्म का जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ।

इस योजना में लघु एवं सीमान्त कृषकों को, जिनके पास 3 हैक्टेयर तक जोते हैं, सुधार की सामग्री की लागत पर 50% और अन्य कृषकों को 25% राज सहायता दी जाएगी । इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों से यह आशा की जाती है कि वे अपने संसाधनों में से उपर्युक्त दोनों श्रेणी के कृषकों को 25% आर्थिक सहायता प्रदान करेंगी । सुधार पर होने वाली शेष लागत का भार कृषक स्वयं वहन करेंगे ।

(ग) जी नहीं ।

इसके विपरीत अमोनियम सल्फेट जैसे रासायनिक उर्वरकों का उपयोग क्षारीय भूमि के सुधार में लाभप्रद पाया गया है ।

समाचारपत्रों में दिल्ली विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम

3024. श्री शंकरसिंहजी बाघेला : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम सभी प्रमुख समाचारपत्रों में प्रकाशित नहीं हो रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या है और यह बात सुनिश्चित कराने के लिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी परिणाम सभी प्रमुख समाचारपत्रों में प्रकाशित हों, क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय परिणाम-अधिसूचनाओं की प्रतियां प्रकाशन के लिए दिल्ली के सभी प्रसिद्ध समाचारपत्रों को नियमित रूप से भेजी जाती है। समाचारपत्रों से आगे यह अनुरोध किया गया है कि परिणामों को किसी कारण से छापना उनके लिए सम्भव न हो तो कम से कम उन्हें उन परीक्षाओं के नामों को समाचार कालमों में देना चाहिए, जिनके परिणाम घोषित किए गए हैं ताकि छात्र उन सम्बन्धित संस्थाओं से सम्पर्क कर सकें जिनके पास परिणाम अधिसूचनाओं को नोटिस बोर्ड पर दिखाने के लिए भेजा जाता है। परिणाम अधिसूचनाओं को प्रतियों को प्रचार कार्य के लिए विशेष सूचना व्यूरो, समाचार, युववाणी और युवक बुलैटिन को भी भेजा जाता है।

गुजरांवाला गृह निर्माण सहकारी समिति, दिल्ली को लाभ और हानि

3025. श्री राम कंवार बेरवा : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 से अब तक की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के अनुसार गुजरांवाला गृह निर्माण सहकारी समिति, दिल्ली का वर्ष-वार कुल लाभ और हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) समिति की विकास निधि में कुल कितनी धनराशि जमा की गई है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि समिति द्वारा इस धनराशि का उपयोग भूमि के विकास के बजाय अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है कि उक्त धनराशि समिति के शेष सदस्यों के लिए भूमि का विकास करने के बजाए अन्य प्रयोजनों पर खर्च न की जाए ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बस्त) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

राष्ट्रीय बीज परियोजना

3026. श्री एस० आर० दामाणी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक की सहायता से स्थापित की गई राष्ट्रीय बीज परियोजना के बारे में पूर्ण तथ्य क्या हैं;

(ख) इस परियोजना के अन्तर्गत अब तक क्या कार्य हुआ है, और

(ग) क्या कृषि मंत्रालय तथा योजना आयोग अब इसके हक में नहीं है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क), (ख) और (ग) : पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में राज्य बीज निगमों को स्थापना करने अथवा उन्हें सहायता पहुंचाने के लिए सहायक सुविधाओं, कार्यक्रमों के विषय में एक प्रस्ताव विश्व बैंक को भेजा गया था ।

इस परियोजना का उद्देश्य राज्य बीमा निगमों द्वारा शेयर धारक उत्पादकों के सक्रिय सहयोग से विभिन्न सुविधाओं वाले संहत क्षेत्रों में अधिप्रमाणित बीजों का उत्पादन करना है । यह राज्य में उपयोग में लाने तथा अन्य राज्यों में भी बेचने के लिए अभिजात धान्यों तथा अन्य प्रमुख फसलों के बीजों का उत्पादन करेगी । यह अधिप्रमाणित बीजों का उत्पादन करने/परिसंस्करण करने वाले व्यक्तियों एवं सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन देगी । यह परियोजना आने वाले वर्षों में बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए बीजों के उत्पादन, परिसंस्करण, ग्रुप नियंत्रण, संचयन और विपणन के लिए आवश्यक अवस्थापन सम्बन्धी सुविधाओं का सृजन करने/बढ़ाने/सुदृढ़ करने के लिए धनराशि प्रदान करेगी । परियोजना के प्रस्तावों का विश्व बैंक द्वारा मूल्यांकन और विचार-विमर्श पर विचार किया गया था । योजना आयोग और वित्त मंत्रालय द्वारा भी इन प्रस्तावों पर विचार किया गया । उनके विचारों को दृष्टिगत रखते हुए संशोधित परियोजना पर भारत सरकार विचार कर रही है ।

भवन निर्माण पर लगाये गये प्रतिबन्धों को हटाया जाना

3027. श्री बयालार रवि :

श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

श्री के० कुन्हम्बू :

क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भवन निर्माण पर प्रतिबन्ध लगा दिये जाने के कारण देश में यह कार्य बहुत धीमा पड़ गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भवन निर्माण पर लगाये गये प्रतिबन्धों को हटाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) भवन निर्माण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाये गये हैं। तथापि, नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 के बनने के तत्काल बाद, सारे देश में भवन निर्माण की गतिविधि धीमी हो गई।

(ख) तथा (ग) : नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम के उल्लंघन किए बिना भवन-निर्माण गतिविधि को प्रोत्साहन देने के लिए अपेक्षित प्रशासनिक उपायों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम के मार्ग निर्देशों का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

त्रिलोकी कालोनी, दिल्ली में विकास-कार्य

3028. श्री कचरू लाल हेमराज जैन : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिलोकी कालोनी (बापू पार्क) कोटला मुबारकपुर दिल्ली, के अधिगृहीत क्षेत्र में विकास कार्य की प्रगति का व्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अधिगृहीत क्षेत्र का विकास कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है;

(ग) क्या उक्त कालोनी के गैर-अधिगृहीत क्षेत्र का विकास-कार्य करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस गैर-अधिगृहीत क्षेत्र का किस प्रकार विकास करने का प्रस्ताव है, विशेष रूप से जब कि कालोनाइजर ने प्लॉट, मकान मालिकों की उपेक्षा करते हुए दस साल से अधिक समय में भी विकास कार्य पूरा नहीं किया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) त्रिलोकी कालोनी (बापू पार्क) कोटला मुबारकपुर नामक अर्जित क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं चल रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Admissions in Engineering Colleges

3029. Shri Ishwar Choudhary : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state :

(a) whether it has been decided that only those students are to be given admissions in Engineering Colleges who have passed Higher Secondary examination with English as main subject ;

(b) whether students passing with Hindi and other languages will be deprived of the facility ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) :
(a) No such decision has been taken by the All India Council for Technical Education on the Central Government.

(b) and (c) : Does not arise.

अनिर्णीत अन्तर्राज्यीय जल विवाद

3030. श्री सी० के० चन्द्रपन : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कई दशान्दियों से अनिर्णीत पड़े अन्तर्राज्यीय जल विवादों को निपटाने के लिए कोई नये कदम उठाने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) सरकार का दृष्टिकोण यह रहा है कि जल-विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाया जाए। इस दिशा में प्रयत्नों को भविष्य में जोरदार बनाए जाने का प्रस्ताव है। सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से जल-विवादों को शीघ्रता से तय करने के उपयुक्त तरीके भी निकालने की इच्छुक है।

(ख) इस मामले की जांच की जा रही है।

दिल्ली में पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी समितियां जिन्हें भूमि नहीं दी गई

3031. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में ऐसी कितनी पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं जिनको अब तक भूमि आवंटित नहीं की गई है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

Cultivation of Lac in Ranchi District

3032. Shri Karia Munda : Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) whether Government are aware that thousands of farmers are engaged in the Cultivation of lac in Ranchi district ;

(b) whether Government have any proposal for ensuring full consumption of lac and setting up a special industry therefor ;

(c) whether Government propose to set up a lac industry in Ranchi, and

(d) whether Government propose to make such arrangements under which lac produced in Ranchi district may be fully utilised as raw material in the lac industry in the country.

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) - (a) Yes, Sir.

(b) to (d) : The Government of India have no proposal at present for setting up any special industry with lac as the raw material, either in Ranchi or elsewhere in the country.

अनधिकृत तथा गैर-मंजूरशुदा स्कूलों के बारे में सर्वेक्षण

3033. श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अनधिकृत तथा गैर-मंजूरशुदा स्कूलों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि विशेष रूप से गैर-सरकारी प्राथमिक स्कूलों में खर्चा बहुत अधिक पड़ता है और उनका प्रबन्ध भी सन्तोषजनक नहीं है।?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (श्री प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) केवल गैर-मंजूरशुदा स्कूलों को छोड़कर अनधिकृत स्कूलों के रूप में ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं है। हैदराबाद, सिकन्दराबाद और दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा नमूना अध्ययन प्रारम्भ किया गया था तथा राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने तीसरे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षणों में गैर-मंजूरशुदा स्कूलों के बारे में सूचना एकत्र करने का भी प्रयास किया था, लेकिन इन संस्थाओं की सूचना भेजने की जिम्मेदारी न होने के कारण इसे पूरा नहीं कहा जा सकता है।

(ख) तीसरे अखिल भारतीय शैक्षिक व सर्वेक्षण के अधीन राज्यों संघ क्षेत्रों द्वारा गैर-मंजूरशुदा स्कूलों और दाखिला की संख्या के बारे में भेजी गई सूचना संलग्न है।
[ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 662 77]

(ग) सामान्यतः यह सही है कि गैर सरकारी प्रबन्धों द्वारा चलाए जा रहे प्राथमिक स्कूल सरकारी स्कूलों की तुलना में खर्चीले हैं, लेकिन उनका प्रबन्ध संतोषजनक नहीं है, इस प्रकार का सामान्य वक्तव्य देना संभव नहीं है।

दिल्ली में भूतपूर्व कार्यकारी पार्षदों के पास सरकारी आवास

3034. श्री अनन्त दबे : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के उन भूतपूर्व कार्यकारी पार्षदों के नाम क्या हैं, जिनके पास अब भी सरकारी आवास हैं;

(ख) उनमें से प्रत्येक से कितना मासिक किराया लिया जा रहा है तथा ऐसे प्रत्येक कार्यकारी पार्षद कब से बाजार दर पर किराया देने के उपरान्त इन आवासों में रह रहे हैं; और

(ग) इन व्यक्तियों से सरकारी स्थान बेदखली अधिनियम के अन्तर्गत आवक खाली कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली के निम्नलिखित भूतपूर्व कार्यकारी पार्षद अभी भी सरकारी वास के दखल में हैं :—

1. श्री राधा रमण
2. श्री मांगे राम
3. श्री ओ० पी० बहल ।

(ख) श्री मांगेराम को 4 मई, 1975 से 923 रुपये प्रतिमाह की दर से मार्किट किराया देना पड़ेगा । अन्य दो को 6 मई, 1977 से मार्किट किराया देना पड़ेगा जिसकी दरें अभी निर्धारित की जा रही हैं ।

(ग) तीनों के विरुद्ध लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली), अधिनियम, 1971 के अधीन बेदखली की कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है ।

मार्डन बैकरीज ईडपल्ली के कर्मचारियों की मांगें

3035. श्री के० ए० राजन : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईडपल्ली स्थित मार्डन बैकरीज के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में इस वर्ष 3 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल आरम्भ कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं तथा इस विवाद को निबटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) मांगों और प्रबन्ध द्वारा इस विवाद को हल करने के लिए किए गए उपायों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

मार्डन बैकरीज कर्मचारी संघ के कोचीन यूनिट की निम्नलिखित मुख्य-मुख्य मांगें हैं :—

- (1) कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन करना ।
- (2) मंहगाई भत्ते, मकान किराया भत्ते, परिवहन सम्बन्धी राजसहायता कैटीन सम्बन्धी राज-सहायता और कई एक अन्य भत्तों में वृद्धि करना और नगर भत्ते का भी भुगतान करना ।
- (3) कार्यालय स्टाफ के कार्य-समय में परिवर्तन करना, आकस्मिक अवकाश, छुट्टियों आदि में वृद्धि करना ।

(4) पदोन्नति नीति को शुरू करना और कुछेक वर्षों की सेवा करने के बाद पदोन्नति देना और प्रोत्साहन बोनस शुरू करना।

(5) आवास निर्माण ऋण और बच्चों के लिए शैक्षणिक भत्ता देना।

2. इस विवाद को हल करने के लिए समझौता करने के बारे में कार्यवाही की गई थी लेकिन बातचीत विफल हो गई थी। उसके बाद कोचीन से कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की गई थी जिसका कोई परिणाम नहीं निकला था। निदेशक बोर्ड ने एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की है ताकि वे कर्मचारियों की यूनियन/फ़ैडरेशन के प्रतिनिधियों के साथ उनकी मांगों के घोषणा पत्र के बारे में आगे बातचीत करें और इस सम्बन्ध में बातचीत अभी भी चल रही है।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

3036. श्री पी राजगोपाल नायडू : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की कितनी सिंचाई परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक द्वारा सहायता दी जा रही है; और

(ख) परियोजनाओं के नाम क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश की दो बृहद् सिंचाई परियोजनाओं अर्थात् गोदावरी बराज और नागार्जुनसागर परियोजना को विश्व बैंक से ऋण सहायता प्राप्त हो रही है। नागार्जुनसागर परियोजना को सहायता के करार में कमान क्षेत्र विकास भी शामिल है।

विश्व बैंक निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए भी ऋण सहायता प्रदान कर रहा है:

- (i) राजस्थान नहर कमान क्षेत्र विकास
- (ii) चम्बल कमान क्षेत्र (मध्य प्रदेश)
- (iii) चम्बल कमान क्षेत्र (राजस्थान)

लघु सिंचाई सम्बन्धी निर्माण-कार्य आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की ऋण-परियोजनाओं के भाग हैं।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसीडेंट का निष्कासन

3037. श्री समर मुखर्जी : : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के उप कुलपति ने शिक्षा परिषद् के पदेन सदस्य के रूप में परिषद् की बैठक में आने के अपने अधिकार

का उपयोग करके स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसीडेंट, श्री डी० पी० त्रिपाठी को विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया था;

(ख) क्या सरकार का विचार उप कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के शैक्षिक मानकों के उल्लंघन के बारे में जांच करने का है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक इस बारे में क्या कदम उठाए गये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अवधि 22 अक्टूबर, 1975 को समाप्त हो गई थी। अतः जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष द्वारा अधिक अधिकृत शिक्षा परिषद को पदेन सदस्यता भी उसी तारीख को समाप्त हो गई थी। छात्र संघ के अवकाश प्राप्त अध्यक्ष श्री डी० पी० त्रिपाठी को तदनुसार, 6 नवम्बर, 1975 को उन्हें इस बात से सूचित कर दिया गया था जब 7 नवम्बर, 1975 को अपराह्न 4.00 बजे अपना कार्य प्रारम्भ करने हेतु शिक्षा परिषद की बैठक हुई तो श्री त्रिपाठी ने आकर एक स्थान ग्रहण कर लिया और अध्यक्ष द्वारा परिषद की बैठक से उनसे चले जाने के लिए बार-बार आग्रह करने पर भी वह अशान्ति फैलाते रहे। तत्पश्चात् अपराह्न लगभग 4.45 बजे उन्होंने अपने 25 समर्थक इकठ्ठे कर लिए और शिक्षण परिषद की बैठक के स्थान के पास नारे लगाने लगे परिणामतः कुलपति ने विश्वविद्यालय के रौल से तत्काल छः महीने की अवधि के लिए उनके निलम्बन का आदेश जारी कर दिए।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कालेज के प्राध्यापकों के लिए सेवानिवृत्ति की समान आयु

3038. श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को देश में कालेजों के सभी प्राध्यापकों के लिए सेवा निवृत्ति की समान आयु रखने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) वेतनमानों के संशोधन की योजना में जो राज्य सरकारों को भेजी गई थी, वह सुझाव दिया गया था कि अध्यापकों और प्रचार्यों की सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष होनी चाहिए और अन्तिम निर्णय लेने का प्रश्न राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया था जो के इस मामले में सक्षम प्राधिकारी हैं। क्योंकि कालेजों के अनुरक्षण की अन्तिम जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, इसलिए इस मामले में निर्णय लेना उन पर छोड़ दिया गया है।

Amount allocated to Gujarat for Construction of Houses

3039. Shri Dharamsinh Bhai Patel :
Shri Ahmed M. Patel:

Will the Minister of Works and housing and Supply and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the amount of allocated to Gujarat Government for construction of houses during 1975-76 and 1976-77 and the expenditure incurred by Gujarat Government thereon during 1975-76 and 1976-77 ; and

(b) the expenditure proposed to be incurred by Gujarat Government on the construction of houses during 1977-78 indicating the number of houses to be constructed ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) :

(a) For the years 1975-76 and 1976-77, the plan outlays for Gujarat under 'Housing' were Rs. 543 lakhs and Rs. 419 lakhs respectively. The expenditure for 1975-76 was Rs. 872 lakhs and the anticipated expenditure for 1976-77 was Rs. 801 lakhs. Besides, Housing and Urban Development Corporation had sanctioned loans aggregating Rs. 466.53 lakhs and Rs. 910.097 lakhs to the various Housing Agencies in the State of Gujarat during 1975-76 and 1976-77 respectively. Against the sanctioned loans, Housing and Urban Development Corporation released Rs. 398.43 lakhs during 1975-76 and Rs. 266.48 lakhs during 1976-77.

(b) For the year 1977-78, the plan outlay for housing for Gujarat is Rs. 865 lakhs. The Government of Gujarat have not furnished information about the number of houses to be constructed during 1977-78. During the current year (upto 30-6-1977) the Housing and Urban Development Corporation has sanctioned loans amounting to Rs. 106.12 lakhs for construction of 450 dwelling units and the amount released is Rs. 17.88 lakhs.

केरल में भारतीय बागान निगम के अन्तर्गत एक गौण निगम

3040. श्री एम० एन० गोविन्दन नायर :

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बागान निगम ने केरल में 30,000 एकड़ भूमि पर काजू की खेती का विस्तार करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नई योजना के उद्देश्य के लिये बागान निगम के अधीन एक नये गौण निगम की स्थापना करने का विचार है; और

(ग) क्या राज्य सरकार अथवा उक्त निगम ने इस योजना के लिये केन्द्र सरकार से किसी वित्तीय सहायता की मांग की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) ऐसी कोई योजना किसी निगम ने तैयार नहीं की है । तथापि देश में कच्चे काजू के उत्पादन में वृद्धि लाने की अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों में 85,000 हैक्टर की गैर-सरकारी भूमि और 60,000 हैक्टर की सरकारी भूमि में काजू के बागान लगाने के लिए स्वयं एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना बनाकर स्वीकृति की है ।

इस योजना के अन्तर्गत केरल में छः वर्ष की अवधि में क्रमिक रूप से 25,000 हैक्टर निजी भूमि एवं 10,000 हैक्टर सरकारी भूमि में काजू के बाग लगाने के लिए राज सहायता के रूप में केरल सरकार को कुल 1.25 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मंजूर की गयी है ।

गन्ने की खेती के अधीन भूमि

3041. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974-75, 1975-76 और 1976-77 में प्रत्येक राज्य में कितने एकड़ भूमि में गन्ने की खेती की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : 1974-75 तथा 1975-76 के दौरान गन्ने के अन्तर्गत राज्यवार क्षेत्र के अनुमानों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है। 1976-77 के दौरान गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र के पक्के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, प्रारम्भिक अनुमानों के आधार पर विभिन्न राज्यों में 1975-76 की तुलना में 1976-77 में गन्ने के क्षेत्र में होने वाली सम्भावित वृद्धि या कमी की सूचना संलग्न विवरण में दे दी गई है।

विवरण

1974-75 तथा 1975-76 के दौरान गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र के अनुमान और 1975-76 की तुलना में 1976-77 में सम्भावित परिवर्तन।

राज्य	क्षेत्र (हजार हेक्टर)		1975-76 की तुलना में 1976-77 में सम्भावित वृद्धि (+) अथवा कमी (-) (प्रतिशत)*
	1974-75	1975-76	
आंध्र प्रदेश	195.1	135.6	(-) 6.9
असम	41.9	41.2	(+) 10.1
बिहार	140.7	133.7	(+) 7.4
गुजरात	40.8	37.7	(+) 38.2
हरियाणा	161.4	159.0	(+) 6.1
कर्नाटक	124.1	131.3	(-) 3.7
केरल	9.5	9.4	(-) 1.0
मध्य प्रदेश	80.7	69.1	(+) 5.0
महाराष्ट्र	185.2	216.8	(+) 26.5
उड़ीसा	44.0	46.0	(+) 3.0
पंजाब	123.0	115.0	(-) 5.6
राजस्थान	51.3	40.1	(+) 4.4
तमिलनाडु	160.4	154.9	(+) 3.3
उत्तर प्रदेश	1491.5	1450.4	(+) 0.6
पश्चिम बंगाल	29.0	29.3	(+) 5.4
अन्य	15.6	20.2	(+) 2.2
अखिल भारत	2894.2	2789.7	(+) 3.0

*यह गन्ने के अखिल भारतीय द्वितीय अनुमान, 1976-77, जिसके अन्तर्गत, अक्टूबर, 1976 के मध्य तक की अवधि आती है, में दिए गए प्रारम्भिक आंकड़ों पर आधारित है।

पट्टे पर भूमि के आवंटन के आधार की पुरानी प्रथा को 'फ्री-होल्ड' पर आवंटन के आधार की प्रथा में बदलना

3042. श्री रामा नन्द तिवारी : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पट्टे पर भूमि के आवंटन के आधार की पुरानी प्रथा को 'फ्री-होल्ड' पर आवंटन के आधार की प्रथा में बदलने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच नहीं है कि ऐसे कदम से भूमि के मूल्य बढ़ जायेंगे; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर वल्लभ) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया जायेगा ।

उर्वरक का आयात और वितरण

3043. श्री अहमद एम० पटेल : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत उर्वरक निगम ने तीन वर्षों के दौरान वर्षवार, कुल कितने उर्वरक का आयात किया;

(ख) राज्य को आयातित उर्वरक के वितरण का तरीका क्या है; और

(ग) गुजरात राज्य को गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार, कितना उर्वरक सप्लाई किया गया ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) उर्वरक निगम उर्वरकों का आयात नहीं करता है । ये भारत सरकार द्वारा आयात किये जाते हैं । बन्दरगाहों गैर-पोटाशीय उर्वरकों की व्यवस्था भारतीय खाद्य निगम करता है तथा पोटाशीय उर्वरकों की व्यवस्था भारतीय पोटाश लिमिटेड करता है ।

जलयानों के ठहरने के स्थानों के अनुसार, वर्ष 1974-75 से 1976-77 के दौरान उर्वरकों की निम्नलिखित मात्रा का आयात किया गया ।

(आंकड़े मीटरी टनों में)

वर्ष	सामग्री की कुल मात्रा	एन०	पी० (के रूप में)	के०
1974-75	34,50,563	8,83,773	2,80,997	4,37,218
1975-76	32,52,199	9,50,394	3,36,805	2,67,143
1976-77	21,40,662	7,49,984	22,768	2,77,803

(ख) खाद डालने के प्रत्येक मौसम अर्थात् खरीफ या रबी के आरम्भ होने से पहले राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और जिन्स बोर्डों की निवल आवश्यकताओं का निर्धारण करने के पश्चात् स्वदेशी तथा आयातित उर्वरक के लिये एक समेकित सम्भरण योजना तैयार की जाती है । इस सम्भरण योजना के अन्तर्गत

पहले स्वदेशी उत्पादन को विभिन्न राज्यों को आवंटित किया जाता है। निवल आवश्यकताओं और मौसम के दौरान अनुमानित स्वदेशी उत्पादन के बीच के अन्तर को आयातित उर्वरकों से पूरा किया जाता है। पोटाशीय उर्वरक अर्थात् पोटाशा म्यूरिएट तथा पोटाश सल्फेट पूर्णतः विदेशों से आयात किये जाते हैं तथा मेसर्स भारतीय पोटाश लिमिटेड द्वारा वितरित किये जाते हैं। गैर पोटाशीय उर्वरक, सम्भरण योजना के अनुसार, राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और जिन्स बोर्डों को आवंटित किये जाते हैं जो इसे अपनी ओर से, सस्थागत एजेंसियों और गैर सरकारी पार्टियों को पुनः आवंटित करते हैं। राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों जिन्स बोर्डों द्वारा किये गए पुनः आवंटन के आधार पर प्रेषण करने की हिदायतें दी जाती हैं तथा पुनः आवंटितियों द्वारा वित्तीय व्यवस्था की जाती है। भारतीय खाद्य निगम इन उर्वरकों की सप्लाई करता है।

(ग) वर्ष 1974-75 से 1976-77 के दौरान केन्द्रीय उर्वरक पूल द्वारा गुजरात राज्य को पोषक तत्वों के अनुसार, उर्वरकों की निम्नलिखित मात्राएं दी गई थीं --

(आंकड़े मीटरी टनों में)

वर्ष	एन०	पी० (के रूप में)	के०
1974-75	28,685	14,924	74
1975-76	3,594	705	--
1976-77	13,275	915	9

पूल द्वारा दिये गए काम्पलेक्स उर्वरकों में के० की ऊपर दी गई मात्रा मौजूद थी। अंतिम तीन वर्षों के दौरान राज्य की खपत के लिए निम्नलिखित शेष पोटाश भारतीय पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से और काम्पलेक्स विनिर्माताओं (काम्पलेक्स के रूप में) और मिश्रण करने वाले/ग्रेन्यूलेशन एक्कों के जरिए सप्लाई किया गया।

(मीटरी टनों में)

1974-75	12,590
1975-76	6,840
1976-77	13,270

आन्ध्र प्रदेश में नगरीय विकास के लिए धन का आवंटन

3044. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को आन्ध्र प्रदेश सरकार से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य में नगरीय विकास के लिये धन के आवंटन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने 1977-78 के राज्य वार्षिक प्लान प्रस्ताव में नगरीय विकास के लिए 246 लाख रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया था, और वार्तालाप के बाद, योजना आयोग में 230 लाख रुपए के परिव्यय का अनुमोदन किया था और इसका नियतन राज्य सरकार की इच्छा पर छोड़ दिया था। इस परिव्यय में गन्दी बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार पर 74 लाख रुपए का निर्धारित परिव्यय शामिल है जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का एक अंग है।

इस के अतिरिक्त, राज्य सरकार ने हैदराबाद और विशाखापटनम नगरीय क्षेत्रों के लिए समेकित नगर विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत और हैदराबाद सिकन्दराबाद नगर के लिए छः सूत्री फार्मूला कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाएं हाथ में लेने के लिए सहायता हेतु प्रस्ताव भेजे हैं। उन्होंने हैदराबाद सिकन्दराबाद के लिए 577.70 लाख रुपए और विशाखापटनम के लिए 207.84 लाख रुपए के कुल कार्यक्रम के समर्थन में केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया है।

राज्य सरकार को सहायता देना इस बात पर निर्भर करता है कि चल रही योजनाओं में कितनी प्रगति हुई है।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के दौरान आरम्भ की गई परियोजनाओं का पूरा किया जाया

3045. श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के दौरान महिलाओं तथा बच्चों के कल्याणार्थ जो परियोजनाएं आरम्भ की गई थीं वे पूरी हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो किन परियोजनाओं पर अभी काम चल रहा है तथा सरकार का उन्हें कब तक पूरा करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) तथा (ख) अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष से सम्बद्ध राष्ट्रीय समिति ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के लिए जो कार्यक्रम तैयार किया था वह मुख्यतया राष्ट्रीय जन बोध अभियान के सम्बन्ध में था ताकि लोगों के सभी वर्ग महिलाओं के कार्य और अधिकारों को मान लें और समझ लें। लोगों को शिक्षित करना और उनकी मनोवृत्तियों को बदलना पेचीदा तथा लम्बी प्रक्रिया है और यह काम जारी है।

2. अलबत्ता अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में नीचे दी गई कुछ परियोजनाएं शुरू की गई थीं :—

(1) 15-45 वर्ष के आयुवर्ग में महिलाओं के लिए कार्यात्मक साक्षरता। समेकित बाल विकास सेवाओं की प्रयोगात्मक योजना में महिलाओं के लिए कार्यात्मक साक्षरता की एक योजना को कार्यान्वित करने की चेष्टा करने का निर्णय किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य और पोषाहार, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा अनुपूरक आय के कार्यक्रमों, जैसे कि रसोई बाशबानी, मुर्गी पालन, पशुपालन इत्यादि को चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना को इस समय 31 परियोजना क्षेत्रों में 2628 केन्द्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। बताया जाता है कि 1976-77 में इस योजना के अन्तर्गत 43168 महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1977-78 में इस योजना के लिए 57.50 लाख रुपए की धनराशि की व्यवस्था की गई है। 1976-77 में इस योजना पर 22.25 लाख रुपए की धनराशि खर्च की गई थी।

(2) श्रमजीवी महिलाओं के लिए होस्टलों के निर्माण के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देने की योजना जनवरी, 1975 में उदाहरण के लिए दी गई थी। केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्माण के लिए दी जाने वाली सहायता की मात्रा को जनवरी, 1975 से 60% से बढ़ाकर 75% कर दिया गया था और यह ढंग अब भी जारी है। श्रमजीवी महिलाओं के लिए होस्टलों की योजना पर खर्च 1974-75 में 52.40 लाख रुपए हुआ था जो 1975-76 और 1976-77 में बढ़कर क्रमशः 81.80 लाख रुपए तथा 90.04 लाख रुपए हो गया। 1977-78 के लिए 161.50 लाख रुपए की धनराशि की व्यवस्था की गई है।

(3) श्रमजीवी और बीमार माताओं के बच्चों के लिए शिशुकेन्द्रों की व्यवस्था करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देने की योजना अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में अन्तिम रूप से तैयार कर ली गई थी। 1976-77 में 19050 लाभार्थियों (बच्चों) को शिशु केन्द्रों की सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहायता के रूप में 25 लाख रुपए की रकम मंजूर की गई थी।

वेश्यावृत्ति निषेध

3046. श्री सौगत राय : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में वेश्यावृत्ति निषेध का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इन वेश्याओं के पुनर्वास की क्या योजनाएँ हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उपरि कृष्णा परियोजना के लिए विश्व बैंक सहायता

3047. श्री राजशेखर कोलूर :

श्री तुलसी दास दासप्पा :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच कर्नाटक स्थित उपरि कृष्णा परियोजना के लिए विश्व बैंक सहायता के बारे में चल रही वार्ता में कोई प्रगति हुई है;

(ख) क्या भारत सरकार उपरि कृष्णा परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए पर्याप्त सहायता दे रही है; और

(ग) यदि हां, तो कब और कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) अपर कृष्णा परियोजना का विश्व बैंक के एक मूल्यांकन दल द्वारा सितम्बर, 1977 में दौरा करने की संभावना है।

(ख) और (ग) इस परियोजना के निर्माण-कार्यों की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से कर्नाटक सरकार को 1976-77 में दो करोड़ रुपए की अग्रिम योजना सहायता दी गई थी।

Illness of a Young Elephant "Sunderkali"

3049. Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

- (a) whether Government are aware that a young elephant 'Sunderkali' has been ailing with a fractured foreleg ;
- (b) if so, steps Government have taken to save her life ;
- (c) whether doctors from Hissar are hopeful for her life but no help comes from Central Government ; and
- (d) whether Government have contacted the Defence Ministry for sending the crane required by the doctor ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Yes, Sir.

(b) The elephant 'Sunderkali' was owned by a Private Firm which approached the Director, Delhi Zoological Park on 25-6-77 to examine the elephant. The elephant was immediately examined by the Zoo authorities, including the Hon. Veterinary adviser to the Zoo, and it was suggested to the Firm that mercy killing was the only answer in such cases where a leg was found to have a compound fracture which could not be cured at that late stage. The elephant has since died.

(c) The Government has no report on the Hissar Doctor's observations.

(d) Yes, Sir.

Levy of House Tax in C.S.P. Colonies in Delhi

3050. Shri Ram Naresh Kushwaha : Will the Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation be pleased to state :

- (a) whether all the four Communities Service Personnel Colonies have been given to Delhi Municipal Corporation and the Corporation has levied house tax on the residents of these colonies ;
- (b) whether the residents of these colonies are not yet owners of the houses and are making payment to Delhi Development Authority on monthly instalment basis; and
- (c) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikandar Bakht) : (a) The exact position regarding taking over of the Colonies by Municipal Corporation of Delhi is being ascertained. It is reported that Municipal Corporation is levying house tax on their properties.

(b) The allotment of these houses was made on hire-purchase basis by DDA. According to D.D.A. regulations conveyance deed will be executed after all the monthly instalment payments have been made.

(c) In view of (b) above the question does not arise.

सुवर्णरेखा बहुदेशीय सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण परियोजना

3051. श्री एस० कुन्डु : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) सुवर्णरेखा बहुदेशीय सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण परियोजना का व्यौरा क्या है ;
- (ख) उड़ीसा में जालेश्वर में तथा सुवर्णरेखा नदी के अधिक निचले प्रवाह में बाढ़ का कितना जल रोका जाएगा ;

(ग) क्या इस नदी पर चांडिल में बांध का कोई निर्माण कार्य शुरू हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस योजना को मंजूरी दे दी गई है और बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल इन तीन राज्यों पर कितनी धनराशि का खर्च आयेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) बिहार की सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना में निम्नलिखित निर्माण कार्यों की परिकल्पना की गई है :—

- (1) सुवर्णरेखा नदी पर चांडिल के निकट एक चिनाई बांध ।
- (2) सरकई पर, जो स्वर्णरेखा की एक सहायक नदी है, इचा के निकट एक मिट्टी का बांध ।
- (3) दो बराज—एक सुवर्णरेखा नदी पर गलुडीह के निकट और दूसरा सरकई पर भुआ के निकट ।
- (4) दोनों बांधों और दोनों बराजों से नहर प्रणाली ।

इस स्कीम में, जिस पर 129 करोड़ रुपए के लागत आने का अनुमान है, 2.185 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई की, बिहार के क्षेत्रों में औद्योगिक और पीने के जल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमित जल सप्लाई करने की ओर बाढ़ की भीषणता को कम करने की, जिससे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों को लाभ होगा, परिकल्पना की गई है ।

(ख) 2,000 मिलियन घन मीटर के सकल जल संचय में से चांडिल जलाशय में लगभग 493 मिलियन घन मीटर बाढ़ के जल का संचय करने का प्रस्ताव है । सरकई के जलाशय में बाढ़ के जल के संचय की कोई व्यवस्था नहीं की गई है । यह अनुमान है कि ऐसी विरली स्थिति को छोड़कर, जब सुवर्णरेखा और सरकई दोनों में उच्चतम बाढ़ एक साथ आ जाए, जलेश्वर में 0.2 लाख क्यूसेक्स बाढ़ के जल को नियंत्रित किया जा सकेगा ।

(ग) इस परियोजना पर काम अभी शुरू नहीं हुआ है ।

(घ) इस परियोजना को स्वीकृति देने पर बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के सम्बद्ध राज्यों के बीच समझौता हो जाने के बाद विचार किया जाएगा । बिहार और उड़ीसा के बीच समझौता हो चुका है । बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ संयुक्त नदी बेसिनों, जिनमें सुवर्णरेखा बेसिन भी शामिल है, के उपयोग और विकास के बारे में इन राज्यों के बीच भी अधिकारियों के स्तर पर समझौता हो गया है । इन दोनों राज्यों और दामोदर घाटी निगम के साथ परामर्श करते हुए इसकी जांच की जा रही है क्योंकि इस समझौते में दामोदर नदी के जल के उपयोग और विकास की बात भी शामिल है । अन्तिम समझौता हो जाने पर वित्तीय पहलुओं पर फैसला किया जाएगा ।

कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड

3052. श्री आर० एल० कुरील : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने और उसे बनाये रखने के लिये सभी आवश्यक सावधानियां बरती हैं अथवा कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष) ने इस बारे में कोई निर्देश जारी किये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) जी हां, श्रीमन्, ये आदेश जारी कर दिये गये हैं कि कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल जो कि एक स्वतंत्र संस्था है और जिसकी नियुक्ति भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को सहायता करने के लिए की गयी है, को केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की ही प्रकार से माना जाय और इसके कार्य करने में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए ।

भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों का किसानों के साथ व्यवहार

3053. श्री चांद राम : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं की कीमतें सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से नीचे गिर गई हैं;

-(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी व्यापारियों के साथ सांठ-गांठ करके किसानों के गेहूं को अस्वीकार करके किसानों को धोखा दे रहे हैं, और कम कीमत पर व्यापारियों को खरीदने देते हैं; और

(ग) यदि हां, तो किसानों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए क्या उप-चारात्मक कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) सरकार द्वारा घोषित किए गए 110/- रुपये प्रति क्विंटल के सहाय्य मूल्य उचित औसत किस्म की गेहूं के लिए है और सरकारी वसूली एजेंसियां यह सुनिश्चित करती हैं कि उचित औसत किस्म की गेहूं के मूल्य स्तर से नीचे न गिरने पाये ।

(ख) और (ग) जी, नहीं । तथापि, भारतीय खाद्य निगम के वरिष्ठ अधिकारी वसूली कार्यों पर बराबर निगरानी रख रहे हैं ताकि उनके स्टाफ की किसी प्रकार के कदाचार करने का मौका ही न मिल सके ।

**Sugarcane-Arrears Outstanding Against Aurai Co-operative Sugar Mill,
Varanasi**

3054. Shri Narsingh Yadav : Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) the quantity of sugarcane purchased from farmers by Aurai Co-operative Sugar Mill, Varanasi, Uttar Pradesh during 1976-77 and 1977-78, the quantity of sugarcane for which prices have been paid to farmers and the number of farmers who have not been paid prices for their sugarcane the amount to be paid the reasons for not paying it and when it will be paid ;

(b) whether the mill is running in loss or in profit and if it is running in loss, the extent of loss being suffered by the mill every year; and

(c) the steps being taken to ensure that it runs in profit ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) :

(a) The quantity of sugarcane purchased by the Mill in 1976-77 is 8.95 lac quintals. 1977-78 season is yet to commence. Prices have been paid for 8.60 lac quintals. 904 farmers have not been paid prices for the sugarcane and the amount to be paid is Rs. 4.2 lacs. The reason for not paying is shortage of funds due to fall in prices of free sale sugar; it will be paid as soon as funds are arranged.

(b) It is running in losses. The Mills are working since the year 1971-72 and the extent of loss every year is as under :

Year	Loss in Lac Rs.
1971-72	35.64
1972-73	53.61
1973-74	61.27
1974-75	47.63
1975-76	43.86

242.01 (Prov. unaudited figure)

The above also includes provisions for depreciation on fixed assets of the Mills amounting to Rs. 112.21 lacs.

(c) Five-Year Intensive Cane Development Programme with special emphasis to increase irrigation potential, replacement of unapproved varieties of sugarcane and application of higher doses of fertilisers within 32 KM of the factory gate has been drawn and is being implemented to ensure normal requirements of sugarcanes for crush.

आई० आई० टी० दिल्ली में केन्द्र/स्कूल

3055. डा० रामजी सिंह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० आई० टी० दिल्ली के बोर्ड आफ गवर्नर्स द्वारा बनाए गए विभिन्न केन्द्रों/स्कूलों के क्या अलग-अलग बजट व्यवस्था है ;

(ख) व्यवहारिक अनुसन्धान की दृष्टि से उनकी राष्ट्र के लिए क्या उपलब्धि है ;

(ग) क्या इन केन्द्रों/स्कूलों के लिए यह प्रस्ताव है कि वे विदेशी दौरों का आदान प्रदान करें; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का आई० आई० टी० दिल्ली के विभिन्न विभागीय विभागाध्यक्षों द्वारा दिए गये योगदान का व्यौरा सभा पटल पर रखने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) इन केन्द्रों तथा स्कूलों में किए गए कार्य का उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स, माइक्रोवेव कम्पोनेन्ट्स, बायो-केमिक्स इंजीनियरिंग, रेडार सिस्टम्स, इन्स्ट्रुमेन्टेशन तथा बायो-मेडिकल इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में किया गया है।

(ग) ये केन्द्र/स्कूल अन्तर-विषयक अनुसंधान कार्यक्रम चलाते हैं। इन दो केन्द्रों के विकास के लिए स्वीस तथा नार्वे की सरकारों के साथ सहयोगात्मक कार्यक्रम हैं जिनमें एक दूसरे के यहां दौरा करना शामिल है। अन्य केन्द्रों तथा स्कूलों के मामले में एक दूसरे के यहां दौरा करने की जरूरत पर अन्य स्वीकृत कार्यक्रमों के अन्तर्गत ध्यान दिया जाता है।

(घ) इन विभागों/केन्द्रों/स्कूलों के प्रमुख एक विशिष्ट अवधि के लिए प्रोफेसरों में से नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के विभागाध्यक्षों तथा अन्य संकाय सदस्यों द्वारा वर्ष 1974-75, 1975-76 के दौरान प्रकाशित अनुसंधान पेपर्स तथा पुस्तकों का उल्लेख भारतीय

प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की 1974-75 और 1975-76 की वार्षिक रिपोर्टों में किया गया है जो क्रमशः 12-1-76 तथा 3-11-76 को सभा पटल पर रख दी गई थी।

विवरण

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली का शासी निकाय, केन्द्रों तथा स्कूलों के लिए प्रावधान की व्यवस्था करता है तथा जब कभी भी आवश्यकता पड़ती है धनराशि एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में पुनर्विनियोजित करता है। बोर्ड द्वारा वर्ष 1976-77 और 1977-78 के लिए किए गए प्रावधान की व्यवस्था निम्नलिखित हैं :—

केन्द्र/स्कूल का नाम	वर्ष 1976-77 के लिए आवंटन		वर्ष 1977-78 के लिए आवंटन	
	आवर्ती	अनावर्ती	आवर्ती	अनावर्ती
1. शक्ति अध्ययन केन्द्र .	—	—	12.00	30.00
2. प्रौद्योगिक ट्रायबोलोजी मशीन डायनामिक्स और अनुरक्षण इंजीनियरी केन्द्र .	1.50	3.50	1.55	3.50
3. बायो-केमिकल इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र .	2.21	1.43	2.48	1.20
4. बायो-मेडिकल इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र .	2.00	0.80	2.39	0.50
5. उपकरण डिजाइन विकास केन्द्र .	7.47	2.50	7.49	2.00
6. कंप्यूटर केन्द्र .	7.50	8.64	7.03	1.50
7. वस्तु विज्ञान केन्द्र प्रौद्योगिकी स्कूल	1.80	2.50	2.07	1.50
8. प्रक्रिया तथा प्रबन्ध अध्ययन स्कूल .	1.00	0.30	1.12	—
9. स्कूल आफ बायो-साइन्स	0.75	0.40	0.91	0.30
10. प्रयुक्त अनुसंधान इलेक्ट्रॉनिकल केन्द्र .	—	—	2.05	—

(धनराशि रक्षा मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय द्वारा उपलब्ध की जाती है।)

कृषक समाज को अनुदान

3056. श्री गणनाथ प्रधान : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1975-77 वित्तीय वर्ष की अवधि में विभिन्न राज्यों में 'कृषक समाज' को दिया गया कुल अनुदान कितना है ;

(ख) क्या इस अनुदान का उपयोग उचित प्रकार से किया गया है;

(ग) क्या सरकार को किसी राजनीतिक दल के विरुद्ध कोई ऐसी शिकायत मिली है कि उसने इस राशि का दुरुपयोग किया है; और

(घ) क्या उनके लेखों की नियमित रूप से लेखा परीक्षा की जाती रही है और यदि हां, तो उनमें क्या कोई अनियमितताएँ पाई गई हैं।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीतसिंह बरनाला) : (क) से (घ) तक राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Indian Lac Research Institute Namkum, Ranchi

3057. Shri R. L. P. Verma : Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) whether discontentment and panic is prevalent among the employees in the Indian Lac Research Institute, Namkum, Ranchi which is under Indian Council of Agriculture Research due to administrative mismanagement, favouritism and irregularities there with the result that research work has been disrupted ;

(b) whether some Adivasi employees in the said institute have been retired from a date one year earlier and whether it is in accordance with Government Service rules ;

(c) whether it is also a fact that a deceased employee, Shri Mahadeo Oraon, was retired from service from an earlier date after his death during service and his widow is being compelled to starve by non-payment of the amount in the Provident Fund account etc. of her husband for three years ;

(d) whether it is also a fact that the Director is getting his salary in contravention of the rules by misusing his office and power and is continuing in the institute even after the expiry of the term of his deputation ; and

(e) if answers to above parts be in the affirmative, whether Government would conduct an enquiry to put an end to the wide administrative corruption prevalent there ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Complaints about the affairs of the Lac Research Institute, Ranchi have been inquired into in detail. There is no mismanagement and there are no instances of favouritism and irregularities in that Institute. There is also no panic among the employees. A few employees are discontented on account of their transfers from the Institute and they are spreading false rumours and making incorrect allegations against the Director of the Institute as a result of which there appears to have been some adverse effect on the progress of research work there.

(b) No Adivasi or other employee of the Institute has been retired earlier than the due date of his superannuation and retirements have been done in accordance with the rules on the subject.

(c) Shri Mahadeo Oraon, a Mazdoor employed in the Institute, was to superannuate on 20-1-1974, but, as a result of mistake of the Office, continued in service up to 13-12-1974. His continuation in service beyond the date of superannuation has been regularised by the ICAR. The Provident Fund account has for some administrative delays not been settled so far.

The explanation of the officer responsible is being called for and necessary action will be taken against him. Instructions have also been issued to the Director to settle his Provident Fund and other accounts immediately.

(d) The Director was selected for the post by the A.S.R.B. in 1975 and was appointed to the post with the approval of the then Minister (A & I) in accordance with the rules of the ICAR. His pay was fixed in consultation with the Ministry of Finance and there has been no contravention of the rules in this regard. His term in the Institute has not expired.

(e) An enquiry has already been held. No corruption has been found to be prevalent in the Institute.

Construction of Embankment in Bihar

3058. Shri Chandradeo Prasad Verma : Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) whether a 104-kilometre long embankment is being constructed from Buxar to Koelwar in Bihar as a safeguard against the Ganga floods ;

(b) whether the construction work of the embankment has not been completed so far ;

(c) whether neither compensation has been paid so far for the land acquired for the purpose nor have the auctees been allotted land for the construction of their houses ;

(d) whether if the embankment is not completed before the rains set in, not only the raised earth for the embankment would be washed away, but the inhabitants of the surrounding villages would also suffer a heavy loss as a result thereof ; and

(e) if so, whether Government propose to complete the construction of the embankment before the river is in flood and also pay compensation and provide house sites to villagers ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) to (e). The State Government of Bihar have formulated a scheme for the construction of an embankment from Buxar to Koelwar at an estimated cost of Rs. 10.10 crores. The scheme envisages the construction of embankments—96 km. on the southern bank of Ganga, 11 km. along the West bank of Sone from its confluence with the Ganga upto Koelwar, 20 km. along both the banks of Ganga (West) and 38 km. along both the banks of Ganga (East). The scheme is expected to benefit an area of 79,000 hectares. This scheme was approved by the Planning Commission in May, 1973 and is under execution.

Buxar-Koelwar Embankment Scheme is now estimated to cost about Rs. 30 crores due to increase in the cost of labour and material. The State Government have informed that in view of this increase in the cost of the scheme and also on account of construction of emergent works of Patna Flood Protection Scheme, it has become necessary to readjust priorities in the construction of different reaches of the embankments as also between the two schemes. The work on Buxar-Koelwar scheme was started in 1973-74 and was expected to be completed in five years subject to availability of funds. However, due to paucity of funds an amount of Rs. 429 lakhs only could be spent upto 1976-77. The outlay proposed for 1977-78 is Rs. 200 lakhs. The scheme is now expected to be completed in 1980-81 subject to availability of funds. Such large embankments necessarily have to be constructed in stages and appropriate precautions and measures are taken for the safety of the works at intermediate stages of construction.

Since the planning and implementation of flood control schemes rests with the State Government, payment of compensation for land acquired and allotment of house sites to the affected people is the responsibility of the State Government. No information in this regard is available with the Centre.

Mother Tongue as Medium of Instruction

3059. Shri Hukumdeo Narain Yadav : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state whether Government plan to make mother tongue as medium of instructions for the uniform education system to be introduced throughout the country ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : There is no such plan. Education is primarily a State subject and it would be for the State Government to deal with this matter.

ट्रेक्टरों का आयात

3060. श्री पी०एम० सईद : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान सरकार का विचार ट्रेक्टरों की मांगों को पूरा करने के लिए उनका आयात करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो किस देश से और कितने ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

घरेलू उपयोग के लिए बिजली की सप्लाई

3061. श्री आर० के० अमीन : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुल्तानपुरी पुनर्वास कालोनी के निवासियों को घरेलू उपयोग के लिये बिजली सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तार बिछाने के काम को रोकने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार का कार्य पुनः कार्य आरम्भ करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) कार्य अभी आरम्भ नहीं किया गया क्योंकि वित्त व्यवस्था नहीं हो पाई ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि कार्य अभी आरम्भ नहीं किया गया ।

Fixation of rate of Empty Rice Bags by Rice Millers in Rajasthan

3062. **Shri Meetha Lal Patel :** Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) whether rice millers in Rajasthan fix the rate of empty rice bags at the rate of one quintal rice per bag in the case of levy rice while actually only 95 kilo rice is filled in one bag as per instructions of Government ;

(b) if so, whether Government propose to make good this payment to the farmers if not, the reasons therefor ; and

(c) whether this policy is followed in other levy realising States as well ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Rice millers in Rajasthan do not fix the rate for empty bags in which levy rice is sold by them. The per quintal rates for empty bags for rice delivered by the millers for the Central Pool are fixed quarterly by the Government taking into consideration the filling capacity of the gunny bags at 95 kg.

(b) Does not arise.

(c) This practice is also followed in most of the levy realising States.

कृषि भूमि की अधिकतम सीमा

3063. श्री धर्मवीर वशिष्ठ : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सरकार ने भूमि की अधिकतम सीमा पंजाब और हरियाणा कृषि विश्व-विद्यालयों सहित प्रमुख कृषि विशेषज्ञों की तकनीकी सलाह के आधार पर नहीं बल्कि अन्य आधारों पर निश्चित की थी ;

(ख) क्या कृषि भूमि की अधिकतम सीमा को कम करने के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त नीति पर पुनर्विचार करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) कृषि जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करना पूर्णतः राज्य सरकारों का काम है। तथापि, 1972 में हुए राज्यों के मुख्य मंत्रियों के एक सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने कृषि जोतों की अधिकतम सीमा के संबंध में राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये थे, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भूमि की विभिन्न श्रेणियों पर लागू होने वाली अधिकतम सीमा के विभिन्न स्तरों के बारे में सुझाव दिया गया था। मार्गदर्शी सिद्धांत बनाते समय सामाजिक और आर्थिक पहलुओं सहित समस्त संबंधित पहलुओं को भी ध्यान में रखा गया था। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि ये सिफारिशें राज्यों के मुख्य मंत्रियों की आम सहमति से की गई थीं, कृषि विशेषज्ञों (जिनमें पंजाब तथा हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ भी शामिल हैं) की विशेष सलाह लेना और उनकी जांच करना आवश्यक नहीं समझा गया।

(ख) तथा (ग) कृषि उत्पादन पर, बोये गये क्षेत्र, सिंचाई, उर्वरकों तथा सुधरे बीजों, कृषि आदानों, उन्नत टेक्नालोजी, भूमि सुधार, मूल्य नीति और मौसम आदि अनेक पहलुओं का प्रभाव पड़ता है। अतः कृषि भूमि की अधिकतम सीमा कम करने जैसे किसी अकेले पहलू के उत्पादन पर पड़ने वाले असर के बारे में सही-सही अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि 1972-73 से वर्षानुवर्ष आधार पर उतार-चढ़ाव होने के बावजूद कृषि उत्पादन में आमतौर पर वृद्धि की प्रवृत्ति रही है, जैसा कि नीचे लिखे आंकड़ों से प्रतीत होता है :—

कृषि उत्पादन का सूचकांक

(आधार = 1961-62 को समाप्त होने वाली—त्रिवार्षिक अवधि = 100)

1972-73	120.4
1973-74	133.3
1974-75	128.6
1975-76	148.6

(अभी 1976-77 के लिए उत्पादन के पक्के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, कुल उत्पादन में 1975-76 की तुलना में गिरावट की सम्भावना है। फिर भी, इसके पहले के अन्य किसी भी वर्ष के उत्पादन की तुलना में अधिक रहने की सम्भावना है।)

कृषि जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का मौलिक औचित्य भूमि संसाधनों का समान वितरण करना है। अनेक व्यक्तियों को जिनके पास कोई भूमि नहीं थी या कम भूमि थी अधिकतम सीमा निर्धारित करने से प्राप्त हुई फालतू भूमि अलाट की जानी थी ताकि वे अपनी आय में वृद्धि कर सकें। अधिकतम सीमा संबंधी कानून मूलतः सामाजिक न्याय का एक साधन है और उसका पुनरीक्षण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में अकाल की सी स्थिति

3064. श्री मनोरंजन भक्त : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि इस वर्ष फसल के पूरी तरह से न होने के कारण अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूहों के ग्रामीण क्षेत्रों में अकाल की सी स्थिति है; और यदि हां, तो किसानों को क्या सहायता दी गई है;

(ख) क्या मध्य (मिडिल) अन्दमान के बाकुलताला स्थान पर चावल पांच रुपये प्रति किलो बिक रहा है; और यदि हां, तो मूल्यों को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या गत वर्ष कृषि विभाग द्वारा सप्लाई की गई कीटनाशी औषधियां घटिया किस्म की थीं जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर फसल को कीड़ा लगा और जिस पर नियंत्रण नहीं किया जा सका; और यदि हां, तो इस वर्ष के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) से (ग) संघ राज्य प्रशासन से जानकारी मांगी गई है जिसकी अभी प्रतीक्षा है। उसके प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के लिए वन-निगम

3065. श्री मनोरंजन भक्त : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए वन-निगम के प्रस्ताव को शीघ्र क्रियान्वित करते का है; और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) वर्ष 1977-78 के दौरान आरम्भ किये जाने वाले कार्यक्रम का व्यौरा क्या है; और

(ग) क्या अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए प्रस्तावित बागान-निगम स्थापित किये जाते की आशा है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह वन तथा वन रोपण विकास निगम लिमिटेड प्रथम चरण में दो वर्षों के लिए 1.70 करोड़ रु० के स्वीकृत परिव्यय से कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जनवरी, 1977 में पहले ही स्थापित किया जा चुका है। इसका उद्देश्य द्वीपसमूह के वन संसाधनों का अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग करना, इमारती लकड़ी तथा अन्य वनोत्पादों का विपणन करना और कृत्रिम एवं प्राकृतिक पुनरुत्पादन करके कटाई किये गये क्षेत्रों में मूल्यवान किस्मों का रोपण करना तथा लकड़ी पर आधारित उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देना है।

(ख) 1977-78 के दौरान 15000 घन मीटर इमारती लकड़ी निकालने का प्रस्ताव है।

(ग) अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह वन तथा वन रोपण विकास निगम रोपण तथा वन से संबंधित कार्यों को संभालेगा। रेड आयल पामारोपण निगम स्थापित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। यह निगम उक्त अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह वन तथा वन रोपण विकास निगम का एक सहकारी संगठन होगा।

उड़ीसा में डेरी विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

3066. श्री के० प्रधानी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में डेरी विकास के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार तथा विश्व बैंक ने कितनी सहायता दी है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार से डेरी विकास के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि केन्द्रीय क्षेत्रयोजना के अन्तर्गत राज्य में डेरी विकास के लिए व्यवस्था मौजूद है।

‘प्रतिभा व साधन’ छात्रवृत्तियां

3067. श्री शंकर सिंहजी वाघेला : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेन्ट्रल बोर्ड आफ हायर सेकेण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा 1976 में प्रतिभावान छात्रों को वर्ष 1976-77 में कितनी ‘प्रतिभा व साधन’ छात्रवृत्तियां दीं;

(ख) यह छात्रवृत्ति प्राप्त छात्रों के क्या नाम हैं;

(ग) इस छात्रवृत्ति का क्या आधार है;

(घ) यह छात्रवृत्ति देने के लिए पात्रता निर्धारित करने का आधार क्या है; और

(ङ) क्या उन सभी छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि दे दी गई है जिनके लिए यह मंजूर की गई थी?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) राज्य सरकारों संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन के माध्यम से, शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 1976-77 में अब तक 70 छात्रों को योग्यता तथा साधन छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं। योग्यता तथा साधन के आधार पर, परीक्षा निकास, छात्रों का अन्तरिम चयन करती हैं और सूची राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को भेज देती हैं।

(ख) सूची संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-663/77]

(ग) स्कूल छोड़ने की अंतिम परीक्षा के परिणामस्वरूप योग्यता तथा साधन के आधार पर राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं और ये प्रथम स्नातक कोर्स तक प्राप्त हैं।

(घ) पात्रता की मुख्य कसौटी है :—

(i) माता-पिता की आय 500 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) उम्मीदवारों को कोई अन्य छात्रवृत्ति नहीं मिल रही होनी चाहिए।

(iii) उम्मीदवारों को भारत के मान्यता प्राप्त कालेजों, संस्थाओं में आगे की पढ़ाई के लिए कार्यशील होना चाहिए।

(ङ) छात्रवृत्ति की अदायगी की जिम्मेदारी उस राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन की होती है जिस क्षेत्र से छात्र ने परीक्षा उत्तीर्ण की हो जिसके आधार पर उसे छात्रवृत्ति दी गई है। वास्तविक अदायगी के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के नियम

3068. श्री शंकर सिंहजी बाघेला : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के नियम बदल दिए हैं ;
- (ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;
- (ग) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश पाने वालों की संख्या बहुत अधिक है; और
- (घ) क्या इन स्कूलों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और यदि हां, तो कितनी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां। इस शैक्षिक सत्र से केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए नियमों में संशोधन कर दिया गया है।

(ख) दाखिले की परीक्षा पास करने की शर्त के साथ, दाखिले के मानदण्ड यह हैं कि पिछले सात वर्षों में अभिभावक का कितनी बार तबादला हुआ है। रक्षा क्षेत्रों के असैनिकों के बच्चे और असैनिक क्षेत्रों में रक्षा कर्मचारियों के बच्चे इन स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं।

(ग) जी, हां। विशेषतौर से महानगरों में।

(घ) संगठन प्रत्येक वर्ष 12 नए केन्द्रीय विद्यालय खोलता है (8 रक्षा क्षेत्रों में और 4 असैनिक क्षेत्रों में) इस के अलावा भारत सरकार के उपक्रमों के परिसरों में भी केन्द्रीय विद्यालय खोले जाते हैं बशर्ते कि उपक्रम का सारा खर्च वहन करने को तैयार हो।

गुजरावाला गृह निर्माण सहकारी समिति, दिल्ली

3069. श्री रामकवर बेरवा : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 के बाद से प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को गुजरावाला गृह निर्माण सहकारी समिति के पास कितनी धनराशि थी, समिति ने प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि खर्च की तथा किस प्रयोजन हेतु खर्च की ;

(ख) भाग एक और भाग दो में भूमि के विकास पर कितनी धनराशि खर्च हुई और अतिरिक्त भूमि के विकास पर कितनी धनराशि खर्च की जायेगी; और

(ग) अतिरिक्त भूमि का विकास कार्य कब तक पूरा हो जाएगा और यह कब तक समिति के सदस्यों को आवंटित कर दी जाएगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

Corporation Schools taken over by Delhi Administration

†3070. Chowdhry Balbir Singh : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state :

- (a) the number of Delhi Corporation's Middle Schools taken over by the Delhi Administration ;
- (b) the number of teachers affected by this takeover ;
- (c) whether all the teachers have since been made permanent ; and
- (d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) 413.

(b) 3613 teachers.

(c) and (d) 3563 teachers are already permanent. The remaining cases of 50 teachers are under consideration.

कपास का उत्पादन

3071. श्री एस० आर० दामाणी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में कपास के उत्पादन के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और वास्तव में कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिए कोई समयबद्ध राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसको कैसे तथा कहाँ पर क्रियान्वित किया जा रहा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जानकारी नीचे दी गयी है:

वर्ष	लक्ष्य	उत्पादन
(170 किलोग्राम वाली गांठें—लाख में)		
1974-75	72.00	71.55
1975-76	72.00	61.01
1976-77	75.00	सरकारी अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाने और कपास के कुल उत्पादन में वृद्धि करने के विषय में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता देने की दृष्टि से सघन कपास जिला कार्यक्रम की एक

केन्द्रीय प्रायोजित योजना द्वारा क्रियान्वित की जा रही है ताकि पांचवीं योजना के अन्त तक 80 लाख गांठों के उत्पादन के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। पांचवीं योजना के दौरान यह स्कीम महत्वपूर्ण कपास उत्पादक राज्यों—पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चल रही है। इस स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए 100 प्रतिशत सहायता देने के साथ साथ भारत सरकार विनौला वर्धन कार्यक्रम को मजबूत बनाने, केन्द्र तथा आधारी बीजों के उत्पादन, संकर बीजों के उत्पादन, वनस्पति रक्षण उपकरणों, कपास श्रेणीकरण केन्द्रों, प्रदर्शनों आदि के लिए राजसहायता भी प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त पांचवीं योजना के दौरान विश्व बैंक की सहायता से पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में एक समेकित कपास विकास परियोजना भी क्रियान्वित की जा रही है। कपास, खाद्य तिलहन और दालों से संबंधित विशेष दल सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार वर्तमान मौसम के लिए विशेषकर लघु तथा सीमान्त कृषकों के लाभ के लिए कीटनाशी औषधियों के हवाई छिड़काव के परिचालनात्मक खर्चों के लिए समुचित राज सहायता देने की एक योजना पर विचार कर रही है। इसके अतिरिक्त मौजूदा सघन कपास जिला कार्यक्रम को प्रमुखतः मध्यम रेशे वाली कपास उगाने के लिए और सात नये वर्षा—सिंचित जिलों तक विस्तृत करने का प्रस्ताव है।

पी० एल०-480 के अन्तर्गत अनाज का आयात

3072. श्री वयालार रवि :

श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

श्री के० कुन्हम्बू :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पी० एल० 480 के अन्तर्गत अनाज का आयात बन्द करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) पी० एल० 480 के अन्तर्गत किये गये अनुबन्धों से अब तक कितने अनाज का आयात किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) चालू वर्ष में पी० एल०-480 प्रबन्ध के अधीन संयुक्त राज्य अमेरिका से खाद्यान्नों का आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) पी० एल०-480 के अधीन 1956 और 1976 के बीच लगभग कुल 594 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का आयात किया गया था।

बड़े शहरों में पटरियों पर रहने वाले निर्धन व्यक्ति

3073. श्री वयालार रवि :

श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

श्री के० कुन्हम्बू :

क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के बड़े शहरों में अभी भी लाखों निर्धन व्यक्ति पटरियों पर रह रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो शहरों (निगमों) में ऐसे निर्धन लोगों की अनुमानित संख्या कितनी है;

और

(ग) इन लोगों को आवास सुविधा प्रदान करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) शहरों में पटरियों पर रहने वालों के बारे में कोई अद्यतन आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) वास रहित लोगों को रैन बसेरे बनाकर वास देने की परियोजनाओं को बनाने में जैसे कि दिल्ली नगर निगम ने किया है, राज्य सरकारें तथा स्थानीय निकाय सक्षम हैं ।

लोनी आवासीय क्षेत्र में प्लाटधारियों को वैकल्पिक प्लाट

3074. श्री कचरुलाल हेमराज जैन : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन प्लाटधारियों को जिन्हें लोनी आवासीय क्षेत्र में प्लाट आवंटित हुये थे और जिनके मामले में भूमि के मूलस्वामियों से कुछ विवाद उत्पन्न हो गया है पीतमपुरा आवासीय क्षेत्र में प्लाट देने का विचार कर रही है जहां प्लाट उपलब्ध है और जहां प्लाटों के आवंटन के लिये आवेदन-पत्र मांगे गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं जबकि पीतमपुरा आवासीय योजना में प्लाट उपलब्ध है और निम्न आय वर्ग के ये लोग एक वर्ष से भी अधिक पहले से प्लाट का पूरा मूल्य अदा कर चुके हैं ; और उन्हें पट्टे भी दिये जा चुके हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) मामला विचाराधीन है ।

राष्ट्रीय बीज निगम में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति के लिये अभ्यावेदन

3075. श्री महीलाल : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री राष्ट्रीय बीज निगम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता के बारे में 20 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1002 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों ने पदोन्नति के लिये अभ्यावेदन दिये हैं और पदोन्नति के उपयुक्त अवसर उपलब्ध होने पर भी उनकी उपेक्षा की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री मुरजीत सिंह बरनाला) : (क) राष्ट्रीय बीज निगम के अनुसूचित जाति के दो कर्मचारियों ने पदोन्नति के लिए अभ्यावेदन दिए हैं। एक मामले में अनुसूचित जाति के एक कर्मचारी को पदोन्नति पर अहमदाबाद में तैनात किया गया था। उसने अभ्यावेदन दिया कि वह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस लिए इस पदोन्नति को कार्यरूप नहीं दिया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी इच्छा के मुताबिक किसी स्थान पर तैनात करना प्रशासनिक रूप से हमेशा सम्भव नहीं है। दूसरा अभ्यावेदन निगम के अनुसूचित जाति के एक कर्मचारी ने सहायक बीज अधिकारी के पद पर न चुने जाने के खिलाफ दिया था। कर्मचारी की परस्पर वरीयता को ध्यान में न रखते हुए भी नेक्स्ट लोअर ग्रेड के आधार पर इस श्रेणी के पदों पर पदोन्नति की जा सकती है, बशर्ते कि वह कतिपय निर्धारित मानकों पर पूरा नहीं उतरता हो। यह कर्मचारी इन मानकों पर पूरा नहीं उतरा। उसके मामले पर निम्नलिखित आधार पर विचार हो सकता है :—

1. उसका न्यूनतम मानकों पर पूरा उतरना।
2. सामान्य स्थिति में पर्याप्त वरीयता प्राप्त करना।

(ख) चूंकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के दावों और अभ्यावेदनों पर विधिवत विचार किया जाता है, अतः इस संबंध में प्रश्न ही नहीं उठता।

Cultural Scholarships to Students of Indian Origin Settled Abroad

†3076. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state :

(a) the number of cultural scholarships given at present to the students of Indian origin settled abroad indicating the country-wise number of such scholarships ; and

(b) the number of such students who have been admitted to Medical and Engineering Colleges indicating the names of the places these students come from as also the other facilities granted to them ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chander Chunder) : (a) and (b) Under the General Cultural, Commonwealth and Reciprocal Cultural Exchange Programmes, Scholarships are awarded to foreign students of certain specified countries in consultation with the Ministry of External Affairs. While the majority of the scholarship are earmarked for foreign student of indigenous origin some are awarded to students of Indian Origin permanently domiciled in these countries. Information in regard to the number of scholars studying at present in India and who are of Indian origin settled abroad is as under :—

S. No.	Name of the Country	Number of Cultural Scholarships given at present to the students of Indian Origin settled abroad	Number of such students who have been admitted to :	
			Engineering Colleges	Medical Colleges
1	2	3	4	5
1.	Barbados	1	—	1
2.	Canada;	1	—	—

1	2	3	4	5
3.	Srilanka (Ceylon)	9	5	—
4.	Fiji	15	5	8
5.	Guyana	15	—	12
6.	Kenya	4	—	4
7.	Malaysia	23	3	18
8.	Mauritius	45	10	15
9.	Singapore	7	3	—
10.	South Africa	30	1	28
11.	Tanzania	4	—	3
12.	Thailand	8	2	6
13.	Trinidad	1	—	1
14.	Uganda	1	—	1
15.	United Kingdom	1	—	—
TOTAL		165	29	97

The scholars are paid maintenance allowance @Rs. 400/- per month for under-graduate courses and @Rs. 500/- per month for Post-graduate courses. Besides, scholars are also granted other facilities like Actual Tuition Fee, Other Compulsory fees, Examination Fee, Book Allowance, Study Tour Expenses, Reimbursement of Train Fares for journey undertaken during summer vacations, Reimbursement of Medical Expenses, Summer Camps, Cost of Passage (both ways) by Economy Class in the case of some exchange programmes.

ऐतिहासिक स्मारक देखने के लिए प्रवेश टिकट

3077. श्री के० भालन्ना : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से शहरों में पुराने ऐतिहासिक स्मारकों के देखने के लिए टिकट लेना पड़ता है जो साधारण व्यक्ति की क्षमता से परे है और इस कारण बहुत से दर्शक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक देखने से वंचित रह जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस टिकट प्रणाली को समाप्त करने तथा इसकी निःशुल्क व्यवस्था करने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत निर्मित नियमावली के अनुसार केन्द्र द्वारा सुरक्षित 26 स्मारकों पर दर्शकों से पचास पैसे प्रवेश-शुल्क लिया जाता है। शुक्रवार को यह शुल्क नहीं लिया जाता और पन्द्रह वर्ष तक के व्यक्ति भी प्रवेश शुल्क के भुगतान से मुक्त रहते हैं।

(ख) इस समय इन स्मारकों पर प्रवेश शुल्क के उद्ग्रहण को रोकने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Rajasthan Canal Project

3079. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

- (a) the details of the success achieved so far in regard to Rajasthan Canal project ;
- (b) the expenditure incurred so far, year-wise, since its commencement ; and
- (c) the amount out of it received by India from foreign countries or foreign organisations ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) The Rajasthan Canal, which aims to provide irrigation facilities in the North Western portion of Rajasthan, takes off from Harike Barrage, and will receive assured water supplies from the water stored by Pong Dam on river Beas. Both the Harike Barrage and Pong Dam have been completed.

The Rajasthan Canal with an estimated cost of Rs. 396 crores is being constructed in two stages. Under Stage-I most of the works including 204 kms. of Rajasthan Feeder, 189 kms. of Rajasthan Main Canal, 152 kms. of Lift Canal, and 2900 kms. of distribution system have been completed. Work is in progress on lining of the upper Distributory System, the Pungal Branch System and on the Main Canal between 135 to 189 kms. Against the irrigation potential of 5.94 lakh hectares on full development, a potential of 4.43 lakh hectares has been created and an area of 2.78 lakh hectares actually irrigated by March, 1977. Against the estimated cost of Rs. 176 crores for Stage-I, about Rs. 152 crore had been spent upto March, 1977. Allocation for 1977-78 is Rs. 16.00 crores.

Works under Stage-II, which comprise construction of 256 kms. of Main Canal and 4000 Kms. of distribution system have also been started. Lining and Earth work have been completed in lengths of 10 kms. and 50 kms. respectively on the Main Canal and the work is in progress in the downstream reaches as also on the distribution system. Against the estimated cost of Rs. 220 crores for Stage-II, an amount of Rs. 16.50 crores had been spent by March, 1977. The budget allocation for the year 1977-78 is Rs. 12.00 crores.

(b) The expenditure incurred year-wise on the construction of Rajasthan Canal since its commencement is as under :—

Year	Expenditure in Rs. lakhs.
1955-56	2.64
1956-57	2.85
1957-58	25.76
1958-59	78.76
1959-60	577.81
1960-61	662.09
1961-62	785.78
1962-63	655.41
1963-64	494.19
1964-65	530.57

<i>Year</i>	<i>Expenditure in Rs. lakhs.</i>
1965-66	454.11
1966-67	497.00
1967-68	299.51
1968-69	631.70
1969-70	799.12
1970-71	739.29
1971-72	939.06
1972-73	1101.30
1973-74	1196.60
1974-75	1643.94
1975-76	2236.45
1976-77	2462.00
TOTAL	16,815.95

(c) No assistance from foreign countries/foreign organisations has been received for construction of the Engineering Works on Rajasthan Canal Project. However, International Development Association granted a credit of \$83 million for Rajasthan Canal Command Area Development against which an amount of \$ 26.4 million had been reimbursed from International Development Association till 31-5-1977.

Financial Assistance to Pracheen Kathputli Sangh

3080. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state :

(a) whether hundreds of Rajasthani craftsmen of "Pracheen Kathputli Sangh" of Shadipur Depot have submitted representations to Government seeking financial assistance or grants ;

(b) if so, whether Government have taken steps to save from extinction the ancient Kathputli art of India and the Rajasthani Kathputli craftsmen ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) :
(a) No, Sir. However, in July, 1976, a representation from Pracheen Kathputli Sangh, New Delhi for financial assistance for opening a Puppet Theatre-cum-Training and Research Centre in the art of puppetry was received. The request of the Sangh was forwarded to the Sangeet Natak Akademi for consideration. The Akademi discussed it with the representatives of the Sangh and advised it to submit a fresh project, which has yet to be received from the Sangh.

(b) and (c) The Sangeet Natak Akademi has taken various steps for the preservation and promotion of the art of puppetry in India. They have also given financial assistance to the Pracheen Kathputli Sangh, New Delhi. The details are contained in the attached statement.

Statement

I. The following steps have been taken by the Sangeet Natak Akademi to preserve and promote the art of puppetry in India :—

(i) Surveys conducted by the Akademi have brought to light the existence of various forms of puppetry prevailing in different parts of the country.

- (ii) Almost all the forms of traditional puppetry have been documented. The archives of the Akademi contain films, colours, slides, photographs and tape-recordings of all forms of traditional puppetry. A special two-reel documentary has been prepared on the four styles of traditional shadow-puppetry. Collection of representative puppet figures of all the varieties of puppetry.
- (iii) Several institutions and individuals engaged in promoting the art of puppetry have been given grants for specific purposes.
- (iv) The Akademi has a scheme for the preservation and promotion of traditional performing arts. Under this scheme two forms of puppetry, "Pava Koothu" of Kerala and "Ravana Chhaya" of Orissa are to be given financial assistance this year for training in the art and production of puppet plays. The financial assistance is intended to (a) make new puppet figures ; (b) train the interested village youth in the art and (c) give free shows in the adjoining villages. Other forms of puppetry are also proposed to be taken for similar aid in the coming years.
- (v) The Akademi organised a festival of Shadow Theatre in Delhi in 1971. Four styles of traditional shadow puppetry were presented in that festival. The Akademi presented a Festival of Puppet Theatre in 1972, in which some of the major forms of glove, string and rod puppetry were presented.
- (vi) In 1972 the Akademi mounted an All India Exhibition of Masks and Puppets in which representative types of puppets covering all the traditional forms were displayed.
- (vii) On the occasion of the All India Exhibition of Masks and Puppets held in 1972 the Akademi brought out a detailed brochure on different forms of puppetry in India. A monograph on "Ravana Chhaya" is presently under publication by the Akademi.
- (viii) The Akademi helped many Indian and foreign scholars of puppetry by supplying information, taped music, photographs and slides for study and for illustrating writings on the subject.

II. (i) The Sangeet Natak Akademi has been giving financial assistance to the Pracheen Kathputli Sangh, New Delhi since 1969-70. The details thereof are given below :

Year	Amount (Rs.)	Purpose
1969-70 .	3,000	For salaries of teachers.
1970-71 .	3,000	For salaries of teachers, stipends and cost of material
1971-72 .	5,000	For salaries of teachers and cost of a tape-recorder.
1972-73 .	2,000	For salaries of Puppeteers and purchase of material.
1975-76 .	2,500	For purchase of musical instruments and puppet material.

During 1975-76 the Sangh approached the Sangeet Natak Akademi with a scheme for opening in Delhi a "Puppet Theatre-cum-Training and Research Centre" involving an outlay of Rs. 83,000/-. The scheme was discussed with the representatives of the Sangh and, in the light of the guidance given to them, the Sangh was advised to submit a fresh project. No fresh project, was, however, sent by the Sangh to the Akademi. They, however, applied to the Akademi for financial assistance during 1976-77. The Sangh was requested to furnish additional information for considering their request. The Sangh did not sent any reply to the Akademi's letter.

- (ii) During 1974-75 the Akademi sanctioned a sum of Rs. 500/- as a discretionary grant to Shri Babu Lal, a Rajasthani Puppeteer in Delhi for purchase of material and other expenses connected with the rehearsal of his performances.

दिल्ली विकास प्राधिकरण के भूतपूर्व अध्यक्ष, भूतपूर्व उपाध्यक्ष तथा अन्य अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो का अन्तरिम जांच प्रतिवेदन

3081. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री दिल्ली विकास प्राधिकरण के भूतपूर्व अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के बारे में 13 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उक्त प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित सभी चारों मामलों में भ्रष्टाचार तथा कदाचार के आरोपों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो की शिकायतें कब प्राप्त हुईं ;

(ग) अधिकारियों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या आरोप हैं ;

(घ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा जांच कार्य पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) आरोप मुख्यतया दिल्ली विकास प्राधिकरण के भूतपूर्व उपाध्यक्ष के विरुद्ध है जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) अन्तरिम रिपोर्ट के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

भाग (क) तथा (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के भूतपूर्व अध्यक्ष तथा भूतपूर्व उपाध्यक्ष के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के बारे में दिनांक 13-6-77 को प्रश्न संख्या 17 के उत्तर में दिए गए सभी चार मामलों में भ्रष्टाचार और कदाचारों के ब्यौरे :—

(i) दिलखुश बाग कोठी की भूमि को अर्जन से मुक्त करना

दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री जगमोहन ने जी० टी० रोड पर दिलखुश कोठी के 2 एकड़ के अर्जित प्लॉटों को सब्जी मंडी के मैसर्स चड्ढा इण्डस्ट्रीज के किसी श्री चड्ढा को गैर-कानूनी तौर पर दे दिया था । प्लॉट का दिया जाना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 का उल्लंघन था ।

(ii) खिचड़ीपुर पुनर्वास कालोनियों के संबंध में लेखों का न रखा जाना

खिचड़ीपुर कालोनियों का कोई लेखा नहीं है । दिल्ली विकास प्राधिकरण के इंजीनियरिंग विभाग ने एक बहुत बड़ी राशि हथिया ली है ।

(iii) सरकारी पद के दुरुपयोग के द्वारा भूतपूर्व शासकीय दल के लिए निधियों को एकत्रित करना

भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री जगमोहन ने सरकारी पद के दुरुपयोग के द्वारा कांग्रेस दल के लिए निधियाँ एकत्रित की हैं।

(iv) बसन्त बिहार कालोनी में अतिरिक्त प्लोटों का काटा जाना

बसन्त बिहार में बदनीयती से अतिरिक्त प्लोट काटे गये थे।

भाग (ख).

अध्याय तथा उपाध्यक्ष तथा अन्य अधिकारियों के खिलाफ सी० बी० आई० की शिकायतें कब मिलीं ?

सी० बी० आई० को उपर्युक्त शिकायतें अप्रैल-मई, 1977 में मिली थीं।

भाग (ङ).

दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दी गई अन्तरिम रिपोर्ट का ब्यौरा

सी० बी० आई० ने बताया है कि उपर्युक्त (i) तथा (iv) में उल्लिखित आरोपों के सम्बन्ध में ऐसी कोई सामग्री नहीं रही है जिससे कि आरोपों की पुष्टि की जा सके। अतएव इन आरोपों से सम्बन्धित मामलों को रोक दिया गया है।

जहां तक शेष आरोपों का सम्बन्ध है सी० बी० आई० में निम्नांकित स्थिति बतायी है :—

अमरोप (ii) : खिचड़ीपुर पुनर्वास कालोनियों के सम्बन्ध में लेखे का न रखा जाना

आरोप निराधार पाया गया था तथा वह इतना स्पष्ट नहीं था कि जिससे सी० बी० आई० के द्वारा सूक्ष्मता से जांच पड़ताल की जा सके।

आरोप (iii) : सरकारी पद के दुरुपयोग के द्वारा भूतपूर्व शासकीय दल के लिए निधियों को एकत्रित करना :

आरोप निराधार पाया गया तथा वह इतना स्पष्ट नहीं था कि जिससे सी० बी० आई० के द्वारा सूक्ष्मता से जांच पड़ताल की जा सके।

जवाहर भवन न्यास बोर्ड को आवंटित प्लोट तथा भवन का बाजार मूल्य

3082. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या निर्माण और आवास तथा पूति और पुनर्वास मंत्री कांग्रेस दल को बंगले की बिक्री के बारे में 13 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 92 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के जवाहर भवन के न्यास बोर्ड को आवंटित प्लोटों तथा भवनों का बाजार मूल्य वसूल करती है;

(ख) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ;

(ग) क्या सरकार का विचार उनको अधिग्रहीत करने का है ;

(घ) न्यास के सदस्य कौन कौन से हैं ; और

(ङ) उपरोक्त भवन न्यास को किसके आदेश से दिया गया और क्या इसमें कोई राजनैतिक दबाव था ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) मौजूदा नीति के अनुसार भूमि के लिए राजनीतिक पार्टियों से पूरा मार्केट मूल्य वसूल किया जाता है। भवनों के बारे में, मूल्य ह्रास वसूल किया जाता है। प्रारम्भ में, जवाहर भवन ट्रस्ट को 598 रुपए प्रति वर्ग मीटर (500 रुपए प्रति वर्ग गज) की मार्केट दर से भूमि का आवंटन किया गया था। तदुपरान्त मार्केट दर 149.50 रुपए प्रति वर्गमीटर (125 रुपए प्रति वर्ग गज) के हिसाब से निश्चित की गई, इसका कारण यह था कि संस्थानिक क्षेत्र में उस स्थान पर भवन का वाणिज्यिक उपयोग करने की अनुमति नहीं थी।

(ग) इस बारे में की जाने वाली कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है;

(घ) रिकार्ड पर रखी सूचना के अनुसार जवाहर भवन ट्रस्ट के निम्नलिखित सदस्य थे :—

श्री डी० के० बरुआ
श्रीमती इन्दिरा गांधी
श्री उमा शंकर दीक्षित
श्री सय्यद मीर कासिम
श्री वी० पी० नायक
श्री सिद्धार्थ शंकर रे
श्रीमती एम० चन्द्रशेखर

(ङ) आवंटन का अनुमोदन उस समय के निर्माण और आवास मंत्री ने किया था।

विदेशों को भेजे गए शिष्ट मंडल

3083. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1975 और 1976 के दौरान सांस्कृतिक शिष्ट मंडल विदेशों में भेजे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उसके पूरे तथ्य क्या हैं;

(ग) उक्त यात्राओं से देश को यदि कोई वास्तविक तथा ठोस लाभ मिले हैं तो वे क्या हैं ; और

(घ) इन पर भारतीय तथा विदेशी मुद्राओं में कुल कितना खर्च हुआ ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 664/77]

(ग) हमारे सांस्कृतिक विनिमय/कार्यकलाप कार्यक्रमों के जरिए विदेश में भारतीय कलाकारों और भारतीय कला तथा संस्कृति की प्रदर्शनियों के भ्रमणों और प्रदर्शनों से विदेश में भारत की सांस्कृतिक परम्परा का प्रतिरूप प्रस्तुत करने में सहायता मिली है। इसके अलावा, इन भ्रमणों से बाहर के देशों से पारस्परिक सद्भावना और निकटवर्ती सम्बन्धों को बढ़ावा मिलने की सम्भावना है।

(घ) 50,85,394.77 भारतीय मुद्रा में।
2,38,748.00 विदेशी मुद्रा में।

स्कूलों में अनिवार्य भाषा के रूप में अंग्रेजी

3084. श्री पी० जी० सावलंकर : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समूचे देश के सभी स्कूलों में अंग्रेजी को एक अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाने के बारे में एक जैसी नीति बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कैसे और कब ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) त्रि-भाषा सूत्र के अन्तर्गत जो कि अब लागू है, तीसरी भाषा अंग्रेजी होनी चाहिये। प्रत्येक राज्य की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उक्त भाषा छठी श्रेणी अथवा इससे पहले अथवा बाद में प्रारम्भ की जा सकती है।

Commission for Scientific and Technical Terminology

†3085. Shri Nawab Singh Chauhan : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state :

- whether Government propose to give the Chairman of the Commission for Scientific and Technical Terminology a pay equal to the Secretary in the Central Government ;
- whether some Members are proposed to be appointed in the Commission for Scientific and Technical Terminology so that books of high standard in every subject in Hindi may be brought out soon ;
- if so, the time by which the Commission for Scientific and Technical Terminology would re-organise and the reorganised set up thereof ; and
- whether Government also propose to give the Chairman and the Members of the Commission pay, allowances and Independence in the discharge of their duties equal to the Chairman and Members of Union Public Service Commission ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chander Chunder) : (a) to (d) : The commission has been reconstituted in 1975 by appointment of Chairman and four part-time members. The Chairman is appointed on a fixed salary of Rs. 2500, and has status of Head of Department.

Three of the part-time members appointed to the Commission are experts in the subjects of Medicine, Agriculture and Engineering. The central hindi Directorate is bringing out books in these subjects. As and when the need arises for more experts and the Commission strengthened the Government will take a decision. There is no such proposal at present.

Kashi Nagri Pracharni Sabha, Varanasi and Hindi Sahitya Sammelan, Paryag

†3086. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state :

- (a) the amount of grant or financial assistance given by his Ministry to Kashi Nagri Pracharni Sabha, Varanasi and Hindi Sahitya Sammelan, Prayag during the last three years;
- (b) the names and the details of the programmes for which the grant was given;
- (c) whether audited details of the utilization of the amount of grant have been received by the Ministry;
- (d) the names of other organisations engaged in the promotion of Hindi, which were given grants; and
- (e) the details of the Scheme for giving grants to such Organisations in future ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder);

- (a) to (c) : A statement is attached. (Annexure-I)

[Placed in Library. See No. L. T. 665/77].

- (d) A list of voluntary Hindi Organisations receiving grants from the Ministry of Education and Social Welfare is attached. (Annexure-II).
[Placed in Library. See No. L. T. 665/77].

- (e) Grants are given to voluntary Hindi organisations under this Ministry's scheme "Assistance to Voluntary Hindi Organisations for Promotion of Hindi". Grants are admissible under this scheme for running free Hindi classes for non-Hindi speaking people, setting up Hindi libraries and reading rooms in non-Hindi speaking areas, for running Hindi typewriting and Hindi shorthand classes, publication of literature of Regional languages in Devanagari Script with translation in Hindi and for any other activity which may found conducive to the enrichment of or propagation and development of Hindi. Grants are given on the basis of 75% of the approved expenditure. In every special cases, building grants are also sanctioned to voluntary organisations on the basis of 60% of the approved expenditure subject to a maximum of Rs. 50,000.

पोस्ट ग्रेजुएट कालेज आफ एनीमल साइंसेस, इंडियन वेटेरीनरी इन्स्टीट्यूट, इज्जतनगर के विद्यार्थियों से जापन

3087. **श्री पी०के० कोडियान** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोस्ट ग्रेजुएट कालेज आफ एनीमल साइंसेस, इंडियन वेटेरीनरी इन्स्टीट्यूट, इज्जतनगर के विद्यार्थियों ने हाल में एक जापन भेजा है जिसमें सरकार से इस संस्थान को विश्वविद्यालय का स्तर देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां, श्रीमन् । सरकार की भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान के स्नातकोत्तर पशु चिकित्सा महाविद्यालय, इज्जतनगर के छात्रों का एक जापन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि या तो इस संस्थान को 'डीमड यूनिवर्सिटी' का दर्जा दिया जाय अथवा इसे इहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के साथ सम्बद्ध कर दिया जाय ।

(ख) इस संस्थान को 'डीमड यूनिवर्सिटी' का दर्जा देने का प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है ।

तब तक के लिए, इहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, जिसकी क्षेत्रीय सीमा के अन्तर्गत आई० वी०आर०आई० का स्नातकोत्तर पशु चिकित्सा महाविद्यालय पड़ता है, ने जुलाई, 1977 में एम०बी०एस०सी० की परीक्षाएं आयोजित करने की व्यवस्था कर दी है ।

कनाट प्लेस नई दिल्ली में भूमिगत शॉपिंग सेन्टर का निर्माण

3088. श्री पी०के०कोडियान : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका की कनाट प्लेस में भूमिगत शॉपिंग सेन्टर का निर्माण करने की प्रतिष्ठित परियोजना दिल्ली बृहत् योजना का उल्लंघन करके और दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन की स्वीकृति के बिना क्रियान्वित की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका से रिपोर्ट मंगाई गई है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड

3089. श्री धर्मवीर वशिष्ठ : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक का नाम भी शिकायत में शामिल है ;

(ग) यदि इस मामले में कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ; और

(घ) क्या अन्य संस्थाओं, जिनकी संख्या 27 है के विचार भी रखे गए थे तथा सरकार ने उपरोक्त (ग) में लिए गए निर्णय के समय इन पर विचार किया था ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई०सी०ए०आर०) या कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल के विरुद्ध भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । फिर भी, विज्ञानियों से व्यक्तिगत रूप से और वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारी संघ, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से संस्थान के विज्ञानियों और तब नीकी कर्मचारियों की सेवा शर्तों से सम्बन्धित कई मामलों पर अभिवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। इन अभिवेदन-पत्रों में प्रमुख मांगें ये हैं :—(1) कृषि अनुसंधान सेवा के अन्तर्गत विज्ञानियों के पंचवर्षीय मूल्यांकन के लिए होने वाले साक्षात्कार को रद्द करना (2) कृषि अनुसंधान सेवा के वर्ग 'एस' (550-900 रु०) के विज्ञानियों का वर्ग 'एस' (700-1300 रु०) विज्ञानियों में पदोन्नयन और (3) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नमूने पर प्रभागों के अध्यक्षों के वेतनमानों का संशोधन ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) जहां तक साक्षात्कारों को रद्द करने के लिए अभिवेदन-पत्रों का सम्बन्ध है, यह निर्णय किया गया है कि चाहे 'साक्षात्कार' अनिवार्य नहीं होंगे किन्तु फिर भी विज्ञानियों को यदि वे चाहें तो उन्हें मूल्यांकन की अवधि के दौरान उनके कार्यों तथा उपलब्धियों के बारे में बताने हेतु व्यक्तिगत

विचार-विमर्श के लिए मूल्यांकन समिति के सामने पेश होने का अवसर दिया जाना चाहिए । दूसरे शब्दों में, विज्ञानी स्वयं ही यह निर्णय कर सकता है कि वह मण्डल के सामने विचार-विमर्श का अवसर पाना चाहता है अथवा नहीं । जहां तक वर्ग 'एस' के विज्ञानियों के पदोन्नत और प्रभागों के अध्यक्षा के वेतनमानों के संशोधन का प्रश्न है, ये मांगें परिषद् के विचाराधीन हैं ।

(घ) साक्षात्कारों को वैकल्पिक बनाने का निर्णय कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल की सलाह से किया गया था, जैसा कि नियमों में प्रावधान है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संस्थानों से परामर्श की आवश्यकता नहीं थी ।

कृषि के विकास सम्बन्धी समिति

3091. श्री समर गुहा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की थी कि कृषि का विकास राष्ट्रीय विकास के लिए इसकी आलोचना का मुख्य आधार होना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश भर में कृषि के विकास के सम्बन्ध में आधारभूत तथा नीति परिवर्तनों सम्बन्धी समस्याओं एवं आवश्यकताओं के अध्ययन हेतु कोई विशेषज्ञ समिति गठित की है ;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिये धनराशि का नियतन करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय कृषि के विकास कार्यक्रम और भावी योजना सम्बन्धी सिद्धान्त क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां । सरकार कृषि विकास को प्रधानता देती है ।

(ख) से (घ) राष्ट्र के जीवन में कृषि की महत्ता को ध्यान में रखते हुए कृषि तथा इससे सम्बद्ध सेवाओं, जिनमें सहकारिता, उर्वरक, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और कृषि के लिये बिजली के सम्बन्ध में परिव्यय को जो 1976-77 में 2312 करोड़ रुपये का था, 1977-78 में बढ़ा कर 3,024 करोड़ रुपये का कर दिया गया है, अर्थात् इसमें लगभग 31 प्रतिशत की वृद्धि की गई है । सरकार ने देश भर में कृषि विकास के सम्बन्ध में आधारभूत तथा नीति परिवर्तन सम्बन्धी समस्याओं एवं आवश्यकताओं के अध्ययन के लिये इस प्रकार की किसी विशेषज्ञ समिति की स्थापना नहीं की है । तथापि, हाल ही में पुनर्गठित योजना आयोग से यह आशा की गई है कि वह अन्य बातों के साथ-साथ आधारभूत एवं नीति सम्बन्धी परिवर्तनों और समग्र आर्थिक विकास की राष्ट्रीय योजना के ढांचे के अन्तर्गत कृषि विकास के लिए अपेक्षित संसाधन सम्बन्धी आवंटन के बारे में भी विस्तृत रूप से विचार करेगा ।

बहु-फसलों कृषि भूमि

3093. श्री समर गुहा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक फसली कृषि भूमि का दो-फसली और तीन-फसली कृषि भूमि में विकास करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कोई अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन के राज्यवार आंकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने सिंचाई सुविधाओं में विस्तार करके एक-फसली भूमि को दो-फसली और तीन-फसली भूमि में बदलने के लिए योजनाएं बनाई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं और ऐसी परियोजनाओं का राज्य वार ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) एक फसली कृषि भूमि को दो फसली कृषि भूमि और तीन फसली कृषि भूमि के रूप में विकसित करने के लिये कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र के बारे में जानकारी भूमि उपयोग के वार्षिक आंकड़ों के एक भाग के रूप में उपलब्ध है। 1972-73 से 1974-75 तक के वर्षों में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र के बारे में नवीनतम उपलब्ध आंकड़े अनुबन्ध-1 में दिए गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 666/77]

(ग) और (घ) योजना में शामिल अनेक कृषि कार्यक्रमों और विशेषकर सिंचाई सुविधाओं के विस्तार कमांड क्षेत्र विकास, अल्पावधि किस्मों, अधिक उपज वाली किस्मों, विस्तार कार्यक्रमों (जिनमें राष्ट्रीय प्रदर्शन भी शामिल है) से बहु-फसली खेती के विकास में सहयोग मिलता है। सिंचाई योजनाओं की प्रमुख विशेषताएं हैं :—बृहत, मध्यम और लघु सिंचाई के माध्यम से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना और सतही तथा भूमिगत जल का मिला जुला उपयोग करना। इन कार्यक्रमों से गत 3 वर्षों के दौरान 70 लाख हेक्टर भूमि में सिंचाई क्षमता के सृजित होने की संभावना है। राज्यवार ब्यौरा अनुबन्ध 2 में दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 666/77]

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के समान वेतनमान

3094. श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के लिए समान वेतनमान निर्धारित करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कब से तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों पर, केन्द्रीय सरकार ने, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों सहित विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए 1-1-1973 से अपनाए जाने के लिए संशोधित वेतनमान सुझाए हैं।

अध्यापक :

विश्वविद्यालय

लेक्चरर	—	रु० 700-40-1100-50-1600.
रीडर	—	रु० 1200-50-1300-60-1900
प्रोफेसर	—	रु० 1500-60-1800-100-2000-125'-2-2500

पुस्तकालय स्टाफ :

पुस्तकाध्यक्ष — (i) रु० 1500-60-1800-100-2000-125 / 2-2500
(ii) रु० 1500-60-1800-100-2000

उप-पुस्तकाध्यक्ष :

— रु० 1100-50-1600

सहायक पुस्तकाध्यक्ष

— रु० 700-40-1100-50-1300

प्रलेखन अधिकारी

— (i) रु० 1100-50-1600
(ii) रु० 700-40-1100-50-1300

निदेशक/शारीरिक**शिक्षा अनुदेशक**

(i) रु० 1100-50-1600
(ii) रु० 700-40-1100-50-1300
(iii) रु० 700-40-1100
(IV) रु० 550-25-750-द० रो० 30-900
(V) रु० 425-15-500-द० रो०-15-560-20-700

इन संशोधित वेतनमानों को स्वीकृति के लिए भेजते हुए राज्य सरकारों को यह वैकल्प दिया गया कि वे स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इनमें संशोधन कर सकती थीं और इनको दिनांक 1-1-1973 के बाद की किसी तारीख से भी लागू कर सकती थीं ।

देश के सभी विश्वविद्यालयों के अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के एकरूप वेतमान निर्धारण करने हेतु केन्द्रीय सरकार के विचारणीय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को ट्रेड यूनियन के अधिकार

3095. श्रीमती अहिल्या बी० रांगनेकर : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकार विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को ट्रेड यूनियन अधिकार देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जहां तक विश्व-विद्यालय के कर्मचारियों के ट्रेड यूनियन अधिकारों का सम्बन्ध है राष्ट्रीय श्रम आयोग के ट्रेड यूनियन कानून में किसी प्रकार का संशोधन करने की सिफारिश नहीं की थी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Allotment of Residential Land to Economically Backward section of society

No. 3096. **Shri Mahi Lal** : Will the Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the number of families, allotted land by the Government of Uttar-Pradesh out of (i) the land of Gram Sangh (ii) land under ceiling on land Holdings Act and (iii) the land acquired, on the basis of the Central Government's policy on allotment of residential land to economically backward sections of society, and the areas of land allotted to each family ;

(b) whether each landless farmer has been settled in many villages in Kashipur Tehsil of Nainital District by allotting a plot of only 20X25 feet, out of the land belonging to the Forest, Department or the land acquired under colonization scheme ; and

(c) if so, whether this small piece of land is sufficient for landless farmers ?

The Minister of Works and Housing and Supply Rehabilitation Shri Sikander Bakht) :

(a) According to the information available with this Ministry, all the 12,12,014 eligible families have been allotted house-sites by the Government of Uttar Pradesh.

A family of husband, wife and minor children had been treated a unit and those having less than 100 sq. yds. of land per unit had been considered eligible for allotment of 100-150 sq. yds. The land used for allotment of house-sites included land belonging to Goan Sabha Government, land declared surplus as a result of imposition of ceiling on holdings and land acquired. Upto the end of May, 1976, according to a report received from the Government of U. P. in June, 1976, 15,082.90 hectares of land belonging to Goan Sabha and 567.30 hectares of aquired land had been utilised for allotment of house-sites to 11,88,134 families.

The State Government has been requested to furnish particulars of land allotted to the remaining 23,880 families.

(b) and (c) The Government of Uttar Pradesh has been requested to furnish necessary details which are awaited.

Pay Scales of Teaching Staff in Municipal Corporation

3097. **Shri Bhanu Kumar Shastri :** Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state :

- (a) Whether the Education Department of the Municipal Corporation, Delhi adopts those pay scales which are sanctioned by Government of India from time to time ;
- (b) whether the pay scales of teachers as recommended by the Third Pay Commission have been implemented but the provision of 20 percent selection grade has not been implemented so far and if so, the reasons therefor ;
- (c) whether the pay scales of Inspector of Schools, Senior Inspector of Schools, Assistant Education Officer and Deputy Education Officer have not been implemented fully with effect from 27th May, 1970 and 1st January, 1973 ; and
- (d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) :

- (a) Yes, Sir.
- (b) The pay scales have been implemented and the implementation of the 20 percent quota of the selection grade has started.
- (c) The matter is under consideration of the authorities in Municipal Corporation of Delhi.
- (d) Does not arise.

Research on Improved Variety of Wheat

3098. **Shri Jagdambi Parshad Yadav :** Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

- (a) whether a Centre of the Indian Council of agriculture Research in Pusa in Bihar conducts research in respect of improved varieties of wheat for many States in North India but there is only one Agronomist working in the Centre and he has not been provided with a clerk to assist him ;
- (b) if so, the steps proposed to be taken by Government to augment the staff there ;
- (c) whether neither the seeds nor the fertilizers are available in the centre for carrying on demonstration work ; and
- (d) whether Government propose to take remedial measures in this regard ?

The Minister of Agriculture and Irrigation : (Shri Surjit Singh Barnala) :

- (a) Yes Sir, there is a centre of the Indian Council of Agricultural Research in Pusa (Bihar) conducting research in Wheat to develop improved varieties of wheat for the State

of Bihar in particular and for other States in general. Besides a breeder and a Pathologist there is also an Agronomist working on wheat research at this centre. Although there is no clerical staff attached separately to each scientist there are common office facilities for the centre as a whole. Besides ICAR Research Centre at Pusa, Rajendra Agricultural University, Dholi, has the primary responsibility of conducting research in Bihar and ICAR extends full support.

(b) The Agronomist is sufficient to look after the Agronomical aspects of Wheat Research work of the centre. However, as the work expands appropriate assistance will be provided to the centre.

(c) The Wheat Research Centre at Pusa is not meant for carrying out demonstration work. However, Rajendra Agril. University, Dholi organises National Demonstration programme in two districts, namely, Santhal Parganas and Muzaffarpur. Under these National Demonstrations there is a provision of subsidy in kind in the form of seeds/fertilisers/pesticides.

(d) The centre has been provided requisite staff and substantial funds for organising wheat research. The ICAR will take appropriate measures as and when the need arises for strengthening the research base of the centre.

मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान

3099. डा० कर्ण सिंह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चंद्र चन्द्र) : (क) जी, हां ।

(ख) इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य मंद बुद्धि व्यक्तियों की शिक्षा और पुनर्वास के सभी प्रमुख पहलुओं में अनुसंधान को कराना या करना है तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना है । इसमें प्रशिक्षण सामग्री तथा शिक्षा सहायक उपकरणों का निर्माण करने के लिए भी व्यवस्था होगी ।

केरल में पेरियास्थल शरणार्थी को बाध शरणास्थल में सम्मिलित करना

3100. डा० कर्ण सिंह : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राजेक्ट टाइगर की स्टियरिंग समिति का यह सुझाव कि केरल के पेरियार शरणास्थल को 10 वें बाध शरणास्थल के रूप में सम्मिलित किया जाये, सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय किस तिथि से प्रभावी होगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) सरकार इस प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

(ख) (क) को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं होता ।

काश्मीर में राष्ट्रीय पार्क

3101. डा० कर्ण सिंह : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को काश्मीर में विशेषरूप से तेजी से लुप्त हो रहे काश्मीर 'स्टेग' (हंगुल) के संरक्षण के लिये राष्ट्रीय पार्क की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री मुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

सोहन चिड़िया नामक पक्षी का लुप्त होना

3102. श्री सतीश अग्रवाल : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोहन चिड़िया नामक पक्षी के भारत तथा ऐसे क्षेत्रों में जहां आजकल यह मिलती है, लुप्त हो जाने की बहुत अधिक आशंका है ;

(ख) इसकी वर्तमान जनसंख्या के कम होने के क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार इसको संरक्षण देने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पक्षी की इस समय की जनसंख्या कितनी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री मुरजीत सिंह बरनाला) : (क) सोहन चिड़िया नामक पक्षी की नस्ल खतरे में है ।

अब यह पक्षी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा गुजरात में बहुत कम पाया जाता है ।

(ख) इस पक्षी की संख्या में कमी आने का कारण खेती, आदि के लिये भूमि पर मानव का अधिक दबाव का होना है, जिसके फलस्वरूप इस पक्षी का आवास-स्थल कम हो गया है । इसके अतिरिक्त इस पक्षी का आकार बड़ा होने के कारण यह बहेलियों और जंगल के चोरों का भी आसानी से शिकार हो जाता है ।

सरकार ने इस पक्षी को वन्य-प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 में शामिल कर लिया है, जिससे अब इसे वैधानिक संरक्षण प्रदान है । कर्नाटक में सोहन चिड़िया नामक पक्षी के लिये आश्रय स्थल मौजूद है और अन्य आश्रय स्थलों के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

(ग) अभी तक इस पक्षी के विषय में कोई गणना नहीं की गई है, अतः इनकी संख्या के बारे में अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क

3103. श्री सतीश अग्रवाल : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क के प्रस्ताव को त्याग दिया गया है यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) केन्द्रीय एजेंसियों ने राजस्थान में पार्क बनाये जाने के लिए किन-किन स्थानों का कितनी बार दौरा किया और उनकी सिफारिशों का सारांश क्या है ; और

(ग) इस योजना को कब अन्तिम रूप दिया जाना है और इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री मुरजीत सिंह बरनाला) : (क) मरुस्थल राष्ट्रीय पार्क बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों ने तीन बार राजस्थान का दौरा किया है। उनके नाम तथा सिफारिशों का सार संलग्न विवरण में दे दिया गया है।

(ग) इस योजना को वन महानिरीक्षक द्वारा अस्थायी तौर से पता लगाये गए क्षेत्र का आगामी सर्दियों में वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के बाद ही अन्तिम रूप दिया जा सकता है।

इस योजना की प्रमुख विशेषता पर्याप्त संख्या में बचे हुए रेगिस्तानी पशु-पक्षी और वनस्पति वाले एक प्रतिनिधि मरु क्षेत्र का चयन करना है।

विवरण

1. जनवरी, 1974 में कृषि और सिंचाई मंत्रालय के कृषि विभाग के भूतपूर्व उप-सचिव श्री रणजीत सिंह ने राजस्थान सरकार के अधिकारियों के साथ राजस्थान का दौरा किया था। उन्होंने बाडमेर-जैसलमेर मार्ग के पूर्व में जैसलमेर के पूर्व में 43 किलोमीटर के फासले पर देवीकोट गांव के उत्तर और दक्षिण में स्थित आयातकार भूमि क्षेत्र को प्रस्तावित पार्क के लिये उपयुक्त स्थल समझा है।

2. दिसम्बर, 1975 में कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) के निदेशक 'प्रोजेक्ट टाइगर' श्री के० एस० संखला ने राजस्थान का दौरा किया और उसने उत्तर में शाहगढ़ के पश्चिम और दक्षिण में दनाना को जोड़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तक फैली हुई रेखा के बीच का क्षेत्र प्रस्तावित किया है।

3. फरवरी, 1977 में वन महानिरीक्षक श्री एस० के० सेठ ने राजस्थान का दौरा करके अस्थायी तौर पर पूर्व साम और पश्चिम में शाहगढ़ के बीच के क्षेत्र को चुना है। आगामी सर्दियों में सुझायी गई सीमा को अन्तिम रूप देने से पहले वनस्पति तथा पशु-पक्षी सम्बन्धी सर्वेक्षण किया जाना है।

Price of Ghee Supplied by D.M.S.

3104. **Shri Ishwar Chaudhary** : Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state whether Government propose to reduce the price of ghee supplied by the Delhi Milk Scheme ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : No, Sir. No proposal for reduction of price of ghee manufacture by the Delhi Milk Scheme is presently under consideration.

स्कूलों, कालेजों में "वन्य जीवन का संरक्षण" सम्बन्धी विषय

3105. श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन्य जीवन के संरक्षण को विषय के रूप में स्कूलों और कालेजों में लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं एक विषय के रूप में नहीं, किन्तु स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर जीव विज्ञान के शिक्षण में इस विचार धारा पर जोर दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए चयन ग्रेड के पद

3106. श्री के० ए० राजन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री दिल्ली में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए चयन ग्रेड के पदों के बारे में 3 मई, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3156 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों तथा दिल्ली के स्कूलों में मुख्याध्यापकों के लिए चयन ग्रेड लागू करने पर सितम्बर, 1971 से जो विषमता बनी, उसे समाप्त करने के लिए कोई कदम अभी तक उठाया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : यह मामला अभी तक दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है।

बम्बई के निकट मछली पकड़ने की संभावनाओं का पता लगाने की परियोजना

3107. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के निकट मछली पकड़ने की संभावनाओं का पता लगाने की कोई परियोजना है;

(ख) इसे कब शुरू किया गया था; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :

(क) जी हाँ।

(ख) यह परियोजना अक्टूबर, 1946 में शुरू की गई थी।

(ग) इस परियोजना ने भारतीय तट के ईर्द-गिर्द समुद्र के लगभग 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के सतही मत्स्य संसाधनों का सर्वेक्षण करके सर्वेक्षणों के परिणाम बुलेटिनों के रूप में प्रकाशित किये हैं। इन बुलेटिनों में उपलब्ध सतही मत्स्य संसाधनों की क्वालिटी, मात्रा तथा वितरण और तट के ईर्द-गिर्द 50 मीटर तक की गहराई के लिए मत्स्य की जलयानों की किस्म तथा उनके उपयोग के लिए गियर के संबंध में जानकारी दी गई है। दूर के क्षेत्रों में भी चुने हुए सर्वेक्षण किये गये हैं और इनके परिणाम परियोजना द्वारा बुलेटिनों के रूप में प्रकाशित किये गये हैं।

इस परियोजना के पास तट से दूर तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने से संबंधित मामलों पर मत्स्य की उद्योग को सलाह देने के लिए एक विस्तार स्कंध मौजूद है और यह समुद्री मत्स्य की परिचालन के लिए 'सी टाइम' अर्हत सेवा प्रदान करती है।

दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण को भूमि दिया जाना

3108. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण को पोटेरु सिंचाई परियोजना के क्षेत्र में 16,000 हेक्टेयर सिंचित और कृषि-योग्य भूमि देने के लिए सहमत हो गई है;

(ख) क्या सरकार का भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए लोगों को वहां बसाने का विचार है; और

(ग) पोटेरु नदी पर सुरलीकोंडा में बांध की क्या लागत है ?

निर्माण और आवास तथा पूति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) 167.76 लाख रुपये।

राजघाट समाधि और गांधी स्मृति समिति के लिए सहायता अनुदान

3109. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या निर्माण और आवास तथा पूति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजघाट समाधि और गांधी स्मृति समिति को सहायता अनुदान देती है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितनी धनराशि दी जाती है ?

निर्माण और आवास तथा पूति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी हां।

(ख) राजघाट समाधि समिति :—1963-64 से रिकार्ड उपलब्ध हैं और तदनुसार सूचना इस प्रकार है :—

वर्ष	दिये गये सहायक अनुदान
	रुपये
1963-64	84,600
1964-65	152,700
1965-66	134,000
1966-67	212,500
1967-68	237,847
1968-69	269,862
1969-70	380,413
1970-71	532,379
1971-72	500,000
1972-73	532,300
1973-74	611,000
1974-75	700,000

वर्ष	दिये गये सहायक अनुदान
1975-76	840,000
1976-77	902,000
गांधी स्मृति समिति	
1972-73	115,000
1973-74	500,000
1974-75	कुछ नहीं
1975-76	160,000
1976-77	280,000

Indo-Iranian Talks for Rajasthan Canal

*3110. **श्री Meetha Lal Patel :** Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) whether in the talks held recently in New Delhi between Iran and India, an offer of assistance has also been made by Iran for Rajasthan Canal ; and

(b) if so, the details thereof and the time by which Rajasthan Canal is likely to be completed ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) :

(a) & (b). No talks have been held recently in New Delhi between Iran and India on the subject. However, the Engineering works on Rajasthan Canal Project are scheduled to be completed by 1983-84 subject to availability of funds.

बिहार में सिंचाई योजनाएँ

3111. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा 1977-78 वर्ष के लिए मंजूर ऐसी कितनी प्रमुख तथा लघु सिंचाई योजनाएँ हैं जो बिहार राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित नहीं की गई हैं; और

(ख) योजनाओं को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं और इन योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख). योजना आयोग द्वारा अप्रैल, 1976 से जून, 1977 तक मंजूर की गई 11 बृहद् और मध्यम सिंचाई स्कीमों में से बिहार सरकार ने 1977-78 की अपनी वार्षिक योजना में 9 स्कीमों के लिए व्यवस्था की है परन्तु दो स्कीमों नामशः पंडखा जलाशय तथा ओरनी जलाशय के कार्यान्वयन के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है।

लघु सिंचाई स्कीमों को स्वीकृति देना केन्द्रीय सरकार के काय-क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्लेटों के आवंटन के लिए विशेष पंजीकरण योजना

3112. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्लैट मध्य आय वर्ग तथा निम्न आय वर्ग को आवंटित करने के लिए निकाली गई विशेष पंजीकरण योजना में दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास कितने पंजीकृत आवेदन पत्र प्लैट आवंटित किये जाने के लिए शेष हैं; और

(ख) इन लोगों को कब तक प्लैट दे दिये जाने की आशा है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए बनाई गई 1973 की विशेष पंजीकरण योजना के अन्तर्गत आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

मध्यम आय वर्ग	58
निम्न आय वर्ग	386

(ख) लगभग एक वर्ष में।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्लेटों की नीलामी

3113. श्री सुखदेवप्रसाद वर्मा : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्यम आय वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्लेटों को नीलाम करने की वर्तमान नीति त्यागने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के लिए रिहायशी प्लेटों का आवंटन केवल लाटरी द्वारा किया जाता है न कि नीलामी द्वारा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Central Research Centre on Groundnut in Gujarat

3114 Shri Dharamsinbhai Patel : Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a Research centre in Gujarat with a view to increase the production of groundnut and if so, the location thereof and when it is likely to be set up ;

(b) the varieties of groundnut produced in the country ; and

(c) whether seeds of a new variety of groundnut have been produced during the last three years, and if so, the kind thereof ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala)

(a) A Research Centre under the All India Oilseeds Improvement Project of the improvement of groundnut has been already located at Junagadh in Gujarat. This has been functioning from 1967.

(b) A list of varieties developed in the country is enclosed.

(c) The following varieties have been released :—

1. M—13
2. TMV—10

STATEMENT**Varieties of Groundnut produced in the Country**

1. Kadiri I (A.H. 288)
2. Early Runner
3. Junagadh—11.
4. A.K. 10—.
5. A.K. 12—24.
6. K.G. 61—240.
7. Kopargaon 1.
8. Kopargaon 3.
9. Improved Spanish
10. Improved small Japan
11. Faizpur 1—5.
12. Karad 4—11.
13. N.G. 868.
14. Trombay Groundnut 1 to 18.
15. H.G. 7.
16. H.G. 8.
17. H.G. 9.
18. H.G. 10.
19. S. 206.
20. S. 230.
21. TMV 1.
22. TMV 2.
23. TMV 3.
24. TMV 4.
25. TMV 5.
26. TMV 6.
27. TMV 7.

28. TMV 8.
29. TMV 9.
30. TMV 10.
31. Pollachi—1.
32. Pollachi—2.
33. Punjab Groundnut No. 1.
34. Mungphali 145.
35. C. 501.
36. C. 148.
37. Type 28.
38. Type 32.
39. Type 64.
40. Type 99.

पश्चिम बंगाल में लघु सिंचाई के लिए केन्द्रीय सहायता

3115. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल में लघु सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु वर्ष 1971-77 के दौरान कुल कितनी राशि रखी,

(ख) उस राज्य के लिए लघु सिंचाई हेतु प्रति वर्ष कितनी राशि रखी गई; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) सिंचाई राज्यों का विषय है और सिंचाई योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था राज्यों की योजना में की जाती है । 1971-72 से 1976-77 की अवधि के लिए पश्चिम बंगाल राज्य की योजना में सिंचाई के लिये लगभग 86 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है । इसके अतिरिक्त, राज्य की योजना की सीमा से अधिक, इस अवधि के दौरान नीचे दी गई केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की गई है :—

वर्ष	धनराशि	उद्देश्य	(करोड़ रुपए)
1973-74 .	7.20	पांचवीं योजना के लिये अग्रिम कार्यवाही के अंतर्गत लघु सिंचाई योजनाओं के लिए ।	
1975-76 .	1.00	कांगसबती सिंचाई परियोजना के लिए	
1976-77 .	0.50		

(ख) 1971-72 से 1976-77 तक की अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य की योजना में लघु सिंचाई के लिए निम्नलिखित राशि की वार्षिक व्यवस्था की गई है :—

वर्ष	स्वीकृत परिव्यय (करोड़ रुपए)
1971-72	4.50
1972-73	5.88
1973-74	5.15
1974-75	6.40
1975-76	6.50
1976-77	13.50

(ग) इस अवधि के दौरान चालू की गई सिंचाई योजनाओं से सम्भवतः लगभग 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता पैदा हुई है ।

पार्लियामेंट हाउस अनेक्स के निर्माण में हुआ व्यय

3116. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पार्लियामेंट हाउस अनेक्स के निर्माण में कुल कितना व्यय हुआ है ;

(ख) इस भवन के निर्माण के आरम्भ होने के समय से अब तक वर्षवार उत्तरोत्तर कितना व्यय हुआ है ; और

(ग) इस भवन में फर्नीचर लगाने, वातानुकूलित करने, बिजली लगाने, लान आदि बनाने में हुए व्यय का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मद पर उत्तरोत्तर वर्षवार कितना व्यय हुआ है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बस्त) : (क) मार्च, 1977 के अन्त तक निर्धारित व्यय 3,73,29,506 रुपये हैं (इसमें विभागीय प्रभार शामिल है) कुछ बिल अभी भी बकाया है । इस कार्य पर कुल 3,75,00,000 रु० (विभागीय प्रभारों सहित) खर्च होने की आशा है ।

(ख) विवरण—i के अनुसार ।

(ग) विवरण—ii के अनुसार ।

विवरण-1

भवन का निर्माण आरम्भ होने से लेकर वर्षवार उत्तरोत्तर व्यय

वर्ष	सिविल	विद्युत	बागवानी
	रु०	रु०	रु०
1968-69 .	36,443	—	—
1969-70 . . .	14,68,631	—	—
1970-71 . . .	45,70,219	—	—
1971-72 . . .	85,37,451	3,33,071	—
1972-73 . . .	1,08,62,715	22,12,354	—
1973-74 . . .	1,68,31,785	62,40,302	8,238
1974-75 . . .	1,93,85,280	87,20,964	1,22,742
1975-76 . . .	2,48,99,475	1,09,38,399	2,60,619
1976-77 . . .	2,57,98,070	1,12,60,292	2,71,144

विवरण-2

साज सामान, वातानुकूलन, बिजली के काम और लानों की व्यवस्था करने पर किया गया अलग अलग व्यय तथा इन प्रत्येक मदों पर हुआ उत्तरोत्तर वार्षिक व्यय

वर्ष	साज-सामान	वातानुकूलन	बिजली का काम	बागवानी
	रु०	रु०	रु०	रु०
1971-72 .	—	—	3,33,071	—
1972-73 .	—	16,07,214	6,05,140	—
1973-74 .	—	30,13,609	32,27,293	8,238
1974-75 .	—	40,97,359	46,23,605	1,22,742
1975-76 .	—	45,38,945	63,99,454	2,60,619
1976-77 .	23,29,846*	45,98,153	66,62,133	2,71,144

* 1973-74 से साज-सामान पर कुल व्यय 23,29,846 रु० है । सिविल कार्यों के व्यय का हिसाब भवन व साज-सामान दोनों को मिलाकर लगाया जाता है । अतः भवन निर्माण कार्य तथा साज सामान के लिए वर्षवार अलग अलग आंकड़े नहीं दिए जा सकते ।

संसदीय सौध को वातानुकूलित बनाना

3117. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या निर्माण और आवास तथा पुति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसदीय सौध की पूरी इमारत के एक स्थान से वातानुकूलन की पहले योजना थी;

(ख) यदि हां, तो इस इमारत के वातानुकूलन के लिए उक्त योजना को कार्यान्वित करने हेतु क्या उपाय किए गए थे ;

(ग) इस इमारत की उपरी मंजिलों को वातानुकूलित न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार का उन मंजिलों को एक स्थान से वातानुकूलित करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) मंजूरी दी गई वातानुकूलन कार्य का विस्तार प्रारम्भ में बेसमेंट, भूतल तथा प्रथम मंजिल तक ही सीमित था और इन्हें केन्द्रीय रूप से वातानुकूलित किया गया ।

(घ) शेष भाग के वातानुकूलन के लिए के० लो० नि० वि० के मुख्य इंजीनियर (विद्युत) द्वारा 39.71 लाख रुपये के अनुमान का एक प्रस्ताव सरकार को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है । यह विचाराधीन है ।

‘वेक्यूम पान प्रोसेस’ से चीनी बनाने के कारखाने

3118. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 से आरम्भ की गई ‘वेक्यूम पान प्रोसेस’ से चीनी बनाने के कारखानों की संख्या कितनी है ;

(ख) प्रत्येक राज्य में ऐसे कारखानों की गैर-सरकारी, सरकारी एवं सहकारी क्षेत्रों में अलग-अलग संख्या कितनी है ; और

(ग) इन कारखानों में से प्रत्येक की अधिकतम उत्पादन क्षमता क्या है और प्रत्येक का वास्तविक उत्पादन कितना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) 59 ।

(ख) 59 फैक्ट्रियों में से 47 फैक्ट्रियां सहकारी क्षेत्र में, 6 फैक्ट्रियां सार्वजनिक क्षेत्र में और 6 ज्वाइंट स्टॉक फैक्ट्रियां हैं ।

राज्यवार आंकड़े परिशिष्ट 1 में दिए गए हैं [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 667/77] ।

(ग) सूचना परिशिष्ट—2 में दी जाती है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 667/77] ।

श्वेत क्रान्ति

3119. श्री रामानन्द तिवारी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ‘देश में श्वेत क्रान्ति’ के लिए सरकार का कोई समयबद्ध कार्यक्रम है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) 1973-74 में 232 लाख मीटरी टन के आधार स्तर से दूध का उत्पादन पांचवीं योजना के अन्त तक 286 लाख मीटरी टन तक बढ़ाने की योजना है ।

राज्य सरकारों को इमारतों के नक्शे पास करने संबंधी मार्गदर्शी निर्देश

3120. श्री रामानन्द तिवारी : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कानून के अन्तर्गत नियत सीमा से अधिक खाली भूमि पर इमारतों के नक्शे पास करने के बारे में राज्य सरकारों को कोई मार्गदर्शी निर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) जी हां; निर्माण और आवास मंत्रालय के दिनांक 31-12-1976 के परिपत्र सं० 1/50/76—यू० सी० यू० के साथ जारी निर्देशनों की एक प्रति संलग्न है । (ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 668/77) ।

कुलाची हंसराज माडल स्कूल, अशोक विहार, नई दिल्ली को प्लॉट का आवंटन

3121. श्री दुर्गाचन्द : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० ए० वी० कालेज प्रबन्ध समिति, नई दिल्ली ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से कुलाची हंसराज माडल स्कूल, अशोक विहार, नई दिल्ली के साथ संलग्न प्लॉट के आवंटन हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति की मुख्य मांग क्या है ;

(ग) उक्त स्कूल में कितने छात्र हैं और स्कूल भवन की भूमि का क्षेत्रफल कितना है ; और

(घ) क्या सरकार ने स्कूल भवन के साथ वाला प्लॉट स्कूल को आवंटित करने का निर्णय किया है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति की मुख्य मांग लगभग 3 एकड़ अतिरिक्त भूमि के आवंटन के बारे में है ।

(ग) स्कूल के छात्रों की संख्या 2215 बताई गई है और स्कूल के भवन की भूमि का क्षेत्रफल 1.46 एकड़ है ।

(घ) जी, नहीं ।

नर्मदा सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति

3122. श्री अहमद एम० पटेल : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा जल के संदर्भ में मंजूर की गई छोटी और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का मुख्य व्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इन परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) नर्मदा जल विवाद के सम्बन्ध में नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का फैसला हो जाने तक और न्यायाधिकरण के समक्ष पक्ष राज्यों के दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के पक्ष राज्यों के बीच मार्च, 1975 में यह सहमति हुई थी कि भारत सरकार द्वारा परियोजनाओं की सामान्य समीक्षा किए जाने और मंजूरी दिए जाने पर गुजरात करजन, सुखी, हिरेन और रामी परियोजनाओं का और मध्य प्रदेश कोलार, बिचिया, सुक्ता तथा बिठुआलतिया परियोजनाओं का निर्माण शुरू कर सकता है। योजना आयोग द्वारा गुजरात और मध्य प्रदेश की अब तक मंजूर की गई परियोजनाओं का स्थूल व्यौरा नीचे की सारणी में दिया गया है :—

परियोजना का नाम	मंजूर की गई अनुमानित लागत (लाख रुपए)	लाभ (हजार हैक्टेयर)
गुजरात :		
रामी	61.00	1.323
सुखी	2311.00	21.25
करजन	3720.00	61.97
मध्य प्रदेश :		
बिचिया	124.00	2.00
सुक्ता	493.00	19.00

इसके अलावा, नर्मदा बेसिन में मध्य प्रदेश की निम्नलिखित दो वृहद परियोजनायें नर्मदा जल-विवाद न्यायाधिकरण के स्थापना से पहले योजना आयोग द्वारा मंजूर की गई थीं :—

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपए)	लाभ (हजार हैक्टेयर)
तवा	7928.00	332.00
बर्ना	1297.00	63.20

(ख) और (ग). यद्यपि, गुजरात की सुखी और करजन परियोजनाओं पर निर्माण-कार्य शुरू नहीं किया गया है, रामी सिंचाई परियोजना के लिए मिट्टी का बांध बनाने का कार्य किया जा रहा है। रामी परियोजना के पांचवीं योजना के अन्त तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना

वना है। बिछुआ और सुक्ता परियोजनाओं का निर्माण-कार्य अभी हाल ही में शुरू किया गया है।

तवा: बांध का निर्माण-कार्य शिखर (क्रेस्ट) तक पूरा हो गया है और आशा है कि उमड़ मार्ग (स्पिल-वे) फाटक अगले साल तक लग जायेंगे। नहर प्रणाली के निर्माण-कार्य प्रौढ़ावस्था में है।

वर्ना : निर्माण-कार्य प्रौढ़ावस्था में है। आशा है कि उमड़-मार्ग पुल के फाटक तथा 4 स्पैन लगाने का काम जुलाई, 1977 के अन्त तक पूरा हो जाएगा और सारी परियोजना 1977-78 तक पूरी हो जाएगी।

अनाज का आयात

3123. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

श्री एस० आर० दामाणी :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू वर्ष में खाद्यान्नों का आयात करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में खाद्यान्न का आयात करने का प्रस्ताव है और इस बारे में किन देशों से बातचीत की जा रही है ; और

(ग) आयात के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग). स्टॉक की स्थिति सुगम होने के संदर्भ में सरकार का चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्नों का आयात करने का इरादा नहीं है। तथापि, योरोपीय आर्थिक समुदाय और बेल्जियम से उनके 1975-76 खाद्य सहायता कार्यक्रम के प्रति सहायता के रूप में लगभग 1.8 लाख मीटरी टन गेहूँ, जो कि पिछले वर्ष सप्लाई नहीं किया जा सका, का चालू वर्ष के दौरान लदान होने और प्राप्त होने की सम्भावना है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में पंजीकृत व्यक्तियों के नाम

3124. श्री शंकरसिंह जी बाघेला : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण में फ्लैटों तथा भूमि के प्लॉटों के आवंटन के लिए विभिन्न श्रेणियों अर्थात् निम्न, मध्यम तथा उच्च आय वर्ग में कितने लोगों का नाम पंजीकृत है ;

(ख) विभिन्न श्रेणियों में पहले व्यक्ति का नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण में कब से पंजीकृत है और उसे फ्लैट अथवा प्लॉट न दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) पंजीकरण के समय फ्लैट का मूल्य क्या था विभिन्न श्रेणियों के फ्लैटों के मूल्य इस समय क्या है और किन विशेष कारणों से इतने ऊँचे मूल्य निर्धारित किये गये ; और

(घ) शीघ्र ही फ्लैट अथवा प्लॉट आवंटित करके पंजीकृत व्यक्तियों की सूची निपटाने के लिए क्या विशेष कदम उठाने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) प्लॉटों के अलॉटमेंट के लिये कोई पंजीकरण योजना नहीं है। तथापि, फ्लैटों के आवंटन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास विभिन्न वर्गों के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

मध्यम आय वर्ग	.	23868
निम्न आय वर्ग	.	20866
जनता	.	19273

		64007

(ख) बने बनाये फ्लैटों के आवंटन के लिए पहली योजना वर्ष 1969-70 में आरम्भ की गई थी।

पुराने पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैटों का आवंटन न करने के कारण, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित है :—

- (i) फ्लैटों के आवंटन के लिये डाली गई लाटरी में पंजीकृत व्यक्ति भाग्यशाली नहीं रहे हैं;
- (ii) कुछ मामलों में अलॉटमेंट इस कारण नहीं ली गई क्योंकि जिस क्षेत्र की पेशकश की गई है वह पंजीकृत व्यक्ति को पसंद नहीं आई।
- (ii) कुछ मामलों में अलॉटमेंट इस कारण लौटा दी गई क्योंकि मंजिल उनके पसंद नहीं थी।

(ग) प्रथम पंजीकरण के समय निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों का घोषित किया गया सम्भावित मूल्य इस प्रकार था :—

- (i) निम्न आय वर्ग . . . 12500 रु०—22000/- रुपए
- (ii) मध्यम आय वर्ग . . . 25000/- रु० तथा 30,000 रु० के बीच

निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग फ्लैटों का मौजूदा मूल्य इस प्रकार है :—

- (i) निम्न आय वर्ग . . . 44300 रु० और 50400 रु० के बीच
- (ii) मध्यम आय वर्ग . . . 61700 रु० से 79500 रु० के बीच

मूल्यों में वृद्धि श्रमिकों की मजदूरी, भवन सामग्री की लागत और भूमि की लागत में वृद्धि के कारण हुई है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह निर्णय किया है कि उन व्यक्तियों को प्राथमिकता तथा वरीयता दी जाएगी जिन्होंने प्रथम तथा द्वितीय पंजीकरण योजना में अपना पंजीकरण करवाया है। अतः यह आशा है कि पिछली सूची एक वर्ष या उससे कुछ अधिक अवधि के अन्दर समाप्त हो जाएगी।

राज्यों में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनायें

3125. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 25 वर्षों से राज्यों की बहुत सी सिंचाई परियोजनायें निर्माणाधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो ये परियोजनायें कौन-कौन सी हैं और उनके निर्माण किस स्थिति में हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं को किसी निर्धारित समय के अन्दर पूरा करने का कोई निर्णय किया है; और

(घ) वर्ष 1977 में केरल में किन नई सिंचाई परियोजनाओं को शुरू किया जायेगा और वर्ष 1980 तक किन्हीं पूरा कर लिया जाएगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग). योजना-पूर्व अथवा प्रथम योजना अवधि में हाथ में ली गई निम्नलिखित परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है --

1. कोसी बराज तथा पूर्वी कोसी नहर (बिहार)
2. माही चरण—एक (गुजरात)
3. ककड़ापार (गुजरात)
4. भद्रा (कर्नाटक)
5. चम्बल चरण—दो (मध्य प्रदेश तथा राजस्थान)

इन परियोजनाओं के बारे में स्थिति नीचे दी गई है --

कोसी परियोजना : बराज पूरा हो गया है। 4.34 लाख हैक्टेयर की अन्तिम शक्यता की तुलना में लगभग 3.0 लाख हैक्टेयर सिंचाई शक्यता सृजित की जा चुकी है। नहर प्रणाली पर निर्माण-कार्य चल रहे हैं।

माही एवं ककड़ापार : ये परियोजनाएं काफी हद तक पूरी हो गई हैं। माही पर कडाना बांध तथा तापी पर उकई बांध को निर्माण होने के बाद, नहर प्रणालियों में अपेक्षित अतिरिक्त निर्माण-कार्य किये जा रहे हैं।

भद्रा : यह परियोजना काफी हद तक पूरी हो गई है। इस परियोजना के आकार में कुछ अतिरिक्त कार्यों को शामिल कर लिया गया है जिनमें कमान क्षेत्र में जलाशयों का निर्माण करना शामिल है। इन पर कार्य चल रहा है।

चम्बल : यह परियोजना काफी हद तक पूरी हो गई है। बहरहाल, जल-जमाव एवं घास पात उगने की समस्याओं के कारण आवश्यक कुछ सुधार कार्य किये जा रहे हैं।

इन परियोजनाओं को पांचवीं योजना के अन्त तक पूरा करने का प्रस्ताव है।

(घ) सात निर्माणाधीन बृहत् सिंचाई स्कीमों के अतिरिक्त, केरल में वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित 3 नई बृहत् और 3 नई मध्यम सिंचाई स्कीमों को कार्यान्वित किया जाएगा।

बृहत्	मध्यम
1. भुवाधुपुझा	1. कारापुझा
2. चिमनी	2. अटटापाडी
3. इदम तयार	3. मीनाचिल

वर्तमान संकेतों के अनुसार निम्नलिखित निर्माणाधीन परियोजनाओं के 1980 तक पूर्ण होने की संभावना है :—

1. चिन्तुरपुझा
2. कुट्टियाडी

उपर्युक्त 6 स्कीमों में किसी के भी 1980 तक पूर्ण होने की संभावना नहीं है।

स्कूलों में बीच में शिक्षा छोड़ने वाले बच्चे

3126. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में 5-16 वर्ष की आयु वर्ग के कितने स्कूल जाने वाले बालकों और बालिकाओं ने माध्यमिक शिक्षा पूरी की है;

(ख) गत तीन वर्षों में स्कूलों से इसी आयु वर्ग के कितने बालकों तथा बालिकाओं ने शिक्षा बीच में ही छोड़ दी है;

(ग) गत तीन वर्ष में कितने बालकों ने तकनीकी शिक्षा चुनी थी; और

(घ) इनमें से कितनों ने उसे पूरा किया ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) यह मंत्रालय स्कूल जाने वाले बच्चों के नामांकन संबंधी आंकड़े एकत्र करती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार 1974-75, 1975-76 और 1976-77 के दौरान I—V कक्षाओं में (6—11 आयु वर्ग) क्रमशः 650.73; 663.55 और 684.79 लाख के लगभग बच्चे अध्ययन कर रहे थे। इस अवधि के दौरान VI—VIII कक्षाओं में (11—14 आयु वर्ग) नामांकन संख्या क्रमशः 155.63, 161.95 और 172.12 लाख थी।

(ख) पिछले तीन वर्षों की अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि कुछ समय पहले किये गये अध्ययन के अनुसार कक्षा I में नामांकित छात्रों में से केवल 40 प्रतिशत के लगभग कक्षा V में और 25 प्रतिशत कक्षा VIII में पहुंचते हैं।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1974-75, 1975-76 और 1976-77 के दौरान क्रमशः 47,291; 48,769 और 50,270 छात्र तकनीकी संस्थाओं के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में दाखिल किये गये थे। तकनीकी तथा औद्योगिक पाठ्यक्रमों में 1970-71, 1971-72, 1972-73 के लिए दाखिला संख्या क्रमशः 103,958; 137,742 और 135,388 थी।

(घ) 1974-75, 1975-76 और 1976-77 के दौरान, क्रमशः 16,887; 20,141 और 25,145 छात्रों ने तकनीकी डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरे किए। 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के लिए मा० प्रौ० सं० और स्कूल स्तर की अन्य संस्थाओं से उत्तीर्ण संख्या क्रमशः 27,346; 34,437 और 33,750 थी।

पूर्व पाकिस्तान के विस्थापितों के लिये बृहत योजना

3127. श्री सौगत राय : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्व पाकिस्तान के विस्थापितों के लिए पश्चिम बंगाल की पिछली सरकार द्वारा तैयार की गई और केन्द्रीय सरकार को वर्ष 1973 में प्रस्तुत की गई बृहत योजना को पूरी तरह से लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

निर्माण तथा आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख). माननीय सदस्य का ध्यान श्री प्रिय रंजन दास मुंशी द्वारा 6-3-1975 को पूछे गये लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2544 के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है। जैसा कि उत्तर में बताया गया है, पश्चिमी बंगाल में पुनर्वास की अवशिष्ट समस्याओं के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए सचिव, पुनर्वास विभाग की अध्यक्षता में 2-7-75 को एक कार्यकारी-दल की स्थापना की गई थी। इस कार्यकारी-दल ने 10-3-76 को रिपोर्ट दे दी थी और इसकी प्रायः सभी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं जिनका व्यौरा नीचे दिया गया है :—

- (1) पांचवीं योजना में पहले से सम्मिलित तथा चालू पुनर्वास योजनाएं जारी रहनी चाहिए। ऐसी पांच योजनाएं हैं जिन पर लगभग 6 करोड़ रुपये व्यय होंगे।
- (2) लघु कृषक विकास एजेंसी सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रम योजनाओं के अधीन 9 जिलों में लगभग 3 लाख कृषक परिवारों के लिए 6 करोड़ रुपये [ऊपर (1) में दी गई राशि के अतिरिक्त] के अतिरिक्त संसाधन पांचवीं योजना में उपलब्ध किए जाने चाहिए।
- (3) रिपोर्ट में उल्लिखित विस्थापित व्यक्तियों को 1,008 कालोनियों के विकास के लिए अपेक्षित निधि उपलब्ध की जाएगी।
- (4) 31 दिसम्बर, 1950 से 25 मार्च, 1971 तक स्थापित की गई प्रवासी अनधिवासियों को विशिष्ट कालोनियों का नियमन स्वीकार किया जाना चाहिए और ऐसे अनधिवासियों को भूमि के अधिकार व हक प्रदान किए जाने चाहिए (इससे 175 कालोनियों के 15 हजार परिवारों को लाभ पहुंचेगा)।

- (5) ऋण जैसे भूमि खरीदने, गैर-अंशदायी गृह निर्माण, कृषि तथा लघु व्यवसाय के लिए दिये गये 'टाइप' ऋणों को माफी की योजना की ओर अधिक उदार बनाया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जाये कि वे इन ऋणों के भार से पूर्णतया मुक्त हो जाएं। इसका अर्थ यह होगा कि 6.38 करोड़ रुपये की माफी और इससे लगभग 2 लाख परिवारों को लाभ पहुंचेगा।
- (6) 337 गैर-तपेदिक शय्याओं, 103 तपेदिक शय्याओं और 2 चेस्ट बलीनिकों पर होने वाले व्यय को पूरा करने तथा नये प्रवासियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए 1.52 करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की जानी चाहिए।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पुनर्वास कार्यक्रम

3128. श्री मनोरंजन भक्त : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कोई पुनर्वास कार्यक्रम है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य प्रस्ताव क्या है;

(ख) कोम्पबैल की खाड़ी में एक भूतपूर्व सैनिक को बसाने के लिए कुल कितना खर्च हुआ; और

(ग) अण्डमान में पूर्व बंगाल के एक प्रवासी परिवार को बसाने में कुल कितना खर्च हुआ ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां। यह अनुमान था कि पांचवीं योजना के दौरान भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये प्रवासियों और श्री लंका के प्रत्यावासियों (बराबर अनुपात में) के 2200 परिवारों को लिटिल अण्डमान में बसाया जाएगा और भूतपूर्व सैनिकों के 400 परिवारों को ग्रेट निकोबार में बसाया जाएगा। तथापि, भूमि उद्धार का कार्य लगभग 2 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया था क्योंकि तत्कालीन प्रधान मंत्री ने चाहा था कि अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों में आगे वन साफ करने के कार्य को हाथ में लेने से पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ द्वारा पारिस्थितिक सम्बन्धी पहलुओं की जांच की जानी चाहिए।

चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 60 प्रवासी/प्रत्यावासी परिवारों के पुनर्वास के लिए लिटिल अण्डमान में 415 एकड़ भूमि तथा भूतपूर्व सैनिकों के 50 परिवारों के पुनर्वास के लिए ग्रेट-निकोबार में 525 एकड़ भूमि उद्धार के लिए दी गई है।

(ख) और (ग). चूंकि उनके पुनर्वास तथा इन्हें विभिन्न आधारभूत सुख सुविधाएं प्रदान करने के लिए अभी भी व्यय किया जा रहा है, इसलिए प्रति प्रवासी, प्रत्यावासी तथा भूतपूर्व सैनिक परिवार पर किया गया व्यय बताना सम्भव नहीं है।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में शिक्षकों को सेलैक्शन ग्रेड

3129. श्री मनोरंजन भक्त : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोठारी आयोग की उस सिफारिश को पूरी तरह से कार्यान्वित किया है जिसमें अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के शिक्षकों को सेलैक्शन ग्रेड देने की व्यवस्था की गई

है। यदि हां, तो अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में, वर्गवार, कितने पी० जी० टी०, जी० टी० टी० तथा वरिष्ठ शिक्षकों को सेलैक्शन ग्रेड दिए गए थे ; और

(ख) क्या कुछ पी० जी० टी०, जी० टी० टी० तथा वरिष्ठ शिक्षकों को अभी तक सेलैक्शन ग्रेड नहीं दिए गए हैं हालांकि वे इसके हकदार हैं; और वर्गवार उनकी संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) तथा (ख). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा उसे यथासमय सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

**“एनोमेलीज इन साइंटिस्ट इन्डक्सन्स इन टु ए०आर०एस०” शीर्षक से
प्रकाशित समाचार**

3130. श्री बसन्त साठे : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 जून, 1977 के “द टाइम्स आफ इंडिया” में “एनोमेलीज इन साइंटिस्ट इन्डक्सन्स इन टु ए आर एस” शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस में की गई विभिन्न टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है, करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा निर्धारित क्रियाविधि के अन्तर्गत, विभिन्न संस्थानों में कार्य करने वाले वर्तमान विज्ञानियों को कृषि अनुसंधान सेवा में प्रवेश के लिए कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल द्वारा निर्धारित फार्म में अपना जीवन वृत्त तथा दूसरे विवरण देने अपेक्षित थे। चूंकि कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल द्वारा मांगी गई अधिकांश सूचनाएं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के तत्कालीन निदेशक ने कुछ भिन्न रूप में पहले ही अपने संस्थान के विज्ञानियों में प्राप्त कर ली थी, अतः कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल ने, आरम्भ में संस्थान में प्राप्त सूचना के आधार पर, कृषि अनुसंधान संस्थान के विज्ञानियों के प्रवेश के लिए सहमति दी थी। बाद में यह पता चला कि कुछ मामलों में, निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर विज्ञानियों का प्रवेश कराना मण्डल के लिए सम्भव नहीं था। अतः दिसम्बर, 1976 में यह निश्चय किया गया कि जो विज्ञानी आरम्भिक चरण में प्रवेश नहीं पा सके उन्हें कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल द्वारा निर्धारित फार्म में अपना जीवन-वृत्त दोबारा भर कर देना चाहिए। इस शर्त को पूरा करने वाले अधिकांश विज्ञानी इस सेवा में 1-10-1975, जो कि सेवा के आरम्भिक गठन की तारीख थी, से प्रविष्ट किये जा चुके हैं। जिन विज्ञानियों ने, अब तक, निर्धारित फार्म में अपना जीवनवृत्त पेश नहीं किया है, जैसे ही वे कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल द्वारा मांगी गई पूरी सूचना उपलब्ध करायेंगे, तभी प्रविष्ट कर दिया जायेगा। कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल, संघ लोक सेवा आयोग की कार्य प्रणाली के आधार पर काम करता है और अपनी सफारिशों के आधार के विषय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को सूचित नहीं करता। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के विज्ञानियों को कृषि अनुसंधान सेवा में प्रवेश सम्बन्धी सभी सफारिशें कृषि तथा सिंचाई मंत्री द्वारा स्वीकार कर ली गई है जो कि परिषद् के अध्यक्ष होने की हैसियत में इस सेवा के नियंत्रण करने वाले अधिकारी है।

दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास

3131. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और उनमें से कितने कर्मचारियों को सरकारी आवास दिये गए हैं ;

(ख) कितने सरकारी कर्मचारियों के पास निजी मकान हैं और हाल ही के तथा पहले के आदेशों के अनुसरण में कितने कर्मचारियों को सरकारी आवास मिला है ; और

(ग) क्या सरकार निकट भविष्य में कोई योजना बनायेगी जिससे दिल्ली में दस वर्ष की सेवावधि हो जाने पर सरकारी कर्मचारी सरकारी आवास पाने के हकदार हो जाएं और यदि हां तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल वास के लिए पात्र केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या 1,00,87 है। इनमें से 41,522 को मकान आवंटित किए जा चुके हैं।

(ख) 1553 निजी मकान वाले कर्मचारी अब सरकारी वास के दखल में हैं।

(ग) आने वाले 20 वर्षों के दौरान, दिल्ली/नई दिल्ली में 80% पात्र कर्मचारियों को वास उपलब्ध कराने का सरकार का इरादा है। दिल्ली में प्रत्येक वर्ष 1700 मकान बनाने का एक भावी प्लान तैयार किया गया है बशर्ते कि इस कार्य को पूरा करने के लिए निधियां उपलब्ध हों। 31 मार्च 1977 को 3,713 क्वार्टर निर्माणाधीन है, 1977-78 के दौरान 3,098 क्वार्टरों का निर्माण आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

संसदीय सौध

3132. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसदीय सौध के निर्माण पर कुल कितनी लागत आई है और उसे बनाने का निर्णय किसने लिया था ;

(ख) यह भवन बनकर कब पूरा हुआ था, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को कब सौंपा गया था और उसके रख रखाव पर प्रति वर्ष कितना खर्च आता है।

(ग) क्या सरकार को इसके निर्माण में हुए गबन के बारे में शिकायतें मिली हैं और यदि हां तो क्या इस बारे में जांच कराई गई है और शिकायतें सही पाई गई हैं ?

(घ) क्या यह भी सच है कि इस भवन की बेसमेंट से पहली मंजिल तक की मंजिलों में वातानुकूलन की व्यवस्था है और शेष मंजिलों को जिन में कर्मचारी बैठते हैं, वातानुकूलित नहीं किया गया है, और

(ङ) पूरी इमारत कब तक वातानुकूलित बनाने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) मार्च 1977 के अन्त तक निर्धारित व्यय 3,73,29,506 रुपये है। (इसमें विभागीय प्रभार शामिल है)। तथापि, कुछ बिल अभी भी बकाया है। इस कार्य पर कुल 3,75,00,000 रुपये खर्च होने की आशा है। लोक सभा सचिवालय ने अपने पत्र संख्या 9,1,68—डब्ल्यू० जी० दिनांक 19-8-74 के द्वारा इस राशि की स्वीकृति दी थी।

(ख) यह भवन 15 दिसम्बर, 1975 को तैयार हो गया था। इसके अनुरक्षण पर वार्षिक व्यय निम्नांकित है :—

सिविल	1,38,800 रुपये
बागबानी	70,000 रुपये
बिजली	1,82,706 रुपये

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, हां।

(ङ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य इंजीनियर (बिजली ने भवन के ऊपरी भाग को वातानुकूलित करने के लिए 39.71 लाख रुपये के अतिरिक्त अनुमान सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा है। इसकी जांच की जा रही है।

Hire-Purchase Price of Slum Tenements

3133. Shri Mahi Lal : Will the Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1189 on the 23rd August, 1976 regarding price of slum tenements and state :

(a) whether the DDA wing has since taken a decision in regard to the hire-purchase price of slum tenements ;

(b) if so, the prices fixed colony-wise, particularly the price fixed for Ranjit Nagar Colony; and;

(c) if the reply to part (a) be in the negative, the reasons for delay when a decision to allot these tenements on hire-purchase basis has already been taken ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht):

(a) Yes, Sir, in some cases.

(b) Price has not yet been fixed for Ranjit Nagar Colony. Information is being collected for those colonies where the prices have been fixed.

(c) Fixation of price depends on various factors and is in progress for other colonies.

चावल की भूसी से खाद्य तेल का उत्पादन

3134. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल की भूसी से भारत में खाद्य ग्रेड के तेल के उत्पादन को बढ़ावा देने संबंधी योजना के लिए कोई प्रस्ताव भारतीय खाद्य निगम के विचाराधीन है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मैसूर स्थित केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ने चावल की भूसी को बदबूदार होने से रोकने के लिए एक प्रक्रिया का विकास किया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उसके कार्यक्रम से सन्तुष्ट है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या और कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) राइस ब्रान स्टेबलाइजर स्थापित कर, भारतीय खाद्य निगम अपने सेम्बनारकोइल सालवेंट प्लांट में कम फ्री फैटी एसिड तत्व से ब्रान आयल का उत्पादन करने में सफल हुआ है । यह तेल वनस्पति उद्योग की प्रीमियम मूल्य पर बेचा गया था जोकि औद्योगिक ग्रेड आयल के मूल्य के तुलनात्मक था । इस विधि को बढ़ावा देने के लिए और अनुसंधान विकास तथा विस्तार संबंधी कार्य करने की योजना बनाई जा रही है ।

New Policy Regarding Allotment of Transferred DDA Flats

3135. Shri Ram Naresh Kushwaha : Will the Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether after allotment of the DDA Flats, the allottees compelled with circumstances have gone out of Delhi by transferring the flats in the name of other persons ;

(b) if so, whether Government are making arrangements to allot the flats transferred in such circumstances to the persons residing there at present by laying down a new policy ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) :

(a) Under the D.D.A. Rules, the transfer of DDA's built-up flats to the family members of the original allottee is permissible, and when the allottee has no family of his own, to the legal heir as defined in the Hindu Succession Act, 1956. The D.D.A. has permitted transfer in such cases.

(b) No, sir.

(c) Government do not consider it necessary to depart from the existing policy.

राजस्थान नहर परियोजना

3136. श्री सतीश अग्रवाल : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान नहर परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी और इसकी कुल अनुमानित लागत कितनी होगी ;

(ख) इसकी धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या फ्रांस अथवा ईरान की सरकारों ने इस परियोजना पर धन लगाने का प्रस्ताव किया था ; यदि हां, तो इन प्रस्तावों का क्या परिणाम निकला है ; और

(घ) क्या सरकार को इंजीनियरों तथा ठेकेदारों द्वारा इस परियोजना की धनराशि का घोर दुरुपयोग करने की जानकारी है और क्या सरकार का विचार उसकी जांच कराने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) राजस्थान नहर परियोजना के इंजीनियरी निर्माण-कार्यों को, धनराशि उपलब्ध होने पर, 1983-84 तक पूरा करने का कार्यक्रम है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1975 के मूल्यस्तर के आधार पर 396 करोड़ रुपये है।

(ख) साधनों की तंगी के कारण, प्रारम्भिक चरणों में इस परियोजना की प्रगति धीमी रही है। अब स्थिति ऐसी नहीं है। चौथी पंचवर्षीय योजना से पहले की पांच वर्ष की अवधि में हुए 4.6 करोड़ रुपये के औसत वार्षिक व्यय और चौथी योजना के दौरान हुए लगभग 9.5 करोड़ रुपये के औसत वार्षिक व्यय की तुलना में पांचवीं योजना के पहले तीन वर्षों में वार्षिक व्यय लगभग 21 करोड़ रुपये हुआ और चालू वर्ष के लिए 28 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है।

(ग) इस परियोजना की वित्त-व्यवस्था के लिए फ्रांस सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन, ईरान ने राजस्थान नहर परियोजना के चरण-दो के लिए सहायता देने में दिलचस्पी दिखाई है और इस प्रस्ताव पर भारत और ईरान के बीच विचार-विमर्श हो रहा है।

(घ) राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि उन्हें इंजीनियरों या ठेकेदारों द्वारा इस परियोजना पर धन के घोर दुरुपयोग की कोई जानकारी नहीं है।

राजस्थान नहर के जल का मार्ग बदलना

3137. श्री सतीश अग्रवाल : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान नहर परियोजना के जल का मार्ग बदलने और उसे जैसलमेर जिले के रामगढ़ तक शहर के निर्धारित अन्तिम छोर तक न पहुंचने के किसी प्रस्ताव की जानकारी है ;

(ख) राजस्थान नहर के जल से उठाऊ सिंचाई योजना को शुरू करने के लाभ क्या हैं ; ऐसी कितनी योजनाओं पर कार्य हो रहा है और उनकी प्रगति क्या है ; और

(ग) क्या सरकार के विशेषज्ञ इस जल के मार्ग बदलने की क्षमता से आश्वस्त हैं ; क्या इससे मरुस्थल में सिंचाई की मूल योजना में विलम्ब होते हुए दोहरे प्रयास नहीं करने पड़ेंगे ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1974 में रेगिस्तान विकास विषयक अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में अपेक्षाकृत अधिक घनी आबादी (लगभग 10-40 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर) वाले और विकसित समतल भूमि वाले 3.1 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की आवश्यकताओं को लिफ्ट सिंचाई द्वारा पूरा करने के लिए राजस्थान नहर परियोजना के चरण-दो को फिर से तैयार करने का सुझाव दिया था ताकि अधिक से अधिक लोगों को बार-बार पड़ने वाले सूखे से होने वाले विनाश से बचाया जा सके और "ग्रेकिटी" प्रवाह द्वारा रोवित और विरल आबादी वाले (लगभग 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर) 2.10 लाख हैक्टेयर के अनुपयुक्त क्षेत्र को चरण-दो के कमान क्षेत्र से निकाल दिया जाए। इस सुझाव पर विचार करने के लिए राजस्थान सरकार ने विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी और परियोजना के लिए एक विस्तृत (कार्यप्रणाली) एप्रोच रिपोर्ट तैयार कराई थी। जल और विद्युत विकास सलाहकारी सेवाएं लि० (वापकोस) ने, जिसको उपर्युक्त समिति के मार्ग दर्शन में सर्वेक्षण कार्य करने एवं परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया था, 1976 के अन्त में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें इस परियोजना के चरण-दो में 5 लिफ्ट स्कीमों को शामिल करने की सिफारिश की गई थी।

राजस्थान सरकार ने इस रिपोर्ट पर एवं विभिन्न आर्थिक तथा अन्य पहलुओं पर, जिसमें रोजगार के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना भी शामिल है, विचार करने के पश्चात् तथा भारत सरकार के परामर्श से यह फैसला किया कि इस परियोजना के चरण-दो के अन्तर्गत प्रवाह द्वारा 5 लाख हैक्टेयर एवं 60 मीटर तक की अधिकतम लिफ्ट के साथ 5 लिफ्ट स्कीमों द्वारा 2.6 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया जाए जबकि मूल परियोजना रिपोर्ट में प्रवाह द्वारा 6 लाख हैक्टेयर की सिंचाई करना शामिल था। लेकिन, राजस्थान मुख्य नहर जैसीकि मूल योजना थी, जैसलमेर जिले में रामगढ़ तक निर्मित की जाएगी। राजस्थान नहर परियोजना के चरण-दो की संशोधित परियोजना रिपोर्ट की भारत सरकार द्वारा जांच की जा रही है तथा इन पांच लिफ्ट स्कीमों के सर्वेक्षण कार्य किए जा रहे हैं।

अब राजस्थान नहर को धन उपलब्ध हो जाने पर; 1983-84 तक पूर्ण किये जाने का कार्यक्रम है। सिंचाई के विकास से, जैसाकि अब प्रस्तावित है, प्रयासों में दोहरापन आने की संभावना नहीं है और इसके कारण रेगिस्तान में सिंचाई की मूल योजना के क्रियान्वयन में देरी होने की संभावना नहीं है।

D.A.P. and Insecticide

3138. Shri Surendra Bikram : Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) whether he is aware that Di-Ammonium Phosphate which is supplied to the farmers, is an imported one, and was imported 5 years ago and has now no potentiality and if so, the reasons for doing so ; and

(b) whether arrangements are being made to ensure availability of fertilizers and insecticides to small farmers in time and if so, when ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Di-Ammonium Phosphate (D.A.P.) is indigenously manufactured as well as imported. It is a popular and fast moving fertiliser and both imported and indigenously D.A.P. is supplied to the farmers. Imported D.A.P. is allotted to the State Governments who in turn reallot to institutional agencies. These agencies get supply from Food Corporation of India, and or Central or and State Warehousing Corporations, who were instructed as early as 1970 to turn-over old stocks prior to issue of fresh stocks. Moreover, at the end of January, 1975, there was no stock of imported fertilisers, either with Food Corporation of India or with Warehousing Corporations on behalf of the Pool. The question of supply of 5 year old stocks of imported DAP by the Government to the distribution agencies, who get reallotment from the States, therefore, does not arise.

(b) In order to make fertiliser available to farmers (including small farmers) in time, the following steps have been taken :—

- (i) Estimates of requirements are made and supply plans finalised well before each main season, mainly kharif and Rabi.
- (ii) Buffer stocks of fertilisers are being maintained at more than 600 centres in the country to meet emergent demands.
- (iii) About one lakh retail outlets sell fertilisers to farmers. Further, efforts are being made to increase the retail points in the interior.
- (iv) Movement of fertilisers by rail is being done on priority basis.
- (v) Credit to the farmers is being arranged for purchase of fertilisers and other inputs.

As for *insecticides*, the State Governments and institutional agencies have opened a number of depots and they have a wide net-work of distribution points (about 52,000 in number) in the country. The Government of India are also implementing a scheme, under which 50 per cent

of the production and import of some important pesticides (Technical grade materials) are allotted directly to the State Governments for the purpose of formulation and supply to the farmers. In case of some of the important commercial crops subsidy for ground aerial spray of pesticides is being given.

पाठ्य पुस्तकों के रूप में बीस सूत्री और पांच सूत्री कार्यक्रम सम्बन्धी पुस्तकें

3139. श्री अनन्त दवे : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न स्कूलों और कालेजों में पाठ्य अथवा संदर्भ पुस्तकों के रूप में भूतपूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के बीस सूत्री कार्यक्रम और संजय गांधी के पांच सूत्री कार्यक्रम पर कितनी और कौन कौन सी पुस्तक रखी गई थी; और

(ख) तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम तथा 5 सूत्री कार्यक्रम पर "प्रगति के पथ पर" शीर्षक पुस्तक दिल्ली प्रशासन द्वारा दिसम्बर 1976 में दिल्ली के स्कूलों की कक्षा 9 और 10 के लिए अनुपूरक पाठ्य पुस्तक के रूप में प्रकाशित तथा निर्धारित की गई थी।

(ख) मूलतः दिल्ली प्रशासन द्वारा आदेश जारी किए गए थे कि 5 अंकों के प्रश्न इस पुस्तक में से रखे जाएं। परन्तु बाद में दिल्ली प्रशासन द्वारा 24 मार्च, 1977 को उक्त आदेश वापस ले लिए गए थे।

गुजरावाला गृह-निर्माण सहकारी समिति, दिल्ली के विरुद्ध शिकायतें

3140. श्री राम कंवार बेरवा : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी समितियों, दिल्ली के रजिस्ट्रार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि गुजरावाला गृह निर्माण सहकारी समिति, दिल्ली इस समिति के बाकी सदस्यों जिन्हें अभी प्लॉट दिये जाने हैं और जिनके लिये सरकार ने समिति को अतिरिक्त भूमि आवंटित कर दी है, के नामों की सूची में फेरबदल कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और बाकी सदस्यों को जो गत 18 वर्षों से प्लॉटों के आवंटन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, के हित की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं अथवा किये जाने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने जांच की है। कानून के अनुसार उचित कार्यवाही की जाएगी।

Indian Wild Life Council

3141. Shri Surendra Bikram ; Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) when the Indian Wild Life Council is proposed to be reconstituted ;

(b) whether it is proposed to give more powers to this Council to ensure proper preservation of wild life ; and

(c) if so, the facts thereof ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) There is no Indian Wild Life Council. There is an Indian Board for Wild Life which was reconstituted with effect from July 4, 1974 for a period of 4 years, and is therefore due for reconstitution from July 4, 1978.

(b) There is no such proposal under consideration in respect of the Indian Board for Wild Life which is an advisory body.

(c) Does not arise.

आई० आई० टी०, दिल्ली द्वारा ब्रिटेन में प्रशिक्षण हेतु भेजे गए व्यक्ति

3142. डा० रामजी सिंह. क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० आई० टी०, दिल्ली प्रशासन द्वारा दो व्यक्ति प्रशिक्षण हेतु ब्रिटेन भेजे गये थे और यदि हां, तो किस प्रकार के प्रशिक्षण के लिये; और

(ख) क्या आई० आई० टी० के छात्रों को विदेशों में प्रशिक्षण दिलाने का काम भी आई० आई० टी० का ही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) भारत सरकार के इंग्लैंड की सरकार के साथ भा० प्रौ० सं० दिल्ली के विकास के लिए सहयोगी प्रबन्ध है। शुरू, में सहयोग की योजना तीन वर्ष अर्थात् 1968-70 के लिए तैयार की गई थी और बाद में इसका अप्रैल 1971 से मार्च, 1974 तक की और अधिक अवधि के लिए नवीकरण किया गया। अप्रैल 1974 में इस करार को मार्च, 1976 को समाप्त होने वाली दो वर्ष की और अधिक अवधि के लिए बढ़ाया गया। सहयोग का वर्तमान करार एक अप्रैल, 1976 से शुरू होता है और यह पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध है।

सहयोग का उद्देश्य अनुसंधान और विकास की परियोजनाओं के जरिए भारत सरकार की योजनाओं में परिभाषित भारतीय उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भा० प्रौ० सं० को सहायता करना है। यह सहयोग भा० प्रौ० सं० की अपनी शैक्षिक भूमिका विकसित करने में सहायता करने के लिए भी है।

1-4-1976 से लेकर अब तक, विश्वविद्यालय प्रशासन और एन० सी० मशीनें चलाने में प्रशिक्षण देने तथा ब्रिटिश अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने के लिए इस करार के अन्तर्गत भ्रमणों की व्यवस्था का उपयोग करके सात व्यक्तियों को इंग्लैंड भेजा गया।

डी० डी० ए० के फ्लैटों की पट्टेदारी समाप्त करने के बारे में अन्तिम निर्णय

3143. चौधरी बलबीर सिंह : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री डी०डी०ए० फ्लैट्स की पट्टेदारी समाप्त करने के बारे में दिनांक 13 जून, 1977 के अतारंकित प्रश्न सं० 89 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० डी० ए० फ्लैटों की पट्टेदारी को समाप्त करके उन्हें 'फ्री होल्ड' बनाने के बारे में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ; और

(ख) क्या इन फ्लैटों के मूल्य संबंधी नीति डी०डी०ए० द्वारा दिसम्बर, 1976 और जनवरी, 1977 में बेचे गए केवल फ्लैटों पर लागू होगी या उन फ्लैटों पर भी लागू होगी जो इससे पहले के वर्षों में बेचे गये हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है और कोई समय-सीमा बताना संभव नहीं है ।

(ख) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

Breakup of Price Charged for DDA Flats

3144. Chowdhry Balbir Singh : Will the Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the price charged by the DDA for the MIG Flats and LIG and Janata flats sold in December, 1976 and January 1977 in various colonies such as Rajouri Garden Extension (Mayapuri) Prasad Nagar, Wazir Pur and Katwaria Sarai ;

(b) the break up of this cost e.g. cost of land, developmental charges, price paid to the contractors, supervision charges etc. ;

(c) whether the cost of the flats includes any amount for the maintenance of the flats; if so, the period for which flats will be maintained by the DDA and the items which will be covered under this maintenance ; and

(d) the prices of MIG flats sold by the DDA is atmost double the prices on which the flats are sold by the Housing Board, Bombay and if so, the reasons thereof ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) to (d) Information is being collected.

Check on Sale of Skins of Animals

3145. SHRI SURENDRA BIKRAM :

Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) Whether after killing the animals their skins are being sold to the foreigners through Nepal for thousands of rupees ; and

(b) if so, the steps taken to check it and if no steps have been taken the reasons therefor ?

The Minister for Agriculture and Irrigation : (Shri Surjit Singh Barnala)

(a) No such instance has come to the notice of the Government.

(b) Does not arise.

Birds sent Abroad

3146. Shri Surendra Bikram : Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) whether many birds caught by bird-catchers are being sent abroad by a firm of Calcutta with the result that many birds which are most beneficial for crops etc. are disappearing ; and

(b) the reasons for not imposing restrictions thereon.?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) and (b). About eight lakh birds of all types are reported to be exported from Calcutta annually by 4 main exporters. Detailed export statistics are being collected since January 1977 for assessing the magnitude of the problem. The Schedules to the Wild Life (Protection) Act, 1972 are proposed shortly to be amended to bring such exports under control.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वर्ष 1977-78 के लिए नौवहन और परिवहन मंत्रालय को अनुदानों की विस्तृत मांगें

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं वर्ष 1977-78 के लिये नौवहन और परिवहन मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ । [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल०टी० 648/77]

खाद्य निगम (दूसरा संशोधन) नियम, 1977

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : मैं खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत खाद्य निगम (दूसरा संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 25 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा०नि० 413(ड) में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूँ । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 649/77]

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त और राजस्व तथा बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(एक) सा०सा०नि० 427(ड) जो दिनांक 1 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा०सा०नि० 428(ड) जो दिनांक 1 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 650/77]

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । निदेश 2 के उप-पैरा 2 के अधीन जब तक अध्यक्ष महोदय किसी विशेष अवसर पर अन्यथा निदेश न दें, सभा पटल पर पत्र रखने से पूर्व विशेषाधिकार भंग का प्रश्न लिया जाना चाहिए । मैंने नियम 222 और 223 के अधीन विशेषाधिकार भंग की सूचना दी हुई है । अतः सभा पटल पर पत्र रखे जाने से पूर्व मुझे इसे उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब मैंने सभा पटल पर पत्र रखने के लिए कहा, तब आप खड़े नहीं हुए । और अब खड़े हो गए । अब आप इसके पश्चात् अपना मामला उठा सकते हैं ।

राजनयिक तथा कौंसिलीय ऑफिसर (फीस) संशोधन नियम, 1976 और राजनयिक तथा कौंसिलीय ऑफिसर (फीस) संशोधन नियम, 1976 के अन्तर्गत अधिसूचना ।

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूँ :—

- (1) राजनयिक तथा कौंसिलीय ऑफिसर (शपथ तथा फीस) अधिनियम, 1948 की धारा 8 के अन्तर्गत जारी किये गये राजनयिक तथा कौंसिलीय ऑफिसर (फीस)

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

संशोधन नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 15 अक्टूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सा०नि० 817(ड) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 651/77]

(2) राजनयिक तथा कौंसलीय आफिसर (फीस) संशोधन नियम, 1976 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या सा०सा०नि० 922(ड) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 16 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 652/77]

जमुनादास माधवजी एण्ड कम्पनी, बम्बई के श्री किशोर जे० तन्ना के विरुद्ध

विशेषाधिकार के प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST SHRI KISHORE J. TANNA OF JAMNA DASS MADHAVJI AND CO. BOMBAY

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 222/223 के अधीन मैं सभा के विशेषाधिकार भंग का प्रश्न उठाने की अनुमति मांगता हूँ। मामले से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार हैं :—

जमुनादास माधवजी एण्ड कम्पनी, बम्बई के, जिस पर बड़े गम्भीर आर्थिक अपराध और कदाचार के आरोप लगाए गए हैं, श्री किशोर जे० तन्ना ने टाइम्स आफ इन्डिया के सम्पादक के नाम एक पत्र लिखा है जो कि आज के अंक में छपा है। उसमें लिखा है कि यद्यपि हम अपने विरुद्ध किसी भी जांच को बुरा नहीं मानते हैं परन्तु आरोप सिद्ध होने से पहले सरकार द्वारा हमारा नाम प्रचारित करना गलत है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक तुच्छ राजनीतिक हथकंडा है।

मैंने लोक सभा और मंत्री महोदय को एक सूचना दी थी कि तेल से सम्बन्धित 13 फर्मों द्वारा लगभग 600 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा के घोंगले के बारे में पूरे व्यौरे प्राप्त करें। नामों की सूची में इस फर्म का नाम भी देखा जा सकता है।

इस पत्र में जो अकारण आलोचना की गई है और आरोप लगाए गए हैं उससे निश्चय ही सभा का विशेषाधिकार भंग हुआ है। इस गम्भीर कुकृत्य के लिए इस पत्र के लेखक को शीघ्र दण्ड दिया जाना चाहिए और ऐसा तभी हो सकता है जब कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाए, अन्यथा यह बिना किसी शर्त के क्षमा मांगे और उसे लगातार तीन दिन तक इस पत्र की तारीख से 15 दिन के भीतर छपवायें।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे मामले की जानकारी है। मुझे अभी अभी कागजात मिले हैं और मैं उन पर विचार कर रहा हूँ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मैंने सूचना दी है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सूचना देने का मतलब यह नहीं है कि आप एकदम खड़े हो जायें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अन्तराष्ट्रीय कृष्ण चेतना सोसाइटी आश्रम से सम्बन्धित व्यक्ति सी० आई० ए० के एजेंट हैं। कुछ लोगों से देश से चले जाने के लिए कहा गया था परन्तु वे अभी भी यहां हैं। आश्रम में गोलीकांड हुआ जिसमें 24 व्यक्ति घालय हो गए। चूंकि विदेश मंत्री यहां हैं, इसलिए वह इस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।

अनुदानों की मांगें, 1977-78—जारी

DEMANDS FOR GRANTS, 1977-78 — Contd.

उद्योग मंत्रालय—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : हम उद्योग मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों पर चर्चा शुरू करेंगे। श्री जार्ज फर्नानडिस।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नानडिस) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि मैंने जो बातें कहीं हैं, उन पर सभा के सभी वर्गों की सहमति मिली है। वादविवाद में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों ने हमारी औद्योगिक नीति को जो समर्थन दिया है, उससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिला है।

कांग्रेस दल के कुछ माननीय सदस्य भी मेरी इस बात से सहमत हैं कि तीन दशकों से हमारी अर्थ व्यवस्था को नष्ट किया जाता रहा है। इस बात से कोई इन्कार नहीं करता है कि कांग्रेस के शासन के दौरान देश ने प्रगति की है। परन्तु बात इतनी ही है कि कोई इसे कैसे देखता है। अंग्रेजों ने इस देश में 150 वर्षों तक शासन किया और इन 150 वर्षों में उन्होंने प्रति वर्ष लगभग एक हजार किलोमीटर रेल लाइनें बनाई जबकि कांग्रेस ने अपने 30 वर्षों के शासन के दौरान प्रति वर्ष केवल लगभग 100 किलोमीटर रेल लाइनें बनाई। अब देश में अंग्रेजों के समय में अधिक शीघ्र प्रगति की है या कि कांग्रेस के शासन में (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शांत। बीच में मत बोलिए।

श्री जार्ज फर्नानडिस : यदि प्रति वर्ष बेरोजगारों की संख्या में 28 लाख की वृद्धि को प्रगति कहा जाए तो उनके अनुसार बड़ा ही विकास हुआ है। खेद है कि मैं तो इसे प्रगति नहीं मानता। (व्यवधान) गत दस वर्षों में दालों की खपत प्रति व्यक्ति लगभग 60 औंस से घटकर 35 औंस रह गई है। यदि आप कहें कि यह प्रगति का सूचक है तो हमारा प्रगति का स्तर इससे इकदम भिन्न है। इसी तरह कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत भी 50 मीटर से घटकर 31½ मीटर रह गई है। गरीबी से नीचे के स्तर पर रहने वालों की संख्या बढ़ रही है। निरक्षरों की संख्या बढ़ गई है। यह तो आप लोगों का स्तर है। प्रगति के बारे में हमारी धारणा भिन्न है। हम तो अपने देश की प्रगति का अन्य देशों की प्रगति से मुकाबला करते हैं।

मैंने कहा था कि औद्योगिक क्षेत्र में 4 प्रतिशत वृद्धि हुई है। श्री वेंकट रमन ने कहा कि यह सही नहीं है और इस देश ने सभी देशों की अपेक्षा अधिक प्रगति की है। मेरे पास विश्व बैंक की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1965-76 के बीच विश्व के विकासशील देशों में 9 प्रतिशत प्रगति हुई है जबकि भारत में 4 प्रतिशत हुई है।

हमारे दल में भिन्न भिन्न विचार हैं। यह ठीक भी है। हमारा लोकतांत्रिक दल है। हम लोकतन्त्री सरकार चला रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अब कांग्रेसी सदस्य यह मानेंगे कि एक ही व्यक्ति को सब कुछ समझ लेने से राजनीतिक आन्दोलन और सरकार कमजोर होती है। यदि हमारे बीच कोई मतभेद है तो उनका प्रभाव नीति निर्धारण पर नहीं पड़ता।

[श्री जार्ज फर्नानडिस]

औद्योगिक नीति के बारे में इस सभा में मैंने जो कुछ कहा है वह केवल मेरे अपने विचार नहीं हैं अपितु वह सम्पूर्ण सरकार के विचार हैं।

विरोधी पक्ष ने मुझे चेतावनी दी है कि इस नीति को अमल में लाने में अनेकों खतरे हैं। उन्होंने मुझे विशेषकर बड़े व्यापारिक गृहों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बारे में अगाह किया है। मैं भी इन दोनों की शक्ति और पहुंच को कम नहीं मानता। पर इन्हें हमारी चिन्ता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हम इनके कार्य के तरीकों को भली भांति जानते हैं। ये समझते हैं कि पैसे से सभी को खरीदा जा सकता है। पर इस ओर कोई भी नहीं खरीदा जा सकता और वे भी इस तथ्य को अच्छी प्रकार जानते हैं। फिर भी यदि कोई यह समझता हो कि पिछले 30 वर्षों की तरह अब भी हेराफेरी की जा सकती है तो यह उसकी भूल होगी।

जहां तक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का सम्बन्ध है, वे हार मान चुके हैं। इसलिए वे अब सरकार को प्रभावित नहीं कर सकते। क्योंकि इस प्रश्न का हल जनता ने इस वर्ष मार्च में कर दिया है। फिर भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ हुए कई सौदों का मुझे पता चल रहा है। मैं उनकी छान-बीन करने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो संसद् के और मंत्रियों के चारों ओर अपना जाल बिछा देते हैं। ये लोग सरकारी कर्मचारियों को बदनाम करते हैं और उन्हें प्रभावित कर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं। मैं इनका पता लगाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं इस समय इतना ही कहना चाहता हूं कि हम उन्हें इस प्रकार का कार्य नहीं करने देंगे।

मेरे माननीय मित्र श्री उन्नीकृष्णन् ने बिड़ला बन्धुओं के विरुद्ध की जा रही जांच का उल्लेख किया है। इस सम्बन्ध में 'सरकार आयोग' का गठन 1970 में किया गया था और आज उसे काम करते आठ वर्ष हो चुके हैं। हमने इस आयोग पर डेढ़ करोड़ रुपया खर्च कर दिया है और जांच अभी भी चल रही है। अभी तक जांच पूरी न होने का क्या कारण है? इसका कारण यह है कि उसके निदेश-पद इस प्रकार बनाए गए कि एक ओर तो इससे जनता को खुश किया जा सके और दूसरी ओर बिड़ला बन्धुओं को। इस आयोग ने काफी काम पूरा कर लिया है। इसने उसे पेश की गई 11,000 फाइलों में से 9,000 फाइलों की जांच पूरी कर ली है। मुझे आशा है कि इस आयोग के निष्कर्षों के आधार पर हम इस बड़े व्यापार गृह के कुकर्मों का पर्दाफाश कर सकेंगे। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम इसे काम नहीं करने देना चाहते? हम चाहते हैं कि यह व्यापार गृह फले-फूलें इसका विकास हो। देश में अधिक उत्पादन हो। पर हम इसे कानूनों का उल्लंघन कर अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करने देंगे।

श्री मधु लिमये ने अपने भाषण में जयपुर सीमेंट उद्योग का उल्लेख किया है। यह उद्योग एक बड़ा सीमेंट उद्योग है जो 5 लाख टन से भी अधिक सीमेंट तैयार करता है। पर आज यह एक रूग्ण इकाई है। इसे अब सरकार चला रही है। स्टेट बैंक के अनुसार इसके रूग्ण होने के मुख्य कारण हैं लापरवाही के कारण इसका उत्पादन गिरा, इसके एकमात्र विक्री एजेंट द्वारा धनराशि की बड़ी मात्रा में दूसरे कामों पर लगाना तथा क्रय और विप्रेषण में प्रबन्धक का गोलमाल। हम इसकी जांच करेंगे और उसके दूर-गामी परिणाम निकालेंगे।

श्री के० ए० राजन (त्रिचुर) : 6000 कर्मकार बेकार हो गये हैं।

श्री जार्ज फर्नानडोज : अब संयंत्र पूरी क्षमता से काम कर रहा है।

नेशनल रेयन्स के मामलों का भी उल्लेख किया गया है । यह बात बहुत गम्भीर है (व्यवधान) । इसके मामलों की भी जांच की जायेगी और उचित निर्णय लिए जाएंगे । मोदी रबड़ का नेशनल रेयान के साथ सम्बन्धों का भी उल्लेख किया गया है । मैं इस पूरे मामले की जांच कर रहा हूँ और निष्कर्षों से सभा को जल्दी ही अवगत कराऊंगा (व्यवधान) ।

कोका-कोला के सम्बन्ध में दो बातें उठाई गई हैं । पहली लाइसेंस देने की और दूसरी रिश्वत की । मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस फर्म को कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है और यदि रिश्वत के रूप में घन दिये जाने का कोई मामला सामने आया और ठोस प्रमाण दिये गये तो हम प्रसन्नता से उसकी जांच करेंगे ।

श्री वेंकटरमन् ने सीमेंट का उत्पादन योजना आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कम होने की बात कही है । योजना आयोग ने 235 लाख टन का लक्ष्य रखा और 1978-79 में वास्तव में 208 टन उत्पादन होगा । इस लक्ष्य की पूर्ति होगी पर मेरा कहना यह है कि यह लक्ष्य बहुत कम रखा गया है । इस वर्ष 20 लाख टन सीमेंट की कमी रहेगी । लक्ष्य अवास्तविक रखे जाने के कारण ही देश में सीमेंट की कमी है । वर्तमान सरकार इस कमी को दूर करने के लिए सभी प्रकार के प्रयास करेंगी ।

श्री उन्नीकृष्णन् सरकारी क्षेत्र के प्रति सरकार के रुख से काफी चिन्तित प्रतीत होते हैं । मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारी धारणा है कि सरकारी क्षेत्र को देश की आर्थिक और औद्योगिक प्रगति में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है । सरकारी क्षेत्र में भी कुछ कमियाँ और अकुशलताएँ हैं । हम इनको दूर करने का प्रयास करेंगे जिससे सरकारी क्षेत्र देश की आर्थिक प्रगति में अपनी समुचित भूमिका अदा कर सके ।

श्री जी० नरसिंह रेड्डी ने कहा है कि भारतीय सीमेंट निगम द्वारा तैयार की गई 5 परियोजनाओं में से केवल 3 को स्वीकृति दी गई है । मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि शेष परियोजनाओं के लिए भी स्वीकृति दी जा चुकी है । इन्हें तन्दूर और अदीलाबाद में लगाया जाएगा । इनके लिए मशीनों और उपकरणों के क्रय आदेश इस वर्ष सितम्बर और अक्टूबर में दिये जायेंगे ।

यह प्रश्न उठाया गया है कि सरकार हाथ की घड़ियों का आयात क्यों करती है । हम देश की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उनका आयात करते हैं ।

Shri Arjun Singh Bhadoria (Etawah) : By what time shall we be able to achieve self sufficiency in watches ?

Shri George Fernandes : I will tell this also.

अभी तक हम अपनी आवश्यकता अंशतः देश में बनी घड़ियों से और अंशतः विदेशों से मंगाई गई घड़ियों से पूरी करते हैं । घड़ियों के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन वर्षों में कुछ नहीं किया गया । इसके विपरीत जो घड़ियाँ तस्करी से देश में लाते थे उनको बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता रहा । अब तक अपनी एच० एम० टी० की क्षमता बढ़ाने का विचार रखते हैं । इस बीच हम 10 लाख घड़ियाँ विदेशों से मंगा रहे हैं । वास्तव में हम कई एकक स्थापित करने जा रहे हैं जिनमें घड़ियाँ एसम्बल की जायेंगी । घड़ियों के 11 कारखाने देश में खोले जाएंगे जो सिक्किम, गोआ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश मेघालय, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब केरल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में स्थापित किये जाएंगे । इन कारखानों से एच० एम० टी० की उत्पादन क्षमता 10 लाख से बढ़ कर 1980-81 में 30 लाख हो जायेगी । इस बीच हम एक

[श्री जार्ज फर्नानडिस]

शीघ्र निष्पादन कार्यक्रम चलना चाहेंगे, जिससे कि भारत अगले तीन वर्षों में इस मामले में आत्म-निर्भर हो सके। गुजरात में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स परियोजना के बारे में प्रश्न उठाया गया है। गुजरात औद्योगिक विकास निगम, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० के सहयोग से एक प्रतिष्ठान स्थापित कर रहा है।

गुजरात राज्य मशीन टूल्स कारपोरेशन में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के 25 प्रतिशत इक्विटी शेयर होंगे। परियोजना की लागत लगभग 11 करोड़ रुपये होगी। कम्पनी को गुजरात सरकार ने जमीन का कब्जा दे दिया है। निर्माण अगस्त, 1977 में आरम्भ होगा और जनवरी, 1979 में उत्पादन शुरू होगा। सरकारी क्षेत्र के विस्तार के बारे में सरकार की वचनबद्धता का यह प्रमाण है।

श्री विनोद भाई बी० सेठ (जामनगर) : उत्पादन शुल्क के कारण लघु उद्योग समाप्त हो गये हैं।

श्री जार्ज फर्नानडिस : यह भिन्न प्रश्न है। विमको के लघु उद्योगों पर प्रभुत्व के बारे में प्रश्न उठाया गया है। यह कम्पनी इस देश में कई वर्षों से चल रही है। इसकी 50,000 लाख डिब्बियों की वार्षिक क्षमता है। 1970 से माचिसों का उत्पादन लघु उद्योगों के लिए आरक्षित किया गया था। विमको का 30 प्रतिशत उत्पादन का हिस्सा है और शेष 70 प्रतिशत लघु उद्योग क्षेत्र में होता है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : प्रश्न यह है कि बहुत सी कम्पनियों को मुलायम लकड़ी 5 रुपए प्रति टन के हिसाब से मिलती है जब कि लघु उद्योगों को 20 रुपए प्रति टन के हिसाब से मिलती है। यह रियायत बड़े उद्योगों को लाभ कमाने के लिए दी गई है।

श्री जार्ज फर्नानडिस : इस बात की जांच की जायेगी कि विमको को कैसे यह रियायत दी गई है। इस बजट में एक ग्रुस माचिस पर 55 पैसे के उत्पादन शुल्क की रियायत दी गई है। लघु उद्योगों के समक्ष पराफिन मोम की भी समस्या है इसके समाधान के लिए सरकार निर्यात करने की इजाजत दे देगी।

जहां तक लघु, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों का सम्बन्ध है उनके विकास पर विशेष जोर दिया गया है और वर्ष 1977-78 के परिचय में वर्ष 1976-77 की अपेक्षा 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। 1977-78 में यह 55.9 करोड़ रुपए है जब कि 1976-77 में 41.2 करोड़ रुपए था। इसके अतिरिक्त हस्तशिल्प, हथकरघा और रेशम के कीड़े पालने के लिए 1976-77 की 13 करोड़ रुपये की राशि बढ़ा कर 1977-78 में 27 करोड़ रुपए की गई है। यह 100 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि है। बड़े और मध्यम उद्योगों में कुल निवेश बढ़ा कर 1977-78 में 180.35 करोड़ किया गया है जब कि वर्ष 1976-77 में यह 127.99 करोड़ रुपए था। इसमें 12.45 करोड़ रुपए की कमी की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित ढांचे में सुधार करने के लिए पञ्च मार्गों सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए 20 करोड़ की और पीने के पानी के लिए 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वजट प्रस्तावों से इस सम्बन्ध में स्थिति और भी स्पष्ट हो जायेगी। लघु उद्योगों के बारे में

भी यह आलोचना की गई है कि वे कच्चा माल, काले बाजार में बेच देते हैं किन्तु इससे हमारी नीति में परिवर्तन नहीं होगा और ऐसे ठोस कदम उठाएंगे कि जिससे कतिपय और क्षेत्र चालू वर्ष में लघु उद्योगों के लिए आरक्षित किये जायें ।

श्री आर० वेंकटारमन (मद्रास दक्षिण) : इस वर्ष वित्त विधेयक में 25 प्रतिशत निवेश की छूट कर दी गई है ।

श्री जार्ज फर्नान्डिस : जो भी रचनात्मक सुझाव होंगे उन की जांच की जायेगी और उन पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : हौजरी उद्योग एक लघु उद्योग है इसमें हजारों मजदूर काम करते हैं । इसमें उत्पादन शुल्क लगाया गया है । अतः उन्हें कहां संरक्षण दिया गया है । जो बने बनाये कपड़े तैयार नहीं करते हैं उन पर उत्पादन शुल्क नहीं है । अतः क्या मंत्री महोदय वित्त मंत्री से इस उद्योग तथा बीड़ी उद्योग पर से उत्पादन शुल्क हटाने का प्रयत्न करेंगे ?

डा० सुशीलानायर (झांसी) : मैं मंत्री महोदय का ध्यान लघु उद्योग की ओर आकर्षित करना चाहती हूं । तांबे के चूरे पर उत्पादन शुल्क 45 प्रतिशत से बढ़ा कर 120 प्रतिशत किया गया है । इसका उपयोग कीटनाशी जैसे वस्तुओं के लिए किया जाता है जिसे देश में कृषि में प्रयोग किया जाता है । इसके परिणामस्वरूप यह चूरा शुद्ध तांबे की अपेक्षा 20 प्रतिशत महंगा हो जाएगा और पूरे स्थित 30 से 40 लघु उद्योग समाप्त हो जायेंगे । क्या मंत्री महोदय इस उत्पादन शुल्क को समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री जार्ज फर्नान्डिस : मैं केवल यह कह रहा हूं कि ये सब बातें सम्बद्ध मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के समय उठायी जा सकती हैं । माननीय सदस्यों ने बम्बई, बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु आदि की रुग्ण मिलों के बारे में कहा गया है । मैं ऐसे तत्काल कदम उठाने का प्रयत्न करूंगा जिससे इन मिलों में काम करने वालों की तथा उद्योग की समस्याओं का समाधान हो सके । मैं यह भी कह सकता हूं कि यदि इन रुग्ण उद्योगों के मजदूर इन उद्योगों को अपने हाथ में ले लें तो हम उन्हें सभी प्रकार की वित्तीय सहायता देने को तैयार हैं । हम उन्हें विशेष सलाह की भी व्यवस्था करेंगे । उनकी प्रबन्ध समिति में हम सरकार का एक प्रतिनिधि रख सकते हैं । मैं यह सुझाव इसलिए नहीं दे रहा हूं कि ये रुग्ण मिलें हैं और किसी न किसी को उन्हें चलाना है । मैं उस स्थिति को देखना चाहता हूं जब मजदूर ऐसी मिलों को अपने हाथ में लेकर यह सिद्ध करें कि वे उनके औद्योगिक गृहों से अधिक अच्छी तरह से उन्हें चला सकते हैं ।

श्री ए० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : केरल के काजू विकास निगम में केवल मजदूरों के ही प्रतिनिधि हैं और वे बहुत अच्छे चल रहे हैं ।

श्री जार्ज फर्नांडीज : इन रुग्ण उद्योगों में मजदूर संघ आगे आयें और अपने सुझाव दें ।

श्री अशुत नहाटा (पाली) : इस देश के मजदूर वर्ग ने हमेशा यह चुनौती दी है कि मिलों की रुग्ण प्रबन्ध के कारण हैं और वे खुद प्रबन्ध कर सिद्ध कर सकते हैं । क्या मंत्री

[श्री अमृत नहाटा]

महोदय यह विचार करेंगे कि यदि किसी उद्योग के मजदूर किसी स्वस्थ मिल को अपने हाथ में लेकर चलाना चाहें तो वह उद्योग मजदूरों को दिया जाएगा ।

श्री जार्ज फर्नांडिस : यदि यह सुझाव है तो मुझे इसे मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है ।

प्रो० आर० के० अमीन (सुरेन्द्र नगर) : राज्य सरकारों ने रुग्ण मिलों के बारे में भिन्न-भिन्न नीतियां अपनाई हैं । अब समय आ गया है कि राज्य सरकारें तथा केन्द्र सरकार सभी उद्योगों के बारे में एक ही नीति अपनाये ।

श्री जार्ज फर्नांडिस : इस बारे में एकरूपता लाना सम्भव नहीं है । यह सुझाव मेरा मजदूरों के लिए है । इस समय लगभग 100 रुग्ण मिलें हैं । साधनों का प्रश्न है । यदि मजदूर इन्हें अपने हाथ में ले सकते हैं तो हम उनकी हर प्रकार की सहायता करेंगे ।

पूँजीगत माल के आयात के बारे में भी कहा गया है । मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि आयात उसी स्थिति में किया जायेगा जब हमारे उद्योग उसकी व्यवस्था करने की स्थिति में नहीं हैं । यदि ठीक समय पर तथा उचित मूल्य पर हमारे उद्योग मशीनों की व्यवस्था कर सकें तो आयात कदापि नहीं किया जायेगा । किन्तु हमारे उद्योगों को हानि होने नहीं दिया जायेगा ।

Shri L.L. Kapoor (Purnea) : Sir, Industrial Development Department had formulated a policy that in case Indians abroad want to purchase machinery with the foreign exchange with them they would be allowed to set up industries in the country but they have not been allowed to do so. I would, therefore, request that these persons should be allowed to set up industries here.;

Shri George Fernandes : These cases would be examined and decisions would be taken in regard to the future policy in this regard.

बहुत से अन्य प्रश्न उठाए गए हैं किन्तु उन सब का उत्तर देना मेरे लिए सम्भव नहीं है । मैंने सभी बातों को नोट कर लिया है और इन बातों पर जो भी निर्णय लिए जायेंगे उन्हें मैं सदस्यों को सूचित करूँगा ।

यह सुझाव दिया है कि समस्त उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र मान लिया जाए । बिहार का उदाहरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ । भारत सरकार ने बिहार में सबसे अधिक धनराशि निवेश की है । 31-3-1976 को यह राशि 1882 करोड़ रुपए थी किन्तु फिर भी बिहार सबसे अधिक पिछड़ा क्षेत्र है । मध्य प्रदेश में 1366 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है फिर भी यह प्रदेश पिछड़ा हुआ है । यही स्थिति उड़ीसा की है इसमें 619 करोड़ निवेश किया गया है और यह तीसरा पिछड़ा क्षेत्र है । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बड़े उद्योगों में निवेश करने से बेरोजगारी और पिछड़ेपन की समस्या हल नहीं हो जाती है । हमें निवेश नीति बदलनी होगी । हमारा अधिक जोर ग्रामीण क्षेत्र, लघु उद्योग और ग्रामीण उद्योगों पर होगा । बड़े उद्योगों में निवेश करने से केवल थोड़े से लोगों को ही रोजगार मिलता है और स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता है । किन्तु उतना ही निवेश लघु उद्योगों में करने से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है । अतः लघु उद्योगों, ग्रामीण क्षेत्रों तथा कुटीर उद्योगों में अधिक निवेश किया जाना चाहिए ।

औद्योगिकीकरण की एक समस्या आयोजन की है। औद्योगिक आयोजन में एक छोटे से वर्ग का ध्यान रखा गया है। देश की बाकी आबादी का ध्यान नहीं रखा गया है। अब हम ऐसी नीति बनायेंगे जिससे खरीदने की शक्ति कुछ लोगों के हाथ में न रहे और हर वर्ष 10 लाख अथवा 15 लाख व्यक्तियों को ऊपर के स्तर पर उठाया जाए। जो करोड़ों लोग अत्यधिक निर्धनता के स्तर पर हैं उनका स्तर उठाने का प्रश्न है। उनकी क्रय शक्ति बढ़ाने की बात है। हमारी औद्योगिक नीति में अतिरिक्त रोजगार की गुंजाइश है तथा 60 करोड़ लोगों के लिए बाजार बनाने की बात नहीं है। अतः आने वाले वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर यह किया जा सकता है।

जहां तक पिछड़ेपन का प्रश्न है मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि केवल कुछ राज्य हैं जो पिछड़े हैं। महाराष्ट्र में बम्बई भी है जहां भारत की आधी सम्पदा है किन्तु इसका कोंकण क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ है जितना कि बिहार से अत्यधिक पिछड़े क्षेत्र हैं।

मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि आगामी दिनों में हम ऐसी नीति क्रियाविन्त करेंगे कि जिससे उस पिछड़ेपन और निर्धनता को दूर कर सकें जो हमारे देश पर एक अभिशाप बना रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए एक साथ रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The Cut motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा उद्योग मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गई और स्वीकृत हुई :

The following demands in respect of Ministry of Industry were put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक	अनुदान की मांग की राशि जो सभा द्वारा स्वीकृत हुई	
		राजस्व रु०	पूँजी रु०
उद्योग मंत्रालय			
62.	उद्योग मंत्रालय	2,11,74,000	..
63.	उद्योग . . .	15,87,37,000	1,47,74,79,000
64.	ग्रामीण और लघु उद्योग . . .	28,42,56,000	25,85,55,000

श्रम मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा अब श्रम मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांग संख्या 68 और 69 पर विचार और मतदान करेगी जिसके लिए 6 घंटे नियत किये गये हैं। जो सदस्य इनसे

[उपाध्यक्ष महोदय]

सम्बन्धित अपने परिचालित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें, वे कटौती प्रस्ताव की क्रम संख्या दर्शाते हुए सभा पटल पर अपनी पर्ची पहुंचा दें।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : श्रम मंत्रालय के पास आज बेरोजगारी की समस्या की स्पष्ट तस्वीर सामने है और यदि मंत्री महोदय स्वयं अपने द्वारा घोषित कार्यक्रमों तथा नीतियों को क्रियान्वित कर सकें तो इस समस्या को हल करने के मार्गोपाय भी बिल्कुल स्पष्ट हैं। मंत्रालय के प्रतिवेदन, भाग 2, से स्पष्ट है कि सरकार के पास प्रशिक्षण के व्यापक कार्यक्रम हैं। जहां तक रोजगार का सम्बन्ध है हमें ज्ञात है कि संगठित क्षेत्र में मार्च, 1975 के अन्त में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 196.71 लाख थी जो 31 मार्च, 1976 को बढ़कर 202.07 लाख हो गई। सरकारी क्षेत्र में 128.68 लाख और निजी क्षेत्र में 68.4 लाख व्यक्ति नियोजित हैं। प्रतिवेदन के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में रोजगार इच्छुक व्यक्तियों की संख्या 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है अर्थात् ऐसे व्यक्तियों की संख्या दिसम्बर 1975 में 93.26 लाख से बढ़कर दिसम्बर 1976 में 98.13 लाख हो गई है। वर्ष 1976 के दौरान केवल 4.91 लाख व्यक्तियों को ही रोजगार दिलाया गया। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या काफी बढ़ गई है। जून, 1975 में 43.42 लाख शिक्षित बेरोजगार थे जो बढ़कर जून, 1976 में 49.34 लाख पहुंच गई।

[श्री सोनू सिंह पाटिल पीठासीन हुए ।
Shri Sonu Singh Patil in the Chair.]

जहां तक अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों का सम्बन्ध है, लगभग 13.3 लाख व्यक्तियों में से केवल 38,508 व्यक्तियों को ही रोजगार मिला है। इससे पता लगता है कि हमने तो रोजगार की समस्या को किंचित मात्र भी हल नहीं किया है।

इस समस्या को वास्तविक रूप से हल करने के लिए हमें संगठित क्षेत्र के बजाय ग्रामीण क्षेत्र और लघु उद्योगों पर ध्यान देना होगा क्योंकि संगठित क्षेत्र में नियोजन चरम स्थिति पर पहुंच चुका है। यदि उद्योग और श्रम मंत्रालय अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर काम करें तो यह बेरोजगारी की समस्या को हल करना असम्भव नहीं है। हम ग्रामीण क्षेत्रों में मूल उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इस देश में संसाधनों की कमी नहीं है। मुर्गी-पालन, खाद्य-पदार्थों, सब्जियों, हाथ-करघा वस्तुओं आदि का उत्पादन अन्य कृषि आधारित उद्योगों के उत्पादों के साथ-साथ बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हमें इस सम्बन्ध में आर्थिक बाजार की दृष्टि से भी विचार करना होगा। शहरी क्षेत्रों के बाजार तक क्रय-शक्ति सीमित है।

ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे नगरों में स्थित लघु उद्योगों के सामने कच्चे माल की उपलब्धि और उत्पादित वस्तुओं के विपणन की समस्या है। यदि हम आवश्यक वस्तुओं के सम्पूर्ण राष्ट्रीय विपणन पर नियंत्रण कर सकें, तथा देश में बहुराष्ट्रीय और एकाधिकारी उत्पादकों के साथ स्पर्धा समाप्त करें तो हम लघु उद्योगों के उत्पादों का विक्रय बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। चूंकि देश में सरकार ही सबसे बड़ी क्रेता है, इसलिए उसे ही अपनी आवश्यकता की वस्तुएं लघु उद्योगों से खरीद कर लघु उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग उत्पादन आरम्भ करेंगे तो वहां लोगों के हाथों में क्रय-शक्ति आयेगी और इस प्रकार विपणन क्षेत्र भी वहीं उपलब्ध होगा।

हाथ-करघा कपड़ा अच्छी किस्म का बड़े पैमाने पर तैयार किया जा सकता है, यदि हाथ-करघा बुनकरों को कताई मिले सूत उपलब्ध करें। सरकार हाथ-करघा उद्योग के प्रति सहानुभूति

तो दिखाती रही है, परन्तु उन्हें अपने उत्पाद का विपणन करने के लिए बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों की प्रतिस्पर्धा पर छोड़ दिया जाता है। अतः विपणन की सुविधा देकर आवश्यक वस्तुओं के उत्पादकों को राहत पहुंचायी जा सकती है और बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है।

यदि हम वास्तव में रोजगार उपलब्ध कराना चाहते हैं तो उपभोक्ता या आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन लघु और ग्रामोद्योगों के लिए सुरक्षित करना होगा। सरकारी क्षेत्र में तो आधार वस्तुओं और इस्पात, कोयला, सीमेंट, उर्वरक, विद्युत आदि कच्चे माल का उत्पादन होता, लेकिन मुनाफा देने वाली वस्तुओं का उत्पादन निजी क्षेत्र में है जो मुख्यतः बड़े पैमाने के उत्पादक हैं। ये उत्पादक केवल ऐसे वर्ग के लिए उत्पादन करते हैं जिसके पास क्रय-शक्ति है और इस प्रकार लाभ कमाते हैं। यह लाभ निजी क्षेत्र में कुछ ही हाथों में इकट्ठा होता जा रहा है। इस प्रकार धनी और अधिक धनवान बनता जा रहा है जबकि निर्धनता के स्तर से भी निचला जीवन बिताने वालों की संख्या, जो अब देश में 60 प्रतिशत तक हो गई है, बढ़ती जा रही है। इसका कारण यह है कि हमारी सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था केवल 2 करोड़ लोगों के हाथ में ही है, भारत की 60 करोड़ जनता के हाथों में नहीं। हमें बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए भारत की 60 करोड़ जनता के संदर्भ में सोचना होगा। तभी हम अपने संसाधनों का समुचित उपयोग कर सकेंगे।

राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत हमें अपने युवकों को राजस्थान नहर योजना, चम्बल घाटी योजना जैसी राष्ट्र निर्माण वाली परियोजनाओं में लगाना होगा। तभी हम लाखों नवयुवकों को काम पर लगा सकेंगे और इनके पूरा होने पर उन्हें रोजगार दे सकेंगे।

प्रशिक्षु योजना उन लोगों को रोजगार देने में असफल रही है जिन्होंने अपना प्रशिक्षु कार्यकाल पूरा कर लिया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि रोजगार की उपलब्धता और रोजगार तलाश करने वाले व्यक्तियों के बीच कोई समन्वय नहीं है।

सरकार को उन लोगों के लिए नियोजन की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने का विचार करना चाहिए जो रोजगार के चालू रजिस्ट्रों में पंजीकृत चले आ रहे हैं। उन्हें उतने ही वर्ष की आयु-सीमा में छूट दी जानी चाहिए जितने वर्षों से वे रोजगार कार्यालयों के रजिस्ट्रों में पंजीकृत हैं।

15 लाख महिलाओं में से, जो रोजगार की तलाश में हैं, केवल 58,000 महिलाओं को रोजगार मिल पाया है। सरकार को विशेषकर महिलाओं, समाज के निर्बल वर्गों तथा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वनियोजन वाले विभिन्न धंधे उत्पन्न करने होंगे।

हमें एक ही व्यापक श्रम कानून संहिता अपनानी चाहिए। इस समय श्रम कानून ऐसे हैं कि वे एक दूसरे कानून को निरस्त कर देते हैं। इनमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी संदाय अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम आदि ऐसे विधान हैं कि सरकार जब किसी मामले में कोई एक निर्णय लेती है तो वह दूसरे मामले में विरुद्ध हो जाता है। अतः श्रम सम्बन्धी एक व्यापक कानून संहिता होनी चाहिए इससे अनेक समस्याएँ हल हो जायेंगी। इस संहिता में नियोजक तथा कर्मचारी सम्बन्ध भी शामिल किये जाने चाहिए।

हम रुग्ण मिलों का लाभ में चलने वाले मिलों के साथ वयों विलय करें। इसके बजाय हमें श्रमिकों को शेयरधारी बनने तथा रुग्ण मिलों को चलाने की अनुमति देनी चाहिए। उन्हें अपनी

[श्री वसन्त साठे]

भविष्य निधि को शेयर पूंजी के रूप में प्रयुक्त करने और उस एकक को श्रमिकों की औद्योगिक एकक के रूप में चलाये जाने की अनुमति देनी चाहिए।

इस देश में श्रमिकों के मन में सहभागीदारी की भावना पैदा करनी चाहिए। प्रबन्धक मण्डल में कम से कम एक तिहाई सदस्यता श्रमिकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को मिलनी चाहिए और एक तिहाई सदस्य वित्तीय संस्थाओं के होने चाहिए। सरकार निजी उद्योगों को 80 प्रतिशत धन देती है अतः उनके प्रबन्धक मंडल में सरकार को एक-तिहाई प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तभी हम निजी उद्योगों की उत्पादन गतिविधि को विनियमित तथा नियंत्रित कर सकेंगे और उन्हें वास्तविक लाभ छिपाने से रोक सकेंगे।

उत्पादकता या उत्पादन से जब बोनस को असम्बद्ध रखा जाता है तो वह स्थिति अच्छी नहीं होती। बोनस उत्पादन पर निर्भर होना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब श्रमिकों को प्रबन्ध व्यवस्था में भागीदार बनाया जाये।

रोजगार सांख्यिकीय ब्यूरो का कार्यालय शिमला में है। इसे किसी केन्द्रीय स्थान जैसे कि नागपुर या हैदराबाद में स्थानान्तरित कर देना चाहिए।

हमारा मुख्य ध्येय यह होना चाहिए कि देश में अधिक से अधिक लोगों को अपने ही गृह-द्वार पर उत्पादक-कार्य मिले और समूची विपणन गतिविधि विपणन सम्बन्धी किसी राष्ट्रीय निगम के अधीन लाकर विनियमित की जाये।

श्रम मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
68	1	श्री शिबनलाल सक्सेना	भूतपूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री कुमार-मंगलम द्वारा दिये गये इस आश्वासन को लागू करने में असफलता कि मोरखपुर श्रमिक डिपो कोयला खानों और अन्य उपक्रमों को श्रमिक उपलब्ध कराता रहेगा।	राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए।
68	2	तदेव	मोरखपुर श्रमिक डिपो के दो अस्पताल वार्डों को उत्तर प्रदेश सरकार को दिये जाने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने में असफलता जबकि श्रमिक डिपो को गम्भीर हालत वाले रोगियों के लिये उनकी अत्यन्त आवश्यकता है।	तदेव

1	2	3	4	5
68	3	श्री शिवन्त लाल सक्सेना	गोरखपुर जिला में भूतपूर्व कोयला खनकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिये छः चिकित्सा केन्द्र चलाये जाने पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत व्यय वहन करने में असफलता ।	राशि को कम करके एक रुपया किया जाये ।
68	5	तदेव	महावीर जूट मिल्स, सहजनवा, जिला गोरखपुर के एक हजार बर्खास्त श्रमिकों को पुनः बहाल करने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाएँ ।
69	14	श्री पी० सजमोपाल नामडू	श्रमिक कानूनों को लागू करने में असफलता ।	तदेव
69	15	तदेव	दिल्ली में इण्डियन एक्सप्रेस के प्रबन्धकों को अपनी फर्म बन्द करने से रोकने में असफलता ।	तदेव
69	16	तदेव	औद्योगिक विवादों को हल करने में भारी विलम्ब ।	तदेव
69	17	तदेव	क्षामीण क्षेत्रों में कृषि मजदूरों के लिये न्यूनतम मजदूरी देने की आवश्यकता ।	तदेव
69	18	तदेव	खानों में दुर्घटनायें रोकने की आवश्यकता ।	तदेव
69	19	तदेव	खान बचाव सेवाओं को आधुनिक बनाने की आवश्यकता ।	तदेव
69	20	तदेव	श्रमिक कल्याण के लिये अधिक धन व्यय करने की आवश्य- कता ।	तदेव
69	21	तदेव	अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार औद्योगिक संस्थानों में श्रमिक अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता ।	तदेव

1	2	4	5	5
69	22	श्री पी० राजगोपाल नायडू	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम को सही ढंग से लागू करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें ।
69	23	तदेव	केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्र निधि को लाभकारी ढंग से व्यय करने की आवश्यकता ।	तदेव
69	24	तदेव	रोजगार कार्यालय में कारीगरों और कुशल मजदूरों जैसे राज-मिस्त्रियों का पंजीकरण किये जाने की आवश्यकता ।	तदेव
69	25	तदेव	सभी कारखाना मजदूरों को मकान देने की आवश्यकता ।	तदेव
68	26	श्री के० ए० राजन	अनिवार्य जमा योजना के अधीन श्रमिकों से लिये गये धन की पूरी राशि लौटाने में असफलता	राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए ।
68	27	तदेव	देश के लिये नये औद्योगिक संबंधों सम्बन्धी विधान के प्रश्न की जांच के लिये समिति गठित करने में विलम्ब ।	तदेव
68	28	तदेव	8.33 प्रतिशत न्यूनतम बोनस की अदायगी सुनिश्चित करने में असफलता ।	तदेव
68	29	तदेव	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा रेलवे के सभी कर्मचारियों को बोनस का अधिकार देने में असफलता ।	तदेव
68	30	तदेव	कर्मचारी राज्य बीमा योजना को नई शक्ति प्रदान करने तथा प्रशासन और चिकित्सा कर्मचारियों में कदाचार रोकने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिये जाएं ।
68	31	तदेव	छठी योजना पर चर्चा के सभी चरणों में श्रम श्रमिकों को सम्बद्ध करने की आवश्यकता ।	तदेव

1	2	3	4	5
68	32	श्री के० ए० राजन	भविष्य निधि की देय राशि लौटाने में विलम्ब न करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिये जाए ।
68	33	तदेव	सभी स्तरों पर समझौता तथा औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र को चुस्त-दुरुस्त बनाकर श्रम संबंधी विवाद निपटाने के लिये कदम उठाने की आवश्यकता ।	तदेव
68	34	तदेव	गुप्त मतदान द्वारा श्रमिक संघों को मान्यता देने का तरीका निकालने की आवश्यकता ।	तदेव
69	36	तदेव	पूरी तरह बन्द पड़े, तालाबन्दी वाले या अंशतः बन्द पड़े कारखानों के पुनः खोले जाने के लिये तथा कर्मचारियों को रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाने में असफलता ।	राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए ।
69	37	तदेव	उन सभी नियोजकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने में असफलता जिन्होंने अपने कारखाने बन्द कर दिये हैं या उनमें तालाबन्दी कर दी है जिससे कि रोजगार और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।	तदेव
69	42	तदेव	देश भर में श्रमिक रोजगार कार्यालयों में व्याप्त कदाचार रोकने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिये जाएं ।
68	94	तदेव	राष्ट्रीय मजदूरी नीति बनाने तथा आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम राष्ट्रीय मजदूरी सुनिश्चित करने में विलम्ब ।	राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए ।
68	95	तदेव	गैर-सरकारी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों में 8.33 प्रतिशत न्यूनतम बोनस देना सुनिश्चित करने में विफलता ।	तदेव

1	2	3	4	5
68	96	तदेव	जीवन बीमा निगम के प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के बीच हुए करार को मानने में विफलता	तदेव
68	97	तदेव	बन्धक श्रमिकों को, जिन्हें छूट-कारा दिलाया गया है, रोजगार देने के लिये एक योजना बनाने में विफलता।	तदेव
68	98	तदेव	बन्धक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम के कार्यान्वयन में तेजी लाने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपए घटा दिये जाएं।
68	99	तदेव	जयपुर उद्योग लिमिटेड के कर्म-चारियों के मामलों को तय करने में विफलता।	तदेव
68	100	श्री के० ए० राजन	कलकों और विशेष सहायकों की पदोन्नति की नीति सम्बन्धी करार के बारे में पंजाब नेशनल बैंक कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने में विफलता।	तदेव
68	101	तदेव	मजदूरों के कल्याण के लिये सभी औद्योगिक उद्यमों में सस्ते मूल्यों पर आवश्यक वस्तुएं सप्लाई करने के लिये उचित मूल्य की दुकानें खोलने की आवश्यकता।	तदेव
68	102	तदेव	कर्मचारी राज्य बीमा और कर्म-चारी भविष्य निधि की अदा-यगी नियमित रूप से न करने वाले नियोजकों के विरुद्ध अधिक कठोर कार्यवाही करने की आवश्यकता।	तदेव
68	35	श्रीमती पार्वती कृष्णन	ग्लेबसो लिमिटेड, बम्बई के कर्म-चारियों की मांगें निपटाने और दंडित कर्मचारियों की बहाली के आदेश देने की आवश्यकता।	तदेव

1	2	3	4	5
68	92	श्री एन० श्रीकान्तन नायर	औद्योगिक विवादों को पंच फैसले के लिये सौंपने में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के साथ भेदभाव-पूर्ण व्यवहार।	राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए।
68	93	तदेव	श्रम मंत्रालय जिन औद्योगिक विवादों को न्यायसंगत और उचित समझता है उन्हें न्याय-निर्णय के लिए सौंपने के बारे में नियोजक मंत्रालयों तथा विभागों को पूर्ण निषेधाधिकार देना।	तदेव
68	103	श्री बयालार रवि	औद्योगिक विवादों को न्यायाधिकरण को सौंपने में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के विरुद्ध भेद-भाव।	राशि में से 100 रुपए घटा दिये जाएं।
68	104	तदेव	जब भी श्रम मंत्रालय ठीक समझे औद्योगिक विवादों को न्यायाधिकरण को सौंपने सम्बन्धी किसी भी निर्णय को वीटो करने का पूर्ण अधिकार सार्वजनिक क्षेत्र के सम्बन्धित मंत्रालयों को देना। ⁸	तदेव
68	105	तदेव	सभी श्रमिकों को 8½ प्रतिशत बोनस की घोषणा करने में असफलता। ⁹	तदेव
68	106	तदेव	बोनस को स्थगित वेतन के रूप में देने की घोषणा करने में असफलता। ⁹	तदेव
68	107	तदेव	कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रमिकों को स्वीकार्य बनाने में असफलता।	तदेव
68	108	तदेव	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के मुकाबले में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने में असफलता।	तदेव

1	2	3	4	5
68	109	श्री क्यालर रवि	कर्मचारी राज्य बीमा योजना का कार्यचालन और श्रमिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने में इसकी असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाएं।
68	110	तदेव	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, पालघाट के श्रमिकों की कर्मचारी राज्य बीमा योजना से छूट देने सम्बन्धी मांग को स्वीकार करने में असफलता।	तदेव
68	111	तदेव	श्रमिकों में बढ़ रहे असन्तोष को दूर करने में असफलता।	तदेव
68	112	तदेव	श्रम विवादों सम्बन्धी एक व्यापक विधान बनाने में असफलता।	तदेव

Shri Ram Dhari Shastri (Padrauna) : Before Janata Party came into power emergency was clamped in the country. During this period of emergency the working class was most hit. The workers had suffered the most. The percentage of bonus was reduced from 8.33 to 4. Not only that the bonus was left to the discretion of the employers which they could deny in case their factories ran into loss. In some cases the dear-ness allowance of the employees of sugar mills was taken back. The result was that they were very much discontented. Now when the Janata Party has come into power it is the duty of the labour Ministry to restore confidence among workers. I hope that all the problems of the workers will be removed now by and by.

In the election manifesto the Janata Party had said "1. Janata Party's economic programme envisages deletion of property as a fundamental right. 2. Affirmation of the right to work and full employment strategy". The Government should now take effective steps to undertake the above mention work.

Shri Sathe has tried to prove with statistics that unemployment is increasing in our country. It is assuming alarming proportions. The number of persons who got their names registered in Employment Exchanges in 1950 was only 3.33 lakhs. This number increased to 6.92 lakhs in 1955, 16 lakhs in 1960, 25 lakhs in 1965, 34 lakhs in 1969, 82 lakhs in 1973, 84 lakhs in 1974, 93 lakhs in 1975 and 97.7 lakhs in 1976. Some immediate steps should be taken to solve this problem. We cannot depend on Cottage industries because it will take a long time to set up them. If immediate steps are not taken to solve this unemployment problem it will go out of our hands.

At present 34.20 lakhs persons are employed in public sector undertakings and 67.19 lakhs in private sector undertakings. Their capacity to provide employment is limited. Small scale and cottage industries should be developed in order to provide employment to the increasing population of the country.

I would also like to give one suggestion in this regard. At present a worker has to work for eight hours in a day in a factory. This period should be reduced from eight hours to six hours. In the past whenever any commission was appointed it always recommended that if working hours are reduced it would result in increased efficiency. The National Commission on Labour which had submitted its report in 1968 on the basis of the recommendation made by International Labour Organisation had also recommended that working hours should be brought down from 45 hours to 40 hours a week. In other countries the working hours are less than in India. There they range from 35 to 30 hours a week. In Australia the working hours are 35.8 per week while in Denmark the working hours are 33.4 per week. Thus our Government also should take steps to reduce working hours from eight to six in a day. It will have its impact on employment immediately. This step will immediately provide employment to one lakh persons.

Now I would like to say something on the issue of bonus also. First of all the bonus was paid to the workers as war bonus in the First World War. Then during the pre-emergency period it was paid at the rate of 8.33 per cent. During the emergency it was reduced from 8.33 per cent to 4 per cent. Not only that it was left at the mercy of the industrialists. I think that the bonus should be linked with production instead of with the profit. By adopting this policy we can do justice with the workers.

In India Ferozabad is a big centre of bangles. There are many factories in Ferozabad which manufacture bangles. But the condition of workers of these factories is far from satisfactory. There is need to make improvements in their working conditions. They should be provided housing facilities. Arrangements should be made for the education of their children. There is a provision in the Factories Act to provide these facilities to the workers. But factory owners do not implement these provisions. Our Government should do something in this regard. There are different labour laws in different States. All these laws should be codified.

The present position is that in case a worker is dismissed from his service he cannot make an appeal against his dismissal. He can make an appeal only with the permission of the factory owner. The workers should have a right to make an appeal even to the highest court.

The living standard of the workers is very low in our country. In cities like Kanpur and Delhi most of the workers are facing lot of difficulties. In order to know the difficulties of these workers Government should make a survey and on the basis of this survey steps should be taken to remove these difficulties.

Now I come to the point of equal pay for equal work. The Janata Government should take steps in this regard immediately. In all the big industries of the country there should be uniform wages. In banks also there should be uniformity in pay scales. Similarly in Government service also there should be national pay scale.

Our labour laws are in favour of employers. This is the reason that they are discipline breakers. During the period of emergency they were the first to break discipline. Thus I would request Janata Party Government to make labour laws labour-oriented. With these words I support the demands of labour Ministry.

Shri Ugrasen (Deoria): I rise to support the Demands for Grants in respect of the Ministry of Labour.

It has been observed from the reports and other publications of the Ministry that they contain only the statistical data about the various problems being faced by the country. I think, all the problems concerning millions of labourers in the country should be fully analysed and the steps which have already been taken and proposed to be taken in future by Government should also be mentioned in these reports etc. Unless this is done, we will not be able to make any useful suggestions in this regard.

To-day we find that purchasing power of labourers has decreased. It is because of our anomalous laws which are pro-capitalists and anti-labour. This is actually the result of the labour policy adopted by the previous Government in the past. Hon. Members Sarvashri Sathe and Shastri have rightly said that necessary changes should be brought about in order to protect the interests of the workers.

The big industrialists like Tatas, Birlas, Singhanias, Bajajs etc. have started shifting their machinery from big cities to other towns. The owners of the Delhi Cloth Mills are shifting their machinery to Dasna because here in Delhi wages are higher. Here the minimum wage of worker is from Rs. 350/- to Rs. 400/- whereas in Dasna it is in the range of Rs. 200/- to Rs 250/-. As a result, the workers in Delhi are being removed from service on one or the other pretext. This is happening in Delhi in spite of the assurances given by the various agencies like Congress party, Indian Labour Conferences, I.L.O. etc from time to time to the effect that the interests of the workers will be safeguarded. Even the Industrial Disputes Act, 1947 and the amendments made therein during 1976 have not provided necessary protection to the workers. As a matter of fact this Act protects the interests of industrialists. This is true keeping in view what is happening in textile and other mills.

It is said that these are sick mills and their number comes to about 120 including Textile and sugar mills. It is, therefore, suggested that all the big mills in our country should be nationalised and in case of those mills where the owners have earned huge profits, no compensation should be paid.

[Shri Ugrasen]

It is regretted that out of 91,642 bonded labourers freed during 1976, only 25 per cent out of them have been resettled. The remaining 75 per cent have started begging in the temples. They should be rehabilitated expeditiously.

It is strange that crores of agricultural workers have been deprived of the benefits of the Minimum Wages Act. In certain factories also minimum wages are not being paid to the workers. This should be looked into.

In 1976, man-days to the extent of 11.48 million were lost. The number of lockouts in public undertakings was 17 per cent in 1974 whereas in 1976 it was 79 per cent. Thus in emergency the number of lock-outs rose very high. All this was due to wrong policies of the previous Government.

Similarly the previous government enacted a law 1965 granting a minimum bonus of 8.33 per cent but the same was changed in 1976 and thus the workers were deprived of the bonus. It is good that the Government is going to review this question. Payment of bonus should be made obligatory both in public as well as private sectors.

So far as unemployment is concerned, I think, working hours in factories should be reduced from 8 hours to 6 hours. This will definitely help us to some extent.

It is correct that we have made progress. But on the other hand we find that there are as many as four crore unemployed persons. In 1952 only 38 per cent of the people were below the poverty line but now their number has increased to 78 per cent. Unless poverty is banished from the country, there can be no change in the condition of our country.

The amount of Rs. 250/- proposed to be paid to the families of the workers who died as a result of accidents in the Saunda and Sudamadih Collieries in 1976, is very meagre.

On the one hand there is resentment among the workers and on the other hand there is decrease in the production. It is, therefore, necessary that industrial relations should be improved. There should be one union in one industry. Active participation of workers in the management should be ensured. Minimum Wages Act should be strictly enforced. Industrial Disputes Act should be amended in the interest of the workers. Besides Labour Committees should be formed at national and State levels.

Shrimati Ahilya P. Rangnekar (Bombay North Central) : It is good that Apex Body has been changed in order to give representation to all the unions. Previously there were representatives of only those unions which supported the Congress during emergency.

[श्री एम० सत्यनारायण राव पीठासीन हुए]
Shri M. Satyanarayan Rao in the chair

Secondly, the circular issued by the Ministry to take all those workers who were detained under MISA during the emergency, is welcome. It is also good that a committee on industrial relations has been formed.

It has been accepted by the Janata Party in its manifesto that bonus is a deferred wage. There is great excitement among the workers on the question of bonus. I am, therefore, sure that the Minister will make an announcement about the Government's decision on bonus in the course of his reply.

The contention that if CDS money is refunded to the employees, there will be inflation in the country, is wrong. Because when the Government had impounded Rs. 1500 crores, even then the prices went on rising. In order to contain inflation and to control prices, it is necessary that operation of black money should be controlled. With holding of CDS money is not going to help us in this matter. This money should therefore be refunded to the workers.

In the report, which was perhaps prepared by the former Government, all the statistics have been given to highlight the activities of the mill-owners. There is no mention of the activities of the workers. There was a loss of 90 per cent of man-days during May, 1976 against a loss of 54 per cent of man-days during the whole year of 1973. Actually, the mill-owners were responsible for loss of such a high percentage of man-days. Industrialists and capitalists have actually taken full advantage of the emergency. It is therefore wrong to say that workers were responsible for bringing down production. There is an exaggerated praise of the 20 point

programme in the report. The Ministry should have either changed the report of the previous Government or a supplementary report should have been issued highlighting the misdeeds of the previous Government.

During the emergency, owners resorted to lock-outs in contravention of the provisions of the Industrial Disputes Act but no action was taken against them. None of them was put behind the bars. Even now the same old policy is being pursued by the present Government. Legal action should be taken against those who are still resorting to lock-outs otherwise workers will not be able to get justice. It is regretted that no legal action has been taken against the lock-out in the Indian Express. Steps should be taken to end all those lock-outs which are still going on in the country.

In Rourkela about seven workers were retrenched six years back. They have not been able to get justice from the labour court. Even if any case is decided in favour of workers, the owners take such a case to the Supreme Court with the result that workers go on suffering during all these years. Moreover Labour courts and Labour Officers always help owners. Unless this machinery is changed, there will be no improvement in the industrial relations.

It has been said in the Ministry's report that there were 91,642 bonded labourers in the country out of which 90,704 have been freed. I think, the total figure given in the report is not correct. Actually their number is much higher. Even now there are bonded labourers in Dhulia and Thana district in Maharashtra. Dr Kirpa Shankar, a Research Professor in Varanasi, who is quired into the conditions of the bonded labourers in U.P. has come to the conclusion that there has been no improvement in the conditions of bonded labourers there. It is, therefore, wrong to say, as has been claimed in the report, that there is now no bonded labourer in the country.

It is regretted that the Minimum wages Act has not been made applicable to agricultural workers. As a result, an agricultural worker in the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli gets only Rs. 2.34 per day as wage which is lowest in the country. Whereas a skilled worker is paid Rs. 4.50 per day. There should be some increase in the minimum wage of the agricultural worker. Those who are unable to get any work, should be given some compensation. Otherwise there will be no improvement in their condition.

The mill owners are not contributing their share towards the provident fund of the workers even though they collect worker's share. As a result, a sum of Rs. 15 crores is due from them as arrear. So far no action has been taken by Government to recover this amount. The Minister should look into this matter.

According to the Inquiry Commission's report on Chasnala accident, which has recently been released, four officers have been found guilty of negligence. But so far no action has been taken against them. On the contrary, efforts are being made to save them. This matter should be looked into.

Contractors pay Rs. 5 to a worker against Rs. 9 which they get. In order to end this exploitation of workers, contract system should be abolished. A Bill to this effect should immediately be passed.

Recognition of Unions should be made by secret ballot system.

There is a great discrimination against women workers. They are not paid wages equal to men. This injustice against them should be ended.

Automation increases unemployment. We should not go in for it. We should make use of our man-power.

Anti-labour circulars issued during the emergency should be withdrawn. The agreement with the life Insurance corporation employees should be restored.

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी (आदिलाबाद) : सभापति महोदय, हमारे जैसे विकासशील देश में औद्योगिक श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच सम्बन्ध की बात है। इनके बीच सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं। इसीलिए श्रमिक हड़ताल करते हैं, जिसके फलस्वरूप उत्पादन में गिरावट आती है। अतः सरकार चाहे कोई क्यों न हो, उसका लक्ष्य श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच अच्छे सम्बन्ध कायम करना होना चाहिए।

[श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी]

मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि हमारी श्रम नीति कुछ गलत है। कृषि श्रमिक संगठित नहीं है। यह सबसे बड़ा श्रमिक दल है। यदि ये श्रमिक संगठित होकर हड़ताल कर दें तो इस राष्ट्र का क्या होगा? ऐसी स्थिति से बचने के लिए सरकार को हर सम्भव कार्यवाही करनी चाहिए। एक ही प्रकार के उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों को समान मजदूरी मिलनी चाहिए।

बीड़ी उद्योग से देश के 20 लाख परिवारों को काम मिलता है। इस उद्योग में सबसे अधिक संख्या में महिलायें काम करती हैं। इस उद्योग से उत्पाद शुल्क के रूप में 150 करोड़ रुपये की आय होती है। हाल ही में श्रम उपकर भी लगाया गया है। इससे ही लगभग 5 करोड़ रुपये की आय हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह उद्योग ऐसा है जिसके लिए कोई कारखाना क्षेत्र नहीं है। वे पटरी पर या अपनी छोटी-छोटी झोंपड़ियों में बैठकर बीड़ी बनाते हैं। सरकार को उपकर के माध्यम से 5 करोड़ रुपये मिलते हैं। इसमें 5 करोड़ रुपये और मिलाकर एक आवर्ती कोष बनाया जाना चाहिए। इस राशि से बीड़ी मजदूरों के लिए आवासीय बस्तियां बनाई जा सकती हैं और किराया खरीद के आधार पर उन्हें मकान दिए जा सकते हैं। इस प्रकार हम बीड़ी कर्मकारों की मदद कर सकते हैं। इसी तरह उन्हें चिकित्सा, शिक्षा और अन्य सुविधायें भी प्रदान की जा सकती हैं।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि देश में बड़ी कोयला खानें हैं। परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ कोयला खानों में श्रमिकों के कल्याण हेतु एकत्र किया जा रहा उपकर स्कूलों की बड़ी इमारतें बनाने के काम में लगाया जा रहा है। उनमें बड़े-बड़े अधिकारियों के बच्चों को ही प्रवेश मिलता है। इन स्कूलों में श्रमिकों के बच्चों को प्रवेश मिलना चाहिए।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि यदि आप चाहते हैं कि उद्योगों का विकास हो और कोई श्रमिक समस्या भी न हो तो जहां श्रेणी वार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती है, वहां अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतें भी निर्धारित की जानी चाहिए। इस तरह से श्रमिक और प्रबन्धक के बीच मधुर सम्बन्ध कायम किए जा सकते हैं। हमारे विकास कार्यक्रम भी निर्बाध रूप से चल सकते हैं।

Shrimati Chandravati (Bhiwani) : Mr. Chairman, the greater the concentration of wealth in a few hands, the larger the extent of poverty in a society. The condition of an unorganised labour, especially construction workers, kiln workers is very pitiable. They lead a nomadic life. There are no arrangements to provide medical treatment to them and they are thrown out of employment at the slightest pretext. There is no provision of any kind of security to factory workers, even if they are disabled during the course of their employment. Some thought must be given to this situation.

So far as labour courts are concerned, they should include such persons as are impartial and do not favour management.

Steps should also be taken to improve the standard of living of workers. They should be provided better working conditions and they should be given facilities of residential accommodation, medical care, etc. with a view to encouraging them to produce more. Similarly in order to save artisans from exploitation, marketing facilities should be provided to them so that they can sell their goods with a reasonable profit.

There are certain factories, such as cotton textiles and cement, where workers are very much prone to health hazards, but no adequate arrangements exist there for the medical treatment of workers. The management of these factories should be instructed to provide sufficient safeguards to workers. This production in factories will increase.

श्री पी० त्यागराजन (शिवगंगा) : खेतिहर मजदूरों को समुचित वेतन नहीं मिलता है। सरकार भी उनको संरक्षण नहीं देती है। उन्हें वर्ष में केवल 3 या 4 महीने काम मिलता है और

शेष 8 महीने वे बेकार रहते हैं। इस तरह वे अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। वे अपनी दैनिक आवश्यकताएं भी पूरी करने में असमर्थ हैं।

खेतिहर मजदूरों को संरक्षण मिलना चाहिए। उनके कल्याण के लिए एक कार्यालय होना चाहिए।

तमिलनाडु में ऐसे बहुत से खेतिहर मजदूर हैं जो बर्मा और श्रीलंका से स्वदेश वापस आए हैं। उन्हें न तो कृषि में और न ही उद्योग में काम मिला है। देश उनके श्रम का उपयोग नहीं कर रहा है।

कताई और बुनाई मिलों में मजदूरों को समुचित संरक्षण नहीं दिया जाता है। उन्हें आवास और चिकित्सा सुविधा नहीं दी जाती है। उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती है। प्रबन्धक 'बदली' मजदूरों को किसी नोटिस या कानूनी कार्यवाही के बिना नौकरी से हटा देते हैं। अधिकांश मजदूरों को अधिक काम करने के लिए विवश किया जाता है। अतिरिक्त कार्य करने का उन्हें पैसा भी नहीं दिया जाता है। उन्हें आवास सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं। उन्हें मिलों में काम करने के लिए बहुत दूर से आना पड़ता है।

सूती मिलों में काम करने वाले मजदूरों को श्रम अधिकारी या प्रबन्धकों द्वारा कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। यदि प्रबन्धकों से उन्हें कोई शिकायत होती है, तो उन्हें श्रम अधिकारी के पास जाना पड़ता है जो प्रबन्धकों के गुमाश्ते होते हैं। अतः श्रम अधिकारी उनके कल्याण के लिए विचार ही नहीं करता है। औद्योगिक विवादों का निपटारा शीघ्र व सही तरीके से नहीं होता है। श्रम न्यायाधिकरण भी उनके मामले शीघ्र नहीं निपटाते हैं। इसके लिए सरकार को विशेष वर्ग के न्यायाधीश नियुक्त करने चाहिए। जिलास्तर के अधिकारी भी नियुक्त किए जा सकते हैं। श्रम विवाद उच्च न्यायालय या कुछ अन्य अपीलीय न्यायालयों द्वारा निपटाए जा सकते हैं।

श्रमिकों के कल्याण के लिए जो भी अधिनियम बनाए गए हैं उनसे श्रमिकों को कोई लाभ नहीं होता है। इसके विपरीत प्रबन्धकों को उनसे फायदा होता है। मजदूरी बोर्ड की सिफारिशें प्रबन्धकों के लिए स्वीकार करना जरूरी नहीं है। श्रम मंत्री एक ऐसा कानून बनाएं जिसके अंतर्गत सभी श्रेणियों के श्रमिक आ जाएं।

Shri Y. P. Shastri (Rewa) : I support the demands for Grants of the Labour Ministry with the belief that a revolutionary change has come in the attitude of present Government towards labour class. This Government have adopted a new attitude and the whole labour in the country has supported it, and it has created a new zeal among the labour.

The labour laws made by the previous Government could not protect the labour interest. I want the new labour Minister to bring radical changes in them. There is need for it since no affective machinery exists at present to give justice early to labour. The existing laws cannot compel the employers to implement the awards given by arbitrations. The Chief Labour Commissioner is also not competent to do anything in this regard. He can only forward some of the demands of the labour for adjudication. Then the case is referred to a tribunal and ultimately to supreme Court. This is a long process involving lot of expenditure which is beyond the capacity of the labour to sustain. A provision should, therefore, be made for compulsory arbitration and the award thereof should be binding on both employers and employees. Only then the labour would be able to get justice.

The previous Government did great injustice to labour. The declaration of emergency affected them greatly. Their bonus was suddenly reduced from 8.33% to 4%. At the same time, it was stipulated that only profit earning concerns would pay this amount. Everybody is aware that no big industrialist would like to declare profit as this involves payment of various taxes. They would not like to pay these taxes.

[Shri Y. P. Shastri]

The payment of bonus has been accepted as a principle of deferred payment of wages. In fact, this is the wage they have earned during the past 12 months.

It is said that payment of bonus will lead to inflation. I say this theory is not correct. No body tries to go deep into this question. The labour class is always hand-to-mouth. They can purchase with this money the articles of his minimum needs. He cannot hoard things and earn profit out of it.

On the other hand, the payment of bonus will provide an incentive to the labour. They would work with added interest. The production will go up. This will check inflationary trends. It has been proved that production cannot increase by suppressing the rights of labourers. I want the Labour Minister to announce the payment of bonus immediately.

The money to be paid to the employees on account of compulsory deposit has been transferred to the G.P.F. account of the employees. This is injustice, because it is a payment to be made to them to neutralize the effect of rising prices. But even half of that amount is not being paid to them. Now the amount is being forcibly credited to G.P.F. account of workers. This amount should be paid to workers.

Now I want to invite your attention to the pitiable plight of the workers of unorganised sector who are unable to raise their voice, to ventilate their grievances. The previous Government did not do anything for them. We expect the new Government to do something in this behalf. You would be surprised to know the wages the workers are getting. In Madhya Pradesh, a P.W.D. labourer gets a wage of Rs. 2.40 per day. A work-charged labourer still gets Rs. 30 per month, a wage decided as early as 1947. Can any one in the world believe this? The previous Government talked much about fixation of minimum wage for agricultural labour. They fixed Rs. 3 to Rs. 4 for this class of labour. As against this the Government department is paying a wage of Rs. 2.43. This is injustice, exploitation. The Janata Party has made promises in their election manifesto. It is hoped that they would take effective steps to stop this kind of exploitation of workers. The Gajendragadkar Commission had recommended in 1974 that minimum need based wage should not be less than Rs. 314. Since then, prices have gone up considerably. I wish the Janata Government to pay attention to this problem.

Much had been said by the previous Government about abolition of bonded labour. In fact nothing has been done to free their labourers from the clutches of landlords. Their plight is more pitiable now. They do not even have the shelter of Jhuggis as landlords do not allow them to live in their land. Attention should be paid to this question.

It is said that there are about 98 lakhs unemployed people. These are the figures maintained by the employment exchanges. But I feel this figure is not correct. If we make a survey of villages, the number of unemployed persons would not be less than 7 crores.

The problem of unemployment in the country is becoming serious and urgent measures are required to be taken to tackle it, otherwise the position will become explosive. In order to solve their problem, the right to work should be granted as a fundamental right to the youth of this country and even the Constitution may be amended to give this right to them. A provision should be included to grant them unemployment allowances till they are provided with jobs. This will be a historic step and the coming generation will remember the Janata Government for ever.

The previous Government had created unions in factories and production centre which had no influence on the workers. These unions had connived with employers. Only that demand used to be conceded which had the Governmental approval. The workers who used to fight for their right were suppressed. Only 'INTUC' was given recognition. It was said that joint committees would be formed to achieve workers participation in industry at shopfloor and other floor levels. But their committees also included those yesmen only. Now time has come to include in these Committees only those persons who represent workers in a true sense. Only the real representatives of workers should be nominated to these Committees.

There was a discussion here this morning about the sick mills. How these mills become sick? The proprietors eat up all the profits, sell everything and declare mills as sick to get compensation therefor and the responsibility for running these sick mills is passed on to Government. The operation of such mills should be entrusted to workers.

श्री ब्यालार रवि (चिरयिकील) : माक्सवादी सदस्य श्रीमती रांगनेकर ने 20-सूत्री कार्यक्रम के कुछ सूत्रों पर आपत्ति जाहिर की है। मैं नहीं समझ सका कि वह बन्धुआ मजदूरों की मुक्ति

कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी और कर्मकारों की प्रबन्ध व्यवस्था में भागीदारी जैसे विषयों पर क्यों आपत्ति उठा रही हैं। उनकी पार्टी दो बार बंगाल और केरल में सत्ता में रही है, पर वह इन समस्याओं का समाधान करने में असफल रही है। इसके विपरीत 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 99,000 बन्धक मजदूरों को मुक्त किया गया। जनता सरकार को लोगों के सामने ये तथ्य रखने चाहिए। (व्यवधान)

इस देश के कर्मकार अन्य लोगों से अधिक जिम्मेदार हैं। इस वर्ग ने आपातस्थिति के दौरान बड़ी जिम्मेदारी से काम किया। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पर खेद है कि समाचारपत्रों और एकाधिकारी नियोजकों द्वारा उन्हें बदनाम किया जाता है। इन लोगों ने अपना दायित्व नहीं निभाया। उन पर पिछली सरकार भी काबू न पा सकी।

मंत्रालय के प्रतिवेदन के अनुसार 219 लाख मानव-दिवसों की हानि हुई। 54 से 90 प्रतिशत तक तालाबन्दी के कारण ये मानव-दिवस गंवाए गए। आपात के पिछले एक वर्ष के दौरान मालिकों ने मजदूरों के लिए अधिक से अधिक कठिनाई पैदा करने की कोशिश की। यद्यपि कर्मकारों ने बड़ी जिम्मेदारी से काम किया फिर भी निरोजकों ने उन्हें समाचारपत्रों आदि के माध्यम से बदनाम किया। आज उन मजदूरों की हालत खराब है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे औद्योगिक विवाद अधिनियम पर पुनर्विचार करें, और उसमें दूरगामी परिवर्तन करें।

इस अधिनियम में विभागीय जांच सम्बन्धी एक उपबन्ध है। इसके अनुसार मालिक अपना ही वकील कर लेते हैं, जांच करवाते हैं और कर्मचारियों को बर्खास्त कर देते हैं। अधिनियम में दूसरी कमी यह है कि मालिक के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह बातचीत के लिए तैयार हो। इसे अनिवार्य किया जाना चाहिए। सरकार को एक कानून बनाना चाहिए जिसके अन्तर्गत नियोजकों को तालाबन्दी, छंटनी करने या जबरी छुट्टी देने से रोका जा सके।

दूसरी बात हड़ताल में पुलिस के हस्तक्षेप से सम्बद्ध है। श्री ज्योतिर्मय बसु ने कहा है कि वह कर्मकारों के विरुद्ध पुलिस इस्तेमाल करेंगे।

श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या उन्होंने ऐसा कहा ?

श्री बयालार रवि : जी हां। पुलिस कानून और व्यवस्था के नाम पर हस्तक्षेप करती है। प्रत्येक श्रमिक आन्दोलन के पीछे एक पुराना इतिहास है। अभी हाल में जब मार्टिन बेकरी, इर्नाकुलम में हड़ताल हुई, तो पुलिस ने हस्तक्षेप किया। मैं भी एक मजदूर संघ का प्रधान हूँ। पुलिस ने हस्तक्षेप किया है। वे कहते हैं कि दिल्ली से अनुदेश मिले हैं कि सरकारी क्षेत्र की रक्षा की जानी चाहिए। सरकारी क्षेत्र को एक उदाहरणीय नियोक्ता होना चाहिए। किन्तु स्थिति ऐसी नहीं है।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि वे सरकारी कर्मचारियों की संख्या में 10 प्रतिशत कटौती नहीं कर रहे हैं किन्तु वे 10 प्रतिशत रिक्त स्थानों को नहीं भर रहे हैं। अतः इसका अर्थ भी 10 प्रतिशत संख्या कम करना ही है। इसके पीछे क्या नीति है ?

कांग्रेस सरकार ने वित्तीय कठिनाइयों के कारण अनिवार्य जमा योजना चालू की थी ताकि धन की सप्लाई कम हो। अब श्री एच० एम० पटेल भी वही कह रहे हैं क्योंकि वे भी नहीं चाहते कि मजदूरों को पैसा मिले। इस कानून के अन्तर्गत यह योजना जून तक चलती है और जुलाई में ब्याज

[श्री वयालार रवि]

सहित पांचवा हिस्सा वापस किया जाना है किन्तु कहा गया है कि वित्तीय कारणों से वे यह रकम वापस नहीं कर सकते। अतः कांग्रेस और जनता सरकार में क्या अन्तर रह जाता है ?

जहां तक बोनस का सम्बन्ध है, मंत्री महोदय यहां बैठे हैं और उन्होंने वायदा किया था कि बोनस अधिनियम में संशोधन किया जायेगा। अतः उन्हें बोनस अधिनियम के निरसन का विधेयक लाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मजदूरों को 8½ प्रतिशत बोनस मिले।

मजदूरों के प्रबन्ध में भाग लेने के बारे में आशा है कि मंत्री महोदय शीघ्र कार्यवाही करेंगे।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना में 52 लाख कर्मचारी आते हैं। इस योजना में ऐसी संस्थाएं आती हैं जिनमें 20 से अधिक कर्मचारी हैं। संगठित श्रमिक यह योजना बिल्कुल नहीं चाहते हैं क्योंकि वे मालिकों के साथ किये गये समझौते के माध्यम से अच्छी चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यदि वे इस योजना को नहीं चाहते हैं तो हमें उन पर यह योजना थोपनी नहीं चाहिए। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस योजना को उन प्रतिष्ठानों पर लागू किया जाये जिन में 20 से कम व्यक्ति हैं क्योंकि वहां मजदूरों को अपने नियोजकों से कोई चिकित्सा सहायता नहीं मिलती है। जहां तक कर्मचारी भविष्य निधि का सम्बन्ध है, हम जानते हैं कि नियोक्ता बकाया राशि का भुगतान करने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बकाया राशि, जो कि 18 करोड़ रुपये है, बहुत अधिक है। यह कहा जा रहा है कि भविष्य निधि आयुक्त के पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं है। भविष्य निधि कार्यालय को स्वायत्ता संस्था बना दिया जाना चाहिए ताकि उनके अधिकारों एवं प्राधिकारों में वृद्धि हो।

देश में 1 करोड़ 10 लाख बेरोजगार हैं लेकिन सरकार के पास उन्हें रोजगार देने की कोई व्यवस्था नहीं है। इन युवकों के लिए बेरोजगार बीमा योजना शुरू की जाये।

मजदूरों में भारी ऋणग्रस्तता है। मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि औद्योगिक मजदूरों की ऋणग्रस्तता को समाप्त करने के लिए कुछ कदम उठाये जायें।

पत्तन कर्मचारियों ने हड़ताल की घमकी दी है। मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह हड़ताल न हो और अर्थव्यवस्था को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे।

अन्त में मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि उन्होंने मजदूरों को जो आश्वासन दिया है कि उनकी शिकायतों की जांच की जायेगी और उनकी हालत में सुधार किया जायेगा। किन्तु मजदूरों का हमेशा शोषण किया जाता है और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनका शोषण किया जाता रहेगा क्योंकि सत्ताधारी पक्ष हमेशा विजयी रहता है। सत्ताधारी पक्ष के हाथ में समस्त प्रचार साधन और सारा तंत्र होता है और सत्ताधारी पक्ष हमेशा मजदूरों का शोषण करने का प्रयत्न करता है। मैं मंत्री महोदय को आश्वासन देता हूं कि जब वह मजदूरों के हितार्थ विधान लायेंगे तो हम उनका समर्थन करेंगे।

Prof. Shibban Lal Saxena (Maharajganj) : I congratulate the Hon'ble Minister for his efficient handling of the labour problems during the last 3½ months. The settlement of the Indian Express dispute was really something very commendable. I am happy that he has been successful in solving it.

I would now draw his attention to the telegrams that I sent regarding Gorakhpur Labour Depot. This Labour Depot was set up in 1940 and went on functioning well up to 1973. Till then about 30,000 labourers were sent from there to work in the local units every year.

But after the nationalisation of Coal mines in 1973. This was stopped. Then I had advised the then Hon'ble Minister to continue this system but it was stopped. This is good Scheme and he should see that the old practice is continued.

We had set-up 6 big health centres in eastern U. P. with the unclaimed funds in the Labour Welfare fund. These centres are much helpful and should be continued. I invite him to Gorakhpur Depot and see himself the work done by us there for the workers.

The Government has reinstated the railway workers who had been dismissed during the emergency. But there are many institutions where this has been done. For example 1000 workers of Mahabir Jute Mills, Sahjanwa had been thrown out of employment for participating in the strike. Similarly 300 workers of Deoband Sugar Mill had been turned out. The Minister should use his good offices and see that these workers are reinstated.

In 1930 I had organised a united Sugar Mill Workers' Federation in 1930 which was later on named as All India Sugar Workers Federation. We made efforts to increase the wages of the workers from Rs. 5 to Rs. 30 at that time. It is a matter of regret that the minimum wages in the Sugar industry are very low even though it is a foreign exchange earner industry. Whereas the minimum wage in coal mines is Rs. 430, in Sugar factories it is only Rs. 240. He should see that justice is done to the workers of Sugar factories and their minimum wages are increased, which may be fixed at Rs. 400 per month. There is also need for having a national policy for fixing minimum wages in various industries so that there is a balanced development.

The post of Director General of Safety in Mines is lying vacant at Dhanbad for the last three years. It should be filled immediately so that the safety of the workers is ensured.

The workers of sugar industry have been demanding that they should be paid 50 per cent wages during the off-season. The Hon'ble Minister should pay attention to their demand.

It is also necessary that the bonus reduced during emergency is restored to 8½ per cent and the amount of C. D. S. of the workers is paid to them.

The demand for nationalisation of sugar industry is being made for a long time but it has not yet been acceded. The capacity of the new industries should be increased to at least 2000 tonnes. This should be done without further delay and no compensation should be made to the mill owners.

Shri Ahsan Jafri (Ahmedabad) : The condition of labourers in the country is still deplorable. Justice has not been done to them even today. Measures should be taken to improve their living and working conditions. It is due to the labour of these workers that production takes place in the country but the actual producers are starving.

We have not so far evolved any policy in regard to a national minimum wage. The workers in the unorganised sectors are still being exploited. The agricultural labourers are not receiving even a subsistence wage. Government should state what they propose to do in this direction of fixing a minimum wage for these crores of agricultural labourers.

In the report a mention has been made of the bonded labour. It has been stated that in 10 states in the country there is bonded labour. It is not known as to how it has been concluded that other states do not have it. Whenever there are landlords there is bonded labour. In Gujarat there is bonded labour. I have got the names of such labourers who had taken some Rs. 200 or Rs. 400 some 15, 20 years ago. Still they are working with the landlord.

The workers in Gujarat contribute to E. S. I. Scheme about 11 lakhs of rupees but the expenditure that is incurred on them is only Rs. 7 lakhs. Hundred of workers are working in factories in the area adjoining to Surendernagar, Bhadoch and Ahmedabad but E. S. I. Scheme is not applicable to them. The arrangements for the medical treatment of workers and their families existed only at 9 E. S. I. Centres out of 14 working in Gujarat. In rest of these Centres the families of the workers do not get medical treatment.

The system functioning of labour courts have to be radically changed so that labour disputes may be decided more expeditiously. The Labour laws should contain provisions to ensure that in case a worker is thrown out of employment by an employer, whether in the public sector or private sector, he continues to get his pay till his case is decided by a competent Court.

[Shri Ahsan Jafri]

If it is not ensured, then the laws are nothing but the laws of the jungle. If any worker is turned out of the mill, he has to fight his case for 3-4 years. If he does not win his case, his condition becomes worse. Even if he wins his case, he loses his precious 3-4 years. Now I hope this will not happen under the rule of the new Government.

We have been telling the workers to increase the efficiency, but we have not paid any attention towards giving them facilities. As the big industries and sky scrapers are emerging in the country, the number of slums are also increasing. These slums are not fit for animals what to say of human beings. There are certain slums in Ahmedabad which are worse than hell. Out of 18 lakh population of Ahmedabad, 5 lakhs are living in slums without any sanitary conveniences and public amenities. I would request the honourable Minister that some schemes should be chalked out to remove these insanitary slums from the country. A mention has been made in his report that 66 thousand houses were constructed from 1-1-76 to 31-12-76. If we constructed the houses at this speed, how can we expect to provide dwellings to the workers living in the slums ?

We formulated a scheme for the agricultural labourers. Even to-day, in Surat the agricultural labourers are sitting before the office of the collector because the houses given to them by the Panchayat there in May have been dismantled. If these Jhuggi dwellers cannot be given good houses, why their jhuggies are demolished ? I hope that Government would ensure that the labourers are not treated like this in future. I also request that codified labour laws should be made for the whole of the country. The unemployed should be given unemployment allowance and schemes should be formulated to ameliorate the lot of the labourers of the country and fulfil their aspirations.

Shri Manohar Lal (Kanpur) : Mr. Chairman, Sir, I stand up to support the Demands for Grants of the Labour Ministry.

It seems that there are still some people who have not learnt any lesson from the fact that in spite of the many obstacles and hurdles, the masses of the country have confined the Indira Government and its Sanjay caucus under the debris, routed the Congress and gave the Janata Party an opportunity to form Government. I want to say that the Labour Minister should see to those officers of his ministry who had never favoured the workers and considered them as helpless and immature creatures. But they are not helpless and immature and they have understood the value of their vote. If rights given to them under our Constitution are not protected, these officers would snatch them. I hope the hon'ble Minister would take note of such officers.

Some body has rightly said "Indira is paying the price for its return to democracy in the form of labour unrest." It is absolutely correct because during the period of 19 months of emergency, the labour rights and interests were destroyed. For example, the right to bonus was taken away, compulsory deposit scheme was introduced, because of this, about two lakh workers resorted to strike upto the middle of May after the Janata party formed Government.

Shri Sathe was shedding crocodile tears and was talking about 60 crores of people. He said that Janata Party was formulating policies which would be only for the 2 crores of labourers who would be provided with employment. But I want to ask that who is responsible for the present deplorable situation. The Government and the officers have been destroying their rights during the last 30 years. It is that Government which is responsible for the increased unemployment in the country. But according to Government statistics, though these are incorrect statistics, 56 lakhs 15 thousand persons got themselves registered with the employment exchanges from January to December, 1976 and only 4 lakh 90 thousands got employment. It happened in 1976 when the Emergency was on and everybody was under the impression that very good work was being done. If the Janata Party also do not do anything, they will meet the fate of Congress because the people have become conscious of their rights and might—if the present prevailing conditions are not improved, the people will never forgive the Janata Party.

For the progress of any country, labour, capital and the production are the three important factors. If the labour relations are harmonious, capital is invested properly and the production is increased, a country can make tremendous progress. But unfortunately, the manpower has not been exploited during the last 30 years. That is why the country could not make any progress.

After the Janata take-over, the people of the country hope that their legitimate needs would be fulfilled and they would get employment and houses. But if they fail to get this, then the slogan that in the new era only the earner would eat and the exploiter would be uprooted, would prove a hallow slogan. So the honourable Minister should put checks on the capitalists who have amassed wealth of the country. He should reduce the working hours of the workers and ensure equal wages for equal work. The workers' religion is only to work hard. There is labour unrest in the country because equal wages for equal work have not been ensured. The main reasons for the labour unrest are the long standing wage disputes, rising prices, bonus issue, victimisation of workers and the old labour laws. If Government effect some improvements in this regard, the labour unrest will end. If there will be no labour unrest, the production will increase and that will reduce the inflation. It is said that if the instalment due on account of compulsory deposit scheme is paid to the workers, that will help in escalating the inflation. It is a strange race between the prices and inflation. But if the labour relations are improved, that will increase the production. The increased production will have effect on the inflation. A demand has been made that the workers should be associated with the management so that they may feel that they have a share in the industry. This will help in increasing production.

I want that bonus issue should be settled at once. Moreover, in spite of the repeated assurances, the workers turned out during emergency have not been taken back so far.

The labour courts are also not able to provide justice to the workers. In 1975, 63 thousand cases were submitted to the Labour Courts. Only 16 thousand cases were decided. The Labour Courts were constituted with a view to provide justice to the workers. But when the cases are not decided, how the workers can get justice? The mill owners can afford to linger on the cases for ten years as they are rich persons, but how can the workers, who are unable to arrange means for making their both end meet, fight the cases for long period. So, measures should be taken for the speedy disposal of these cases.

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान उत्पादन लागत तो बराबर ही रही है लेकिन इस अवधि के दौरान मुनाफे में भारी वृद्धि हुई है। 1973-74 में मजूरी, महंगाई भत्ता और बोनस इत्यादि के रूप में कर्मचारियों का भाग 1952 की तुलना में 63.6 प्रतिशत से घटा कर 38.2 प्रतिशत रह गया। कर्मचारियों की वास्तविक मजदूरी में कमी हुई है। लेकिन मूल्य वृद्धि और उत्पादन संकट के लिये भी ही उन पर ही इलजाम लगाया जा रहा है। एक समेकित मजदूरी आय और मूल्य नीति बनाते समय हमें इन तथ्यों का ध्यान रखना चाहिये।

मजूरी नीति के सम्बन्ध में कई आयोग बिठाए गए, जांच कराई गई और मध्यस्थ निर्णय भी हुए। अतः बातचीत के लिए अधिक मजूरी बोर्डों, त्रिपक्षीय वार्ताओं, मध्यस्थ निर्णयों अथवा आयोगों की आवश्यकता नहीं है। इसका निपटारा द्विपक्षीय वार्ता द्वारा उद्योग-वार किया जाना चाहिये। प्रबन्धक वर्ग और कर्मचारियों को मिल कर अपने उद्योग के कार्यकरण के अनुसार बैठ कर द्विपक्षीय बातचीत करनी चाहिये।

सरकार को 1957 के भारतीय श्रम आयोग के सिद्धान्तों के अनुरूप संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिये राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी और आवश्यकताओं पर आधारित मजूरी सुनिश्चित करनी चाहिये। संगठित क्षेत्र में न्यूनतम मजूरी 300 रुपये प्रति माह होनी चाहिये।

जहां तक कर्मचारियों को प्रबन्ध में भागीदार बनाने का सम्बन्ध है, आपने 20 सूत्रीय कार्यक्रम में से एक सूत्र यह भी रखा था। भागीदार बनाने के लिये तो पूरे ढांचे में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। सभी कर्मचारियों को केवल उत्पादन में ही नहीं बल्कि प्रबन्ध में निचले स्तर से लेकर निदेशक स्तर तक भाग लेना चाहिये। उनकी भागीदारी प्रत्येक नीति में, चाहे वह मूल्य नीति हो, विक्रय नीति हो अथवा क्रय नीति हो, सभी में हों सारे कार्य के संचालन में उनकी आवाज होनी चाहिये।

[श्री के० ए० राजन]

दूसरी बात यह है कि आप किस प्रकार की औद्योगिक नीति बनाने जा रहे हैं। हम सुन रहे हैं कि आप एक नई औद्योगिक नीति ला रहे हैं हम इसका स्वागत करते हैं। किन्तु मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक सुदृढ़ औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र के तीन मुख्य आधार होते हैं यथा, संगठन का अधिकार, सामूहिक बातचीत का अधिकार और हड़ताल का अधिकार। हड़ताल के अधिकार को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों ने संघर्ष किया और उन्हें यह अधिकार प्राप्त भी हुआ। यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि यूनियनों की विविधता और यूनियनों में आपसी दुश्मनी के कारण कर्मचारी वर्ग पर बुरा असर पड़ता है। अतः गुप्त मतदान के आधार पर किसी यूनियन को मान्यता प्रदान की जानी चाहिये। मान्यता प्राप्त यूनियन को ही समूचे उद्योग के लिये एक मात्र बातचीत करने वाली एजेन्सी होना चाहिये।

कर्मचारी वर्ग में बहुत ही असन्तोष है। अगर आप देश की यात्रा करें तो आपको प्रदर्शन, सत्याग्रह, हड़तालें, तालाबन्दी और शोषण ही देखने को मिलेगा। हमारे राज्य में माडर्न बेकरी के कर्मचारी और एच०एम०टी० के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। पूनालूर पेपर और डालमिया कम्पनी भी बन्द पड़ी हैं। मैं आशा करता हूँ कि सरकार इन एकाधिकारियों और बड़े उद्योगपतियों और लालची लोगों को कर्मचारियों का शोषण नहीं करने देंगी। मुझे आशा है कि सरकार देश की अर्थ-व्यवस्था को पूंजीवादी और बड़े एकाधिकारियों के कहने पर बरबाद नहीं होने देगी।

मेरा नम्र निवेदन है कि एक सुदृढ़ औद्योगिक सम्बन्ध नीति बनाई जानी चाहिये और आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी नीति होनी चाहिये। प्रबन्ध में श्रमिकों की साझेदारी की व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिये और श्रमिकों को अपना उचित हक मिलना चाहिये। राष्ट्रीय संकट के समय श्रमिकों ने राष्ट्र का साथ दिया है जब कि सरकार से संरक्षण मांगने वाले दूसरे वर्ग ने राष्ट्र-संकट की घड़ी में अपनी वफादारी साबित नहीं की है। बोनस के लिये आप सिद्धान्त रूप में तो सहमत हो चुके हैं, उसके बारे में नीति घोषित की जानी चाहिये और विवादों को द्विपक्षीय बातचीत द्वारा हल किया जाना चाहिये।

श्री चित्त बसु (बारसाढ) : मैं श्रम मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ और हमारे देश में श्रम के क्षेत्र में आज हो रही कुछ गम्भीर नवीन घटनाओं की ओर ध्यान देने का अनुरोध करता हूँ। विगत बीस महीनों में श्रमिक और विशेष रूप से संगठित श्रमिक आपातकाल की कठिनाइयों का शिकार हुए हैं। आपातकाल में औद्योगिक सम्बन्धों का उद्देश्य उत्पादन और उत्पादिता को बढ़ाना था। यह कहना निराधार है कि श्रमिक उत्पादन और उत्पादिता बढ़ाना नहीं चाहते परन्तु प्रश्न यह है कि क्या उन्हें बढ़े हुए उत्पादन और उत्पादिता से प्राप्त लाभ में उचित हिस्सा दिया जायेगा मेरा आज विपक्ष में बैठे नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने श्रमजीवी वर्ग को इस न्यायोचित और उचित हिस्से से वंचित रखा है। लेकिन श्रमजीवी वर्ग में वंचित किये जाने की भावना आज भी व्याप्त है। मेरा श्रम मंत्री से अनुरोध है कि नई श्रम सम्बन्धी नीति घोषित करते समय इस पहलू को ध्यान में रखें।

पहली सरकार की यदि कोई श्रम नीति थी, तो वह मजदूरी में वृद्धि पर रोक लगाने मात्र की नीति थी, जो उसने पश्चिम के विकसित पूंजीवादी देशों से नकल की थी। इन पश्चिमी पूंजीवादी देशों में मजदूरी में वृद्धि पर रोक के साथ-साथ मूल्यों में वृद्धि पर रोक की नीति भी अपनाई जाती है जबकि भूतपूर्व सरकार ने मजदूरी में वृद्धि पर तो रोक की नीति अपनाई परन्तु मूल्य वृद्धि पर

कोई रोक नहीं लगाई । मजदूरी में वृद्धि पर रोक की नीति इस गलत सिद्धान्त पर आधारित थी कि इससे मुद्रा स्फीति रुकती है । मैं इस बारे में विशेषज्ञों की राय बताना चाहूंगा । 8 जुलाई, 1974 को इकॉनामिक टाइम्स के अनुसंधान ब्यूरो के अध्ययन में कहा गया है कि औद्योगिक कच्चे माल और निर्माण के क्षेत्र में रुख को देखते हुए पता चलता है कि मुख्य रूप से कच्चे माल और पूंजीगत उपकरणों के मूल्यों में मुख्य रूप से वृद्धि हुई है न कि मजदूरी में वृद्धि जैसा कि सामान्यतः समझा जाता है । वेतन वृद्धि पर रोक का सिद्धान्त वेतन-वस्तुएं-मुद्रास्फीति के गलत सिद्धान्त पर आधारित था और यह सिद्ध हो गया है कि यह सिद्धान्त पूर्णतः गलत है ।

इसके अतिरिक्त मजदूरी का भाग निरन्तर कम होता गया है । रिजर्व बैंक आफ इंडिया बुलेटिन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कर्मचारियों को पारिश्रमिक का भाग 1973-74 में 15.5 प्रतिशत से 1975-76 में घट कर 14.8 प्रतिशत हो गया । अतः सरकार को भिन्न दृष्टिकोण से मुद्रा-स्फीति का सामना करना होगा । श्रमिकों को वास्तविक मजदूरी कम हुई है । 1972 में वास्तविक आय सूचकांक 199 में था जो अब घटकर केवल 103 रह गया है । वेतन वृद्धि पर रोक की नीति के लिये उत्तरदायी कौन था, नियोजक पूंजीपति, एकाधिकारी और बहुराष्ट्रीय कम्पनियां, जिन्होंने भारी लाभ कमाया । उत्पादन में परिचालन लाभ की प्रतिशतता 1973-74 में 5.7 से बढ़कर 1974-75 में 6.2 हो गई । रिजर्व बैंक बुलेटिन में कहा गया है कि 1974-75 में कराधान से पूर्व लाभ 100 करोड़ से अधिक हो गया अर्थात् गत वर्ष की तुलना में 36.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वेतन वृद्धि पर रोक की इस नीति को उलटी दिशा में चलाना चाहिये, अनिवार्य जमा योजना समाप्त की जानी चाहिये, बोनस अधिनियम बनाया जाना चाहिये, महंगाई भत्ते में मूल्यवृद्धि के अनुरूप शान्तिशान्ति वृद्धि होनी चाहिये । तब ही भूतपूर्व सरकार की श्रमजीवी वर्ग-विरोधी नीति को ठीक किया जा सकता है ।

नई श्रम नीति का आधार श्रमिकों को (1) अनिवार्य जमा की पूर्ण राशि का एकमुश्त भुगतान (2) संशोधित बोनस अधिनियम का निरसन और पब्लिक सैक्टर सहित सभी श्रमिकों को 8.33 प्रतिशत न्यूनतम बोनस का भुगतान और (3) क्रमिक रूप में आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन लागू करना, होना चाहिये ।

मंत्री महोदय ने औद्योगिक सम्बन्धों का ढांचा बदलने के बारे में कहा इस बारे में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि सरकार को इन मूल समस्याओं के बारे में अन्तिम निर्णय करना होगा, अर्थात् (क) बढ़े हुए उत्पादन और उत्पादिता के लिये श्रमिकों को उचित प्रतिकर, (ख) सामूहिक बातचीत का अधिकार, (ग) शासन की विनियामक भूमिका सम्बन्धी सीमाएं और (घ) समझौता अभिकरती (बार्गेनिंग एजेंट) का निर्धारण और मान्यता । इसके आधार पर ही औद्योगिक सम्बन्ध नीति का नया ढांचा तैयार किया जाना चाहिये । औद्योगिक सहयोग और शान्ति हासिल करने के लिए नई सरकार को अपना दृष्टिकोण बदलना होगा । अपना निर्णय बदलना होगा अन्यथा कार्यभार अपने न्यायोचित अधिकारों को मनवाना जानते हैं । सरकार को औद्योगिक शान्ति कायम रखने के लिए एक नई मजदूर नीति अपनानी चाहिए और पिछली व्यर्थ प्रक्रिया को समाप्त करना चाहिए ।

सभापति महोदय : सभा 6.40 म० प० तक बैठेगी ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : शनिवार को हम इस बात से सहमत हुए थे कि यदि आवश्यक हुआ तो श्रम मंत्रालय की मांगों पर विचार करने के लिए सोमवार को हम 6 बजे बाद भी कुछ समय के लिए बैठेंगे । मैं विपक्ष के सहयोग का अनुरोध करूंगा ।

Shri Ram Awadesh Singh (Vikramgarh) : The present labour minister has devolved with a new responsibility. He has to maintain balance between labour and industrialists. This ministry has been under the influence of Capitalists and bureaucrats for the last thirty years. One is surprised to know that as many as two dozens of labour laws were made during the period of 1947 to 1957 but no relief has been provided to workers. The capitalist blocked the implementations of several provisions of these laws with the help of money. A number of labour laws enacted, provided for imprisonment or fine, if certain employer violated certain provisions thereof. Employers do not mind paying fines. If a provision is made for imprisonment only then the employer would be afraid of being jailed and would not dare to violate the laws.

There is Industrial Dispute Act which should have been the Industrial Relations Act. There are about seven stages in this act which are required to be passed through to reach a final settlement. But these stages breed new problems. This act should, therefore, be amended so as to have better and harmonious relations between the employees and the employers. Similarly, Trade Union Act also needs amendment in the present context.

Now I wish to draw hon. Minister's attention towards the miserable plights of agriculture labour. Their condition is worse than that of the factory workers. They are not paid minimum wages. There are instances where labour is paid Rs. 8/- per day. They should be brought under the purview of minimum wages act. They have proper houses to live in. Men and animals live in the same jhopari. They have no money to get medicines for their ill children. They get money on loan from landlords at a premium of 25 to 40 per cent interest. The educated labour with sound health in my district Bhojpur-Rohtas, who demanded wage according to the provisions of law was turned as Naxalite and shot dead by the police with the connivance of landlords. Wherever the agricultural labour raises their voice for his right, for protecting the modesty of his daughter, he is termed as criminal and shot dead. I shall request the Minister to have a study of the situation in Bhojpur-Rohtas district and stop atrocities on Harijans.

***श्री के० राममूर्ति (धर्मपुरी) :** कई सदस्यों ने कहा है कि सारे देश में मजदूरों की हालत बड़ी दयनीय है । यह भी कहा गया कि वर्तमान मजदूर कानून मजदूरों के लिए लाभदायक सिद्ध नहीं हुए और अब वे पुराने पड़ गए हैं । तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों में त्योहारों का मौसम नजदीक आ रहा है । यह स्वाभाविक है कि वहां के कामगार इस मौके पर अपना बोनस मांगेंगे । मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे बोनस संशोधन विधेयक शीघ्र पेश करें ।

मालिकों के लेखे की जांच चार्टर्ड लेखापालों द्वारा की जाती है । यह जांच ऊपरी होती है और इससे पूंजीवादी करोड़ों रुपये का काला धन बना लेते हैं जैसा कि आपातकालीन स्थिति के दौरान स्वैच्छा से घोषित सम्पत्ति से स्पष्ट हो गया था । इस प्रक्रिया को बदला जाना चाहिए और मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस प्रकार की विधि निकालें जिससे मजदूर संघों को चार्टर्ड एकाउंटेंटों द्वारा जांच किये लेखे की पुनः जांच करने का अधिकार दिया जा सके ।

मजदूर संघों को चार्टर प्राप्त लेखाकारों द्वारा लेखा परीक्षित लेखों को पुनः लेखा परीक्षा करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए ।

भूमि कानूनों से श्रमिकों को शीघ्र न्याय नहीं मिलता है ।

जनता दल के सदस्यों ने आपातस्थिति के दौरान श्रमिकों पर की गयी ज्यादतियों का उल्लेख किया है । परन्तु मेरा स्वयं का अनुभव यह है कि श्रमिकों को आपातस्थिति में लाभ पहुंचा है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में उद्योगपतियों द्वारा श्रमिकों को न दी जाने वाली मजदूरी भारतीय रक्षा नियमों के अधीन बिना किसी विलम्ब के निर्धारित हो गयी ।

*तामिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

यह कहा गया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत विवाद के निपटारे के लिए सरकारी क्षेत्र के श्रमिक को न्यायालय में जाने सम्बन्धी अधिकार से वंचित किया जा रहा है । सरकारी क्षेत्र हो अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र प्रत्येक श्रमिक को किसी विवाद के निपटारे के लिये अदालत में जाने का हक होना चाहिए । किसी मंत्रालय के किसी अधिकारी को उन्हें इस हक से वंचित करने का अधिकार नहीं होना चाहिए ।

कुछ राज्यों में खेतिहर मजदूरों की मजदूरी कानूनी तौर पर निर्धारित की गयी है । माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह मजदूरी का निर्धारण अखिल भारतीय आधार पर करायें । वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त नहीं है । मेरा सुझाव है कि कृषिक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक सक्षम और सशक्त प्रशासनिक इकाई स्थापित की जाए । इसमें देरी नहीं की जाए ।

तमिलनाडु में बीड़ी उद्योग, दियासलाई निर्माण उद्योग में लगे लाखों मजदूर कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं । माननीय मंत्री जी उनकी शिकायतों पर ध्यान देकर कम से कम न्यूनतम मजदूरी के लिए सांविधिक रूप से उनको संरक्षण प्रदान करें ।

अन्त में मेरी मांग यह है कि श्रम कानूनों में संशोधन किया जाए जिससे श्रमिकों की वास्तविक शिकायतें दूर की जा सकें । बोनस संशोधन विधेयक भी शीघ्र लाया जाए जिससे श्रमिकों को त्योहारों से पूर्व बोनस मिल सके ।

Shri Harikesh Bahadur (Gorakhpur) In our country workers are exploited by capitalists in the private sector and by bureaucrats in the public sector. The Government should, therefore, nationalise big industries. By doing it Government will be in a position to provide necessary security to workers and have under its control a sizeable portion of capital.

The Government should restore the right of workers to get bonus which was taken away by the previous Government.

In regard to sugar mills I would like to say that in U.P. and Bihar these mills should be nationalised. In these mills condition of workers is very bad. They are being exploited by mill owners. The Government should take an early decision in this matter.

Condition of handloom workers is very bad. A number of workers have been thrown out of employment. Steps should be taken to improve the lot of these workers.

Electricity and roadways workers are harassed in many ways when they fight for their demands. They are suspended and transferred. I would, therefore, request the honourable Minister to pay attention to their grievances.

In Railways and L.I.C. casual workers are not being regularised though they have been working on daily wages for years together. These workers should be regularised.

There are so many persons who are without jobs even after getting training under the apprenticeship scheme in the Railways and Fertilizer Corporation. These people should be provided employment.

The Government should have a national wage policy because condition of agricultural workers is very bad.

There should be worker's participation in the management. The Government should take steps to achieve this goal.

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : कांग्रेस सरकार मजदूर वर्ग के साथ खिलावड़ करती रही । पहले तो 4 प्रतिशत बोनस को बढ़ाकर 8½ प्रतिशत किया गया और आपात स्थिति में इसे समाप्त हो कर दिया गया । सरकार को बोनस नीति पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लेना चाहिए ।

[श्री एन० श्रोकांतन नायर]

सरकारी क्षेत्र में एक-तिहाई संगठित मजदूर वर्ग को न्यायाधिकरण को अपना मामला पेश करने का अधिकार नहीं है । यह सभी विवादों की जड़ है । इस मामले पर शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए ।

जिन कर्मकारों को जहां भी भविष्य निधि और उपदान का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है, उन्हें वहां यह अधिकार मिलना चाहिए ।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी कल इसका उत्तर देंगे ।

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 12 जुलाई, 1977/21 आषाढ़, 1899(शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, July 12, 1977/
Asadha 21, 1899 (Saka)*